खण्ड-308, अंक-9
शुक्रवार, 14 आषाढ़, शक संवत् 1896
(5 जुलाई, 1974 ई0)

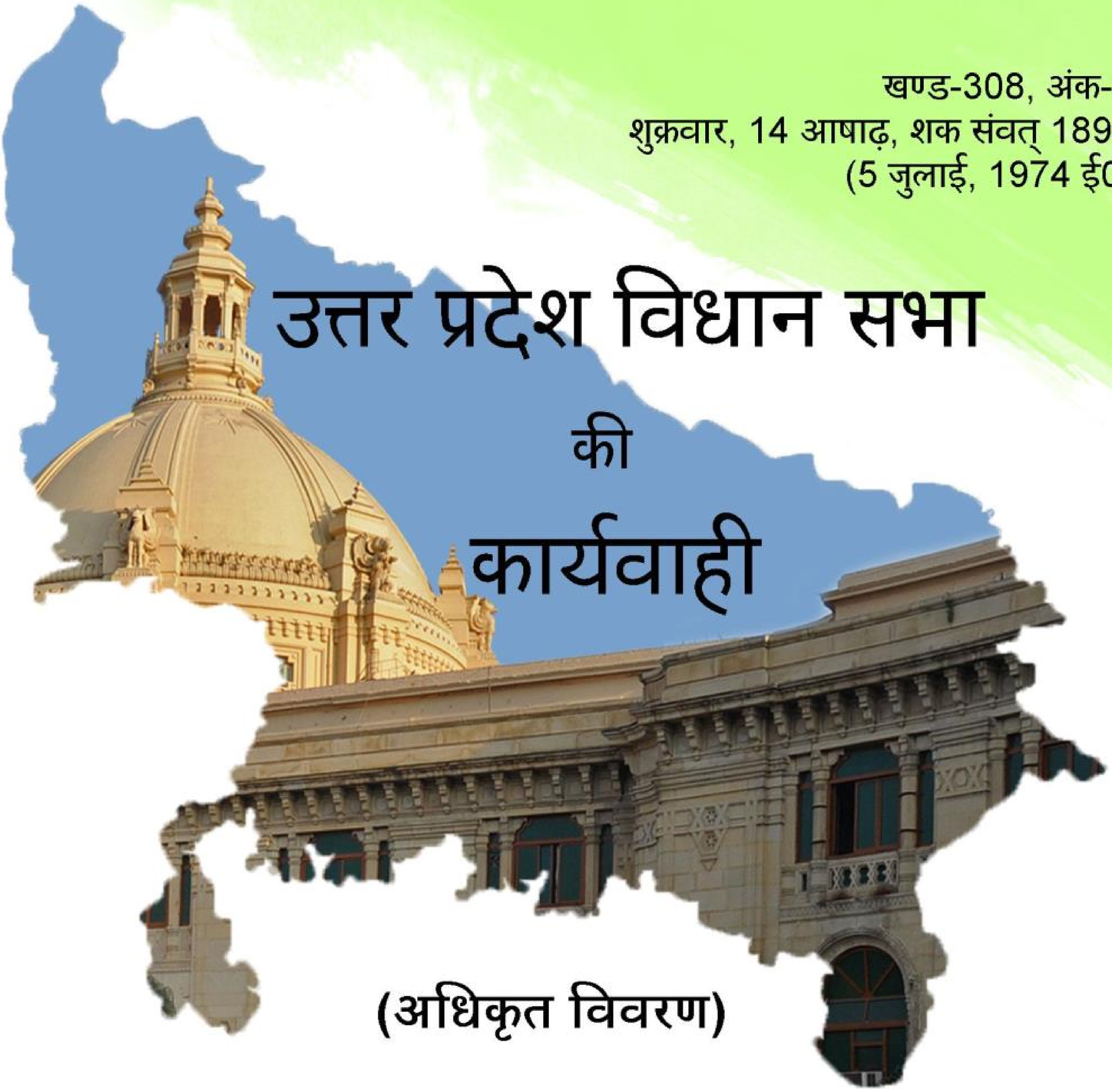

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 308 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1974

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, 5 जुलाई, 1974

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष श्री बासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—396

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील, उर्फ जिमी मियां (एडवोकेट)
अनवार मोहम्मद, श्री
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां नशतर, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
अवधेश कुमार, श्री
आगा जैदी, श्री
आनन्द स्वरूप, श्री
आबिद अली, श्री
आशा राम यादव, श्री
इन्द्र लाल, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
एबल सिंह, श्री
ए0 सी0 ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री (जिला जौनपुर)
ओम प्रकाश सिंह, श्री (जिला मिर्जापुर)
ओम प्रकाश, श्री (जिला मुरादाबाद)
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
का0 मु0 मुहीउद्दीन, श्री
काली चरण यादव, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी प्रसाद, श्री
किशन लाल, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्णा राय, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रांति कुमार, श्री
खचड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गगा प्रसाद, श्री

गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद आर्य, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री (जिला अल्मोड़ा)
गोविन्द सिंह, श्री (जिला टिहरी गढ़वाल)
गौरी शंकर, एडवोकेट
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, डाक्टर
चितरंजन स्वरूप, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (मेहनगर, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (जिला बाराबंकी)
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जटाधर बाजपेयी, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जमुना प्रसाद बोस, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जुगल किशोर यादव, श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तीरथ राम कोहली, श्री
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया किशन पाण्डेय, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दल सिंह यादव, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीपनरायन बन महन्थ, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
धर्मपाल सिंह, डाक्टर (जिला फर्रुखाबाद)
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धीरेन्द्र सहाय, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजु राम, श्री
नत्थू सिंह, यादव, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हू लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नारायण हरी शर्मा, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसा अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री (जिला देवरिया)
पुरुषोत्तम, श्री (जिला मिर्जापुर)
पुरुषोत्तम लाल, श्री (उर्फ राजा जी)
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल वर्मा, श्री (जिल एटा)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु नारायण, श्री
प्रभु दयाल, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
प्रेम सुन्दर नारायण सिंह, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फरजन्द अली, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह यादव, श्री
बलदान सिंह, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबू लाल तिवारी, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू सिंह यादव, श्री
बालकृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भूप सिंह कैन, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनीराम, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्भू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर (जिला जालौन)
मलखान सिंह सैनी, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेन्द्र रिपु दमन सिंह, राजा
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानपाल सिंह, एडवोकेट
मानबहादुर सिंह, श्री
मुन्शी लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुलतान सिंह यादव, चौधरी
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मूल चन्द राजपूत, श्री
मेघ नाथ सिंह, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब, श्री
मोहम्मद असलम, श्री

मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणंजय सिंह, राजा
रणजीत सिंह "जूदेव", श्री
रफीउल्ला, श्री
रमा पंत, कुमारी
रमाकांत द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गर्ग, श्री
राजेन्द्र प्रसाद, चौधरी
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधा चरण, श्री
राम अधार, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बक्श सिंह, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी लाल सेन, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नाथ, बाबा
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम बचन, श्री
राममूर्ति, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति बिन्द, एडवोकेट
रामरती देवी, श्रीमती
राम रेखा यादव, श्री
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
राम शिरोमणि दूबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पाण्डेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक, श्री
द्र प्रसाद, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उपनाम मणीजी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री

विश्राम, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शांति देवी, यादव, श्रीमती
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिवकैलाश, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद गुप्त, श्री (जिला आगरा)
शिव प्रसाद, श्री (जिला आजमगढ़)
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति राम, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीश चन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सन्तोष कुमार पाठक, श्रीमती
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मान, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुखन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुखदराज सिंह, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नरायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
सोहन लाल, श्री (जिला रामपुर)
सोहन लाल घुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हरीश चन्द्र खन्डेलवाल, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेमराज सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, 5 जुलाई, 1974

तारांकित प्रश्न

डेरापुर तहसील, जिला कानपुर में हरिजनों को भूमि के पट्टे

*1—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले की डेरापुर तहसील के अन्तर्गत विगत वर्ष 1970-71 और 1971-72 में कितने भूमिहीन हरिजनों को कितनी भूमि के कितने कुल पट्टे किए गए थे और क्या उक्त पट्टों को दाखिल खारिज के लिए तहसीलदार डेरापुर की संस्तुति समेत परगनाधिकारी डेरापुर को भेजा गया था ? यदि हां, तो कब कितने मामलों पर दाखिल खारिज के आदेश कर दिए गए थे और चकबन्दी के प्रारम्भ होने पर कितने मामले दफ्तर में दाखिल कर दिए गए थे ?

राजस्व मन्त्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

कानपुर जिले की डेरापुर तहसील में 1970-71 और 1971-72 में 2923 भूमिहीन हरिजनों को 5/26 एकड़ भूमि के पट्टे दिए गए थे जो समय-समय पर तत्कालीन परगनाधिकारी के न्यायालय में तत्कालीन तहसीलदार की संस्तुति के साथ भेजे गये थे। जैसे-जैसे पट्टे दाखिल खारिज के तहसीलदार की संस्तुति के साथ आदेश के लिए प्राप्त होते गये, 2280 मामलों में आदेश पारित किए जाते रहे। शेष 643 पट्टे चकबन्दी प्रारम्भ होने पर दाखिल दफ्तर कर दिए गए थे।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या मन्त्री जी यह बतायेंगे कि इस सम्बन्ध में परगनाधिकारी रामकृष्ण दुबे और नरेन्द्र नाथ पाण्डेय से जवाब तलब किया गया है ? वह कब किया गया और उन्होंने क्या जवाब दिया है और उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, परिषद् ने इन लोगों से स्पष्टीकरण मांगा है, वह आ गया है और कार्यवाही की गई है। अभी तक क्या स्पष्टीकरण आया है, यह उन्होंने नहीं भेजा है।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जैसा कि उत्तर में बताया गया, 600 मुकदमे दाखिल दफ्तर कर दिए गए थे तो क्या वह पट्टा खारिज करके दाखिल किए गए या योंही कर दिए गए ? क्योंकि चकबन्दी प्रारम्भ होने के बाद से वह एस० डी० एम० के यहां से एस० ए० सी० के पास ट्रांसफर होने चाहिए थे।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जब चकबन्दी का नोटिफिकेशन हो गया तो उन्हीं पट्टेदारों को लौटा दिए जाते हैं ताकि चकबन्दी अधिकारियों के सामने अपने पट्टे पेश कर सकें।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

इस सम्बन्ध में असिस्टेंट लैंड कमिश्नर ने जांच की है तो वह जांच रिपोर्ट क्या है।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जांच का सारांश बतलाया जा सकता है, पूरी जांच तो उपलब्ध नहीं है। उन्होंने यह जांच की है कि वहां का जो अहलमद था उसने फायलें आकर के गलत इंदराज की और उसकी कटिंग भी की और वह अलमारी में बन्द रखीं।

श्री शिवचरन लाल (जिला आगरा)--

मैं जानना चाहता हूं कि जिनको पट्टे दिये हैं आपने, क्या उनको कब्जा भी दिलाया है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जिनको पट्टे दिए हैं उनको कब्जा तो दिलाया ही जाता है, यह सामान्य नीति है।

श्री शिवचरन लाल--

यह गुमराह करने की बात है, आप कब्जा नहीं दिलाते।

चौधरी रामपाल सिंह यादव--

क्या मन्त्री जी को सूचना है कि जिनको पट्टे दाखिल खारिज हो गए थे उनको जमीन नहीं मिली है, क्या उनकी जांच करायेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

अगर माननीय सदस्य स्पेसिफिक केस कोई दें तो अवश्य जांच करा लेंगे। 323 काश्तकारान के पट्टे रह गए हैं जो चकबन्दी के मातहत हैं और बाकी सब पर कब्जा दिला दिया गया है।

सहायक चकबन्दी अधिकारी कानपुर की रिश्वत के सम्बन्ध में गिरफ्तारी

*2--चौधरी रामपाल सिंह यादव--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले की डेरापुर तहसील के अन्तर्गत ग्राम सढ़रामऊ के सहायक चकबन्दी अधिकारी को अप्रैल, 1974 में रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया ? यदि हां, तो उक्त ए० सी० ओ० ने कितने रुपयों की रिश्वत ली थी और गिरफ्तार करने के बाद उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही शासन द्वारा की गई ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जी हां। सम्बन्धित सहायक चकबन्दी अधिकारी 23 अप्रैल, 1974 को पांच सौ रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। गिरफ्तारी के बाद थाना मंगलपुर में उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा--161 तथा भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम की धारा 5 (2) के अपराध से सम्बन्धित मुकदमा कायम किया गया, जिसकी तफतीश सी० आई० डी० द्वारा की जा रही है। सहायक चकबन्दी अधिकारी को जिला उप संचालक, चकबन्दी ने निलम्बित कर दिया है।

चौधरी रामपाल सिंह यादव--

क्या माननीय मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि यह सहायक चकबन्दी अधिकारी, मूलचन्द गुप्ता जो पांच सौ रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे यह कानूनगो थे और वहां के एस० ओ० सी० ने इनका पद बढ़ाने के लिए सहायक चकबन्दी अधिकारी बना कर भेज दिया ?

श्री अध्यक्ष--

सी० आई० डी० इन्क्वायरी हो रही है, यह सब उसके सामने आयेगा।

चौधरी रामपाल सिंह यादव---

ये कहते हैं सहायक चकबन्दी अधिकारी हैं हम कहते हैं वह कानूनगो थे। तो वहां के एस० ओ० सी० ने रुपया बटोरने के लिए इनको सहायक चकबन्दी अधिकारी बना कर भेज दिया था ?

श्री अध्यक्ष---

यह तो आरोप है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

क्या यह सही है कि यह सहायक चकबन्दी अधिकारी कानूनगो थे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

जो कानूनगो होता है वह सहायक चकबन्दी अधिकारी कहलाता है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)---

मुअत्तल होकर वह ए० सी० ओ० वहीं पड़ा हुआ है। वह इन्क्वायरी में बाधक होगा। तो माननीय मन्त्री जी क्या उसको वहां से हटा कर कहीं और भेजेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

यह तो पहले ट्रांसफर होता फिर निलम्बन होता लेकिन निलम्बन के बाद तो वह स्वतन्त्र है, उसको वहीं रहना पड़ेगा।

श्री काशी नाथ मिश्र (जिला बलिया)---

चकबन्दी के महकमे में एग्जीक्युटिव के लोग हैं। तो जब रंगे हाथों 500 रुपये रिश्वत के लेते हुए पकड़ा गया तो माननीय मन्त्री जी ने उसको नौकरी से ही बरखास्त क्यों नहीं किया ?

श्री अध्यक्ष---

इस लिए कि वह बरखास्तगी से बचे नहीं क्योंकि अगर प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तो वह हाई कोर्ट में जायेगा। जैसी प्रक्रिया है वैसा ही तो होगा। या तो आप नियम में संशोधन करके दूसरे नियम बनाइये। सुप्रीम कोर्ट में माननीय न्यायपतियों पर सामने ही हमला किया फिर भी प्रक्रिया के हिसाब से ही उसको दंड मिला।

श्री भीखालाल---

माननीय मन्त्री जी ने उत्तर में स्वीकार किया है कि सहायक चकबन्दी अधिकारी पांच सौ रुपये रिश्वत लेते पकड़ा गया था। तो जब वह रंगे हाथों पकड़ा गया तो और कौन से गुप्त रहस्य की जांच सी० आई० डी० द्वारा हो रही है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

सी० आई० डी० ने ही रंगे हाथ पकड़ा था। इसलिये वह इन्क्वायरी कर रही है।

श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)---

चाहे वह दुकानदार हो, चाहे पब्लिक का कोई आदमी हो अगर वह गलत काम करता है तो उसको डी० आई० आर० में पकड़ कर जेल में बन्द कर दिया जाता है। ए०सी०ओ० रंगे हाथ रिश्वत लेते पकड़ा गया। तो उसको डी०आई०आर० में पकड़ कर जेल में न डालने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष---

यह तो सुझाव आप दे रहे हैं।

श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)---

अप्रैल में उन्होंने रिश्वत ली। तो उनको सस्पेंड किस तारीख को किया गया ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

23 अप्रैल को पकड़ा गया और 2 मई 1975 को निलम्बित किया गया।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा (जिला कानपुर)---

कानूनगो और ए० सी० ओ० के कार्य अलग अलग है। कानूनगो साहब ए० सी० ओ० का काम किस के आदेश पर कर रहे थे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

कहीं कहीं आवश्यकतानुसार कानूनगो को ही चक काटने के अधिकार दे दिये जाते हैं।

*3---श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)---

[माननीय मंत्री के अनुरोध पर 8वें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या 7 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*4---श्री पुरुषोत्तम कौशिक---

[माननीय मंत्री के अनुरोध पर 8वें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या 8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*5---श्री मोहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)---

[6वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

आई० टी० आर कम्पनी बरेली को दिया गया लीसा

*6---श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला पौरी गढ़वाल)---

क्या वन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वन विभाग की ओर से सन् 1971-72, 1972-73 और 1973-74 में आई० टी० आर० बरेली को कितना लीसा किस दर पर दिया गया ? और वन विभाग द्वारा अन्य कम्पनियों को नीलाम पर आई० टी० आर० बरेली को दिये गये लीसे से उच्च दाम पर दिया या गया कब दाम पर ? इसका पूर्ण ब्योरा क्या है ?

वन मंत्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)---

वन विभाग की ओर से आई० टी० आर० कंपनी बरेली को सन् 71-72 में, 1,35,690 कुन्तल लीसा रु० 170 प्रति कुन्तल की दर से, सन् 72-73 में 1,82,481 कुन्तल लीसा रु० 180 प्रति कुन्तल की दर से तथा सन् 73-74 में 1,69,398 कुन्तल लीसा रु० 180 प्रति कुन्तल की दर से दिया गया।

अन्य किसी कंपनी को लीसा नहीं दिया गया। सन् 1971-72, 2972-73 तथा 1973-74 में सहकारी समितियों को तथा 7972-73 तथा 73-74 में औद्योगिक इकाइयों को भी लीसा आई०टी० आर० कंपनी को लागू होने वाले दरों पर दिया गया जो नीलाम की दरों से कम थी।

1971-72 में औद्योगिक इकाइयों को लीसा रु० 220.46 प्रति कुन्तल की दर से दिया गया जो कि 70-71 में कुमाऊं तथा गढ़वाल वृत्तों में नीलाम में प्राप्त हुये औसत दर के बराबर थी। इसका ब्योरा संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 956 पर।)

श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष भर में कितना लीसा प्राप्त होता है और उसका कितना प्रतिशत इन औद्योगिक इकाइयों को दिया जाता है ?

श्री अजीतप्रताप सिंह--

यह सूचना तो इस समय नहीं है क्योंकि प्रश्न केवल रेट्स के बारे में ही पूछा गया था।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

ऊपर से ऐसा मालूम हुआ कि नीलाम में जो लीसा बेचा गया वह दर ज्यादा है, करीब 222 रुपये हैं और जो इन औद्योगिक इकाइयों को दिया जाता है वह करीब 170-180 रुपये है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्री जी के विभाग में क्या कोई ऐसी मशीनरी है जो यह देख सके कि इन औद्योगिक इकाइयों द्वारा लीसे का दुरुपयोग नहीं होता है, अर्थात् उसको ब्लैक में दूसरी जगह कहीं नहीं बेचा जाता है।

श्री अजीत प्रताप सिंह--

मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि लीसे का दुरुपयोग होता है। अगर कोई सूचना माननीय सदस्य देंगे तो उसको लीसा देना हम बन्द कर देंगे।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मैंने यह पूछा था कि आपके विभाग में क्या कोई ऐसी मशीनरी है जो यह देख सके कि लीसे का दुरुपयोग नहीं होता है।

श्री अजीतप्रताप सिंह--

इसके लिये अलग से कोई मशीनरी नहीं है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--

आई० टी० आर० को तथा दूसरी इकाइयों को जो लीसा दिया जाता है उन दोनों में फर्क क्या है ? और इन औद्योगिक इकाइयों की उपलब्धि क्या है ? क्या यह घाटा दिखाती हैं या नफे पर चलती हैं ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

श्रीमन् यह जो औद्योगिक इकाइयां हैं इनके लिये जो समितियां बनी हैं और जो उनकी संस्तुतियां हैं उसी के हिसाब से दिया जाता है।

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)--

श्रीमन् क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि आई० टी० आर० को सस्ते दामों पर लीसा देने के बावजूद लाखों रुपये का घाटा कम्पनी को हो रहा है। माननीय उद्योग मंत्री इस बारे में बता सकेंगे कि कम्पनी का घाटा क्यों हो रहा है। इसलिये आप इस कम्पनी को लीसा सस्ते दामों पर न देंगे और किसी और कम्पनी को इसकी जगह पर लीसा देंगे ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

श्रीमन् उद्योग मंत्री जी से पूछा जाय कि घाटा हो रहा है कि नहीं और जब घाटे की बात होगी और उनकी सिफारिश होगी तो नहीं देंगे।

श्री हरीश कुमार गंगवार--

श्रीमन्, मंत्री जी रिकर्ड्स को देखें तो पता चल जायगा कि 170-180 रुपये पर लीसा देने के बाद भी घाटा हो रहा है। इसलिये इसको लीसा न दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष--

इसका जवाब दिया जा चुका है कि यदि घाटा होगा तो रोक दिया जायगा।

श्री अजीत प्रताप सिंह---

मेरी जहां तक जानकारी है, वहां पर घाटा नहीं है ।

श्री गोविन्द सिंह मेहरा (जिला अल्मोड़ा)---

मान्यवर, जो लीसा दिया जाता है वह वन विभाग का है या पंचायत विभाग का ?

श्री अजीत प्रताप सिंह---

पंचायत विभाग का ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)---

माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित श्रीमन् मेरा प्रश्न है। आपने यह स्वीकार किया है कि नीलाम की दर और एक नियत की दर होती है। तो क्या आप इस दर को तय करते हैं या कहीं से निर्धारित कराते हैं। यह आपकी नियत दर क्या है और कैसे इसका निर्धारण होता है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह---

श्रीमन्, यह कीमत जो होती है आक्शन करके तय करते हैं ।

श्री दया किशन पांडेय (जिला पिथौरागढ़)---

श्रीमन्, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह लीसा दो दरों पर क्यों बेचा जाता है ? किस कारण से यह दो दरें नियत की गयीं हैं। ऐसी कौन सी मशीनरी है कि जो इन्डस्ट्रिलिस्ट, सोसाइटीज और गवर्नमेन्ट को सस्ते रेट पर देती है और क्यों देती है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह---

श्रीमन्, वहां पर जो लोकल इकाइयां हैं उनको कन्शेशनल रेट्स पर देना पड़ता है और वहां आक्शन करके दाम निर्धारित करते हैं ।

*7---श्री शिवानन्द नौटियाल---

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त] ।

भूमि विकास कर से होने वाली आय और ग्रामीण विकास निधि समिति का गठन

*8---श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)---

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश किसानों पर आरोपित भूमि विकास कर से होने वाली आय को ग्रामीण विकास पर व्यय किये जाने की योजना घोषित की गई थी? यदि हां, तो उल्लिखित कर लगाये जाने से मार्च, 1974 तक कितनी आय इस कर से हुई?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

कोई घोषणा नहीं की गई वरन् इस प्रकार का प्राविधान उत्तर प्रदेश भूमि विकास कर अधिनियम, 1972 की धारा 5 में ही विद्यमान है। उल्लिखित दिनांक तक भूमि विकास कर से अनुमानतः 16,67,65,900 रु0 की धनराशि प्राप्त हुई ।

*9---श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (अनुपस्थित)---

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में ग्रामीण विकास निधि समिति का गठन हो गया है ? यदि हां, तो कब किया गया ? इसके सदस्य कौन-कौन हैं तथा समिति गठन से अब तक इसके द्वारा क्या कार्य किये गये ?

नोट---तारांकित प्रश्न संख्या 8 व 9 श्री त्रिवेणी सहाय ने पूछे ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

जी हां। ग्रामीण विकास निधि समिति दिनांक 27 अप्रैल, 1974 को गठित की गई थी। इस समिति के सभापति राजस्व मंत्री हैं तथा सिंचाई, चिकित्सा, सार्वजनिक निर्माण, स्वायत्त शासन, विद्युत, राजस्व, वित्त एवं नियोजन विभागों के सचिवगण सदस्य हैं। उक्त समिति की पहली बैठक दिनांक 30 मई, 1974 को हुई जिसमें योजनाओं के तैयार करने की प्रक्रिया आदि प्रश्नों पर विचार करके निर्णय लिये गये।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)---

सन् 72 के ऐक्ट में प्रविधान है कि यह पैसा ग्राम विकास निधि में खर्च किया जायगा, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह 16 करोड़ रुपया जमा हुआ है, उसमें समिति बनाने के पहले कितना पैसा खर्च किया गया और किन-किन योजनाओं पर किन-किन जिलों में खर्च किया गया?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

इसका अभी खर्च कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि इस बारे में महालेखापाल से लिखा-पढ़ी चल रही है कि यह किस निधि में जमा हो और कैसे इसका और सब हो।

श्री भीखालाल---

क्या माननीय राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो कमेटी की मीटिंग 30 मई को हुई थी उसने क्या निश्चय किया है, किन-किन मदों पर यह रुपया ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च होगा, उसका प्रारूप तैयार हुआ है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

उसमें अलग-अलग विभागों को रुपया अलाट करने पर विचार किया गया है। सिंचाई विभाग को 3 करोड़, सिंचाई योजनाओं के लिये, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाओं लिये 2 करोड़, सड़कों व पुलियों के लिये 2 करोड़, विद्युतीकरण योजनाओं के लिये 1 करोड़, पेय-जल योजना के लिये 2 करोड़। इस तरह से इतना रुपया अभी अलाट करने का विचार किया गया है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

क्या माननीय मंत्री इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि सड़कों की बहुत आवश्यकता है, बचा हुआ जो रुपया है सड़कों की मद में देने पर विचार करेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

पी0 डब्लू0 डी0 को जो अलाट करने का विचार है दो करोड़, उतना ही ग्रामीण सड़कों पर जो स्कीमों में हैं वही खर्च हो सकता है।

श्री राममूर्ति (जिला बरेली)---

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो योजना तैयार की गयी है उसका लिटरेचर तैयार कराकर इस सदन के माननीय सदस्यों को दिलवायेंगे ताकि अपने जनपद में आपके अफसरों की मदद करें और आगे का काम आसानी से चल सकें?

श्री अध्यक्ष---

(श्री वीरेन्द्र वर्मा से) माननीय वर्मा जी, राजस्व मन्त्री को बुलाया है, तो आप उधर से चले जाते हैं। अब जा सकते हैं, लौटने की जरूरत नहीं है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

इधर कोई खड़ा नहीं था ।

श्री अध्यक्ष--

नहीं राजस्व, मन्त्री....

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

मैंने समझा "बाबा जी" कह रहे हैं ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

श्रीमन्, मैं शायद समझा यह हूं, माननीय सदस्य का प्रश्न यह है कि उस मीटिंग में तय हुआ है वह माननीय सदस्यों को दे दिया जाय।

श्री राममूर्ति--

कोई योजना है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

विभाग अपनी योजना बनायेंगे जो कमेटी के पास भेजेंगे ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव--

यह जो रुपया दिया जा रहा है विभागों को, गांवों के किन कामों में लगाया जायगा, बड़े-बड़े कामों में लगा दिया जायगा या गांव के छोटे-छोटे कामों में लगाया जायगा ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जो विभाग सम्बन्धित है, जिसको जो रुपया देने का विचार है उतने रुपये की वह विभाग योजना बनायेगा, जो और विभाग है प्लानिंग उससे रेकमेंड होकर फिर आयेगा, तब कमेटी पास करेगी और उस रुपये से, जो कार्य हैं वही कार्य प्रणाली क्षेत्रों में होंगे ।

श्री शिवचरन लाल--

(माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा था) प्रदेश में सड़कों की हालत बहुत गम्भीर है । यह स्वीकार करते हुए कि डेढ़ हजार जन-संख्या के ऊपर गांवों को सड़क से जोड़ दिया जायगा, यह रुपया उन सड़कों पर ज्यादा खर्च करें जो ग्रामीण जनता.....

श्री अध्यक्ष--

(माननीय असरार अहमद से) जो माननीय सदस्य बातें कर रहे हैं वह उधर से क्रास करके आये हैं ।

श्री शिवचरन लाल--

आप समझे ही नहीं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

आपने कोई प्रश्न नहीं किया ।

श्री शिवचरन लाल--

जो 16 करोड़ रुपया बतलाते हैं सड़कों के निर्माण के लिए है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो दुर्दशा है, 19/1 का राज्य और केन्द्र का प्रस्ताव है, डेढ़ हजार जनसंख्या से ऊपर वाले गांवों को तीन या छपांच मील सड़क से जोड़ दिया जायगा, जिला आगरा में 10 हजार की जनसंख्या वाले गांव हैं, सड़क नहीं हैं, वहां रुपया लगाने का इरादा है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

माननीय सदस्य इस स्कीम को समझे नहीं हैं । जिस विभाग को जो रुपया देने का विचार है वह विभाग अपनी योजना बनायेगा, कहां तक सड़क बननी है, कहां कितने मील की हैं और इस कमेटी से जो विभाग तय करेगा सड़कें वही बन सकेंगी ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि भूमि विकास कर ऐक्ट के अन्तर्गत नियम है कि जो कर का रुपया इकट्ठा होगा उससे दुगना रुपया सरकार देगी तो सरकार ने कितना रुपया दिया है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, ऐसा कोई प्राविधान नहीं है कि जितना विकास कर का रुपया इकट्ठा होगा उतना ही सरकार देगी ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

इस विकास का रुपया जो अलग-अलग विभागों को आवंटन किया है उसको कोई योजना बनाकर किया है या वैसे ही कर दिया है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

रुपये का आवंटन करना इस कमेटी का काम है और योजना बनाने का विभाग का कार्य है जिसको रुपया दिया जावेगा ।

श्री प्रेमदत्त (जिला फतेहपुर)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो यह रुपया है उसे बी०डी०सी० के प्रस्ताव के अनुसार रुपया खर्च करेंगे ताकि ग्रामीण अंचल का विकास हो सके ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, संबंधित विभाग को बी०डी०सी० को प्रस्ताव भेजना चाहिये कि वह उस पर विचार कर सके ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो योजना बन रही है उसकी जानकारी माननीय सदस्यों को होगी या रुपया खर्च होने के बाद होगी ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

यह जो ग्रामीण विकास निधि समिति है उसमें मंत्रीजी के सिवाय सभी सरकारी अधिकारी हैं उसको जन-प्रतिनिधित्व का स्वरूप देने के लिये माननीय सदस्यों को इस समिति का सदस्य बनायेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

माननीय सदस्य का सुझाव अच्छा है । इस पर जरूर विचार किया जायगा ।

श्री राममूर्ति—

मान्यवर, इस कर से 16 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ है जो बड़ी भारी निधि है और प्रदेश के हित में मंत्री जी ब्योरेवार लिस्ट तैयार करें और माननीय सदस्यों को दें जिससे जनपद में यह सहायता कर सकें और देखें कि आवंटन ठीक हुआ या नहीं और सही तौर पर खर्चा हो रहा है या नहीं ?

श्री स्वामीप्रसाद सिंह—

श्रीमन्, हमारे बुजुर्ग सदस्य का सुझाव अच्छा है। इस पर जरूर विचार किया जायेगा। उनका काफी अनुभव है उसके अनुसार काम किया जायगा।

श्री जंगबहादुर (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, यह खेती से संबंधित कर है क्या मंत्री जी डाक्टर लोहिया के सुझाव के अनुसार परती जमीन को अन्न सेना द्वारा तुड़वा कर बेकार लोगों को उस जमीन पर बसाने की कृपा करेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि जिस विभाग को रुपया एलाट करने का विचार है वह स्कीम बनायेगा और कमेटी उसको मंजूर करेगी और परती जमीन को अन्न सेना द्वारा तुड़वायें, तो अन्न सेना कहीं नहीं है।

श्री जंगबहादुर (जिला बाराबंकी)—

अध्यक्ष महोदय, लोग बेकार हैं और परती जमीन पड़ी हुई है तो ऐसे लोगों की एक सेना बनाकर परती जमीन तुड़वायें और जो इसका कर का रुपया है उसको इस काम में खर्च करने में आपको क्या आपत्ति है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

माननीय सदस्य की स्कीम बहुत विशाल है वह उसे लिखकर भेज दें तो उस पर विचार कराऊंगा।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

माननीय वित्त मंत्री से वह स्कीम मंगा लें क्योंकि उन्होंने लैन्ड आर्मी का जिक्र किया है।

*10—चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

[माननीय मंत्री के अनुरोध पर 8वें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या 9 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*11—श्री शिव प्रसाद (जिला आजमगढ़)—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।]

*12—श्री ऊदल—

[माननीय मंत्री जी के अनुरोध पर 8वें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या 10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

स्वतंत्रता सेनानी श्री शोभाराम चन्द्रबंशी, बटेश्वर (आगरा) तथा उनके पुत्रों द्वारा भूमि अलाट किय जाने के संबंध में प्रार्थना-पत्र

*13—श्री हरीश कुमार गंगवार—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि 16 वर्ष की अंग्रेजों द्वारा प्रदत्त जेल की सजा काटे हुए अपनी समस्त चल अचल संपत्ति जब्त कराये हुए स्वतंत्रता सेनानी श्री शोभाराम चन्द्रवंशी पुत्र श्री बृजलाल निवासी बटेश्वर जिला आगरा के पुत्रों सर्वश्री लाखन सिंह, रनवीर सिंह, शिवराज सिंह, उदयभान सिंह, किशन सिंह ने 1973 व 1974 में सहायता रुप में भूमि अलाट किये जाने अथवा अन्य सहायता किये जाने के संबंध में प्रार्थना-पत्र प्रदेश सरकार को दिये ? यदि हां, तो कितने प्रार्थना-पत्र उक्त व्यक्तियों से प्राप्त हुए तथा उन पर कोई कार्यवाही न किये जाने के कारण क्या हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

वर्ष 1973 तथा 1974 में श्री शोभाराम चन्द्रवंशी एवं उनके पुत्रों श्री लाखन सिंह आदि ने दो प्रार्थना-पत्र गांव मठैरा और तहसील बाह में अन्य कहीं कृषि हेतु भूमि आवंटन के लिये जिलाधिकारी, आगरा के यहां दिये थे। परन्तु उस समय किसी भी गांव में गांव सभा की भूमि गांव के क्षेत्रफल के 8 प्रतिशत से अधिक न होने के कारण प्रार्थीगण को भूमि आवंटित नहीं की जा सकी। जिलाधिकारी द्वारा प्रार्थीगण को स्थिति से अवगत करा दिया गया था। अन्य सहायता का कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ और न राजस्व विभाग कोई अन्य सहायता कर सकता है।

श्री हरीश कुमार गंगवार---

माननीय मंत्री जी यह देखते हुए कि इस स्वतंत्रता सेनानी ने 16 वर्ष तो जेल में काटे और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई है। उसके आश्रितों के पास वहां 8 प्रतिशत से भूमि अधिक नहीं है तो क्या मंत्री जी उनको किसी और स्थान पर भूमि देने की कृपा करेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

श्रीमन्, नियम के अनुसार यदि स्वतंत्रता सेनानी को पेंशन मिलती है तो उसको कहीं भी भूमि देने का प्राविधान नहीं है। इनको 200 रु0 प्रति मास पेंशन मिलती है।

श्री त्रिवेणी सहाय---

श्रीमन, स्वतंत्रता सेनानी को काफी दिन जेल में रहना पड़ा जिसके कारण उसकी भूमि पर अन्य लोग काबिज हो गये। तो श्रीमन् जमींदारी ऐक्ट के अनुसार जिस तरह अंधे, लंगड़े लोगों को जमीन दी गई तो क्या मंत्री महोदय उसी प्रकार स्वतंत्रता सेनानियों के लिये भी जो जेल में रहे हैं, ऐक्ट में प्राविधान करायेंगे तथा इस बात की जांच करायेंगे कि जो लोग उनकी भूमि पर काबिज हो गये हैं उसको खाली कराने की भी व्यवस्था करायेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

अभी सरकार के विचाराधीन ऐसी कोई बात नहीं है। जिनको पेंशन मिलती है उनको भूमि नहीं मिलेगी। वे लोग प्रायरिटी में नहीं आते हैं।

सरदार कुलतार सिंह (जिला सहारनपुर)---

जब मान्यवर, उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई और वह वापस नहीं की गई तो उनकी जमीन वापस की जाय अथवा उनको जमीन एलाट की जाय।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

इस तरह का कोई विचार नहीं है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

मान्यवर, अगर स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन मिलती है तो उनको जमीन नहीं मिलेगी। तो फिर ऐसे आदेश क्यों किये गये कि स्वतंत्रता सेनानियों को जमीन के बंटवारे में वारीयता दी जायेगी ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री ऊदल---

मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों को 80 प्रतिशत इस सरकार ने पेंशन भी दी है और नैनीताल के तराई इलाके में जमीन भी दी है। क्या मंत्री जी यह सही है और क्या इसकी जांच करायेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

श्रीमन्, जब से प्राइरिटी फिक्स हुई है तब से कोई भी माननीय सदस्य ऐसा उदाहरण नहीं बता सकते हैं। हो सकता है कि यह जमीनें पहले की दी हुई हों। यदि माननीय सदस्य लिखकर देंगे तो इसकी जांच करा लेंगे।

श्री हिम्मत सिंह--

8 प्रतिशत से उस गांव सभा की जमीन कम है तो जो जमीन कम है उस जमीन को आसामी के रूप में क्या उन स्वतंत्रता सेनानियों को उठाने की कृपा करेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री हरीश कुमार गंगवार--

क्या माननीय मंत्री जी इस प्रकार का प्राविधान करेंगे कि जो संपत्ति उनकी जब्त की गई है उसको वापिस करायेंगे ? क्योंकि अंग्रेजों ने उनकी भूमि को जब्त कराई थी। परन्तु अब स्वतंत्र देश है तो उनकी भूमि को या तो वापिस किया जाय या उनको मुआविजा क्या आप दिलायेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

श्रीमन्, मैंने अर्ज किया कि राजस्व विभाग में सिर्फ इतना है कि उनको पट्टे का आबंटन कर दिया जाय। प्राइरिटी फिक्स होने से पहले किसी को हो सकता है कि पट्टा भी दिया गया हो और बाद में पेंशन भी मिलने लगी हो। अब जो प्राइरिटी फिक्स हुई है उसके बाद जिनको पेंशन मिल चुकी है उनको जमीन का आवंटन नहीं किया जायगा।

*14--श्री ऊदल--

[6वें गुरुवार में प्रश्न 47 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

शहरी क्षेत्रों में जमींदारी प्रथा समाप्त करने पर विचार

*15--श्री राम लखन (जिला इटावा)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह शहरी क्षेत्र में जमींदारी प्रथा समाप्त करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो यह प्रथा कब तक समाप्त कर दी जायगी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जी हां। शहरी क्षेत्रों में स्थित कृषि क्षेत्रों पर और जमींदारी व्यवस्था उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1956 के प्राविधानों के अधीन समाप्त की जा चुकी है। कृषि क्षेत्रों के अतिरिक्त भूमि पर जमींदारी प्रथा समाप्त करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। विषय गंभीर होने के कारण अंतिम निर्णय लेने में कुछ समय का लगना स्वाभाविक है। कोई नियत तिथि देना संभव नहीं।

श्री राम लखन (इटावा)--

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि शहरी क्षेत्र में जमींदारी कब तक समाप्त हो जायगी ?

श्री अध्यक्ष--

इसका उत्तर तो दे दिया है।

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)--

जहां की समाप्त हो गई है क्या वहां नक्शे बन चुके हैं क्या उसी के अनुरूप अभिलेखों में सुधार कर लिया गया है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जरूर कर लिया गया होगा।

सरदार कुलतार सिंह--

जो लोग 20 गुना जमा करना चाहते हों तो क्या उन्हें वह सुविधा है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

नागर क्षेत्र में तो अभी यह समाप्त नहीं हुई है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

हमारे यहां पूरबी जिलों के शहरों में जमीन का भाव बढ़ता जा रहा है। बलिया में एक ही आदमी पूरे शहर का जमीदार है और 1 -1 हजार रुपये में जमीन बेच रहा है। कांग्रेस की नीति है कि शहरी संपत्ति पर सीमा लगायी जायगी और समाजवादी व्यवस्था कायम की जायगी तो इन उद्घोषित नीतियों को ध्यान में रखते हुए क्या दिक्कत है शहरी जमींदारी जल्दी समाप्त करने में ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

दिक्कत कई मसलों में है। अभी उसका संभव समय बताना भी मुश्किल है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

शहरी संपत्ति की सीमा बढ़ती जा रही है। लोग मुनाफा कमा रहे हैं। ये लोग बराबर सामंती व्यवस्था कायम रखने में सहायक हो रहे हैं। वे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से शहरी जमींदारी समाप्त करने में दिक्कत हो रही है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

इस विषय में कई पहलू हैं। नागर क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र से अतिरिक्त अन्य भूमि पर जमीदारी विनाश की दिशा में अधिनियम केवल महाल के अधीन क्षेत्रों पर लागू किया जाय अथवा महाल के बाहर के क्षेत्र में भी लागू किया जाय। दूसरा यह कि मध्यवर्ती की परिभाषा क्या रखी जाय। तीसरा यह कि भूमि के काबिजान को क्या अधिकार दिये जायं। सार्वजनिक प्रयोजनों के भूमि में भी लोगों के क्या अधिकार रखे जायें। चौथा यह कि मध्यवर्तियों को देय प्रतिकर के विषय में क्या सिद्धांत अपनाये जायें। पांचवां यह कि अभिलेखों की दशा बहुत खराब है। इसे अध्यावधिक करने हेतु क्या व्यवस्था की जाय।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि विचार करने में कितना समय और लगेगा।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

श्रीमन्, समय का बताना इस समय कठिन होगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सन् 1954 में जमींदारी विनाश का कानून पास हुआ। और यह 1974 है। मैं जानना चाहता हूं कि जिन

मुद्दों को अभी मंत्री जी ने पढ़कर सुनाया है, और जिन पर 20 वर्षों में विचार नहीं हुआ। तो क्या उन मुद्दों पर अगले 20 वर्षों तक विचार हो जायेगा ?

श्री अध्यक्ष--

अब अगले 20 वर्षों की बात वह कैसे बता सकते हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, क्या मंत्री जी को शहरी जमींदारी खत्म करने में इसलिये दिक्कत हो रही है, क्योंकि सभी शहरी जमींदार सत्तादल के सदस्य हो गये हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जी नहीं।

श्री हरीश कुमार गंगवार--

मान्यवर, मंत्री जी हर प्रश्न का उत्तर 'न' 'न' में देते हैं, इसलिये क्या वह मेरा सुझाव स्वीकार करेंगे कि वह अपना नाम 'न-न' मंत्री रख लें।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

मान्यवर, ऐसा प्रश्न ही करते हैं कि जिसका उत्तर न में होता है।

श्री अब्दुर रऊफ लारी--

मान्यवर, शहरी क्षेत्रों में कृषि की जमीन पर जमींदारी खत्म कर दी है लेकिन अकृषि की नहीं खत्म की है। मंत्री जी कम से कम इतना कर दें कि अकृषि की जमींदारी भी जल्द से जल्द खत्म कर दें ताकि वहां की जनता को राहत पहुंचे।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री काशीनाथ मिश्र--

20सों कठिनाइयां हैं, इसलिये समय लगेगा, यह मैं समझता हूं। तो मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक शहरी क्षेत्र की जमींदारी खत्म न करें, कृपया सरकार यह आदेश जारी कर दे कि जो पुराने जमींदार अपनी जमीन ऊंचे दामों पर बेंच रहे हैं, वह पट्टा और रजिस्ट्री बन्द कर दी जाय ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

मान्यवर, माननीय सदस्य के इस सुझाव पर विचार किया जा सकता है।

श्री हिम्मत सिंह--

मान्यवर, मा० उदित नारायण शर्मा जी, जो बुन्देलखंड से आते हैं, जब राजस्व मंत्री थे, तो इसी सदन में आश्वासन दिया था सीलिंग बिल के पास होने के वक्त पर कि हम शहरी संपत्ति को साथ-साथ लेंगे। उस बिल का क्या हुआ ? उसी बिल पर सारा मामला आधारित है।

श्री अध्यक्ष--

आप सीधा प्रश्न करें, बुन्देलखंड से आते थे, यह कहने की जरूरत नहीं।

श्री हिम्मत सिंह--

मान्यवर, इसी माननीय सदन में दिवंगत राजस्व मंत्री शहरी संपत्ति का बिल शीघ्र लाने का आश्वासन दिया था। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह बिल विचाराधीन है ? अगर है, तो कब तक लायेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

अभी भी विचाराधीन है, ऐसा नहीं है कि उसे नहीं करना है।

श्री रघुवीर—

मान्यवर, नोटीफाइड और टाउन एरिया में जहां पर जमींदारी उन्मूलन किया है, वहां मजरुआ जमीन तो तोड़ दी हैं लेकिन गैर-मजरुआ जमीन अब तक नहीं तोड़ी गयी है। तो क्या माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि वह गैर-मजरुआ जमीन भी जल्द से जल्द तोड़ दी जाय ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मजरुआ अगर एक साल में परती हो जाय तो वह गैर-मजरुआ हो जाती है।

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)—

शहरों के अन्दर अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जिनको जमींदार लीज पर दिये हुए हैं। लोग उन जमीनों पर 80-100 साल से मकान बना कर रह रहे हैं। अब जमींदार उनको बेदखल कर रहे हैं कोर्ट के जरिये से। क्या सरकार कोई प्रबन्ध कर रही है ताकि जमींदारों को रोका जा सके।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

माननीय सदस्य लिखकर अपनी शिकायत भेज दें। उसे देख लिया जायगा।

श्री जंगबहादुर (जिला बाराबंकी)—

जो प्लाट जमींदारों तथा राजाओं के पड़े हुए थे और जो उनके मकान किराये पर उठे हुए हैं तो क्या जमीन की तरह मकानों और प्लाटों पर से भी जमींदारी तोड़ने की सरकार कोशिश करेगी ?

श्री अध्यक्ष—

शहरी सम्पत्ति में यह सब आता है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

माननीय मन्त्री जी ने उत्तर देते हुए कहा कि जो समस्यायें उनके सामने हैं उन पर वह विचार कर रहे हैं। काशीनाथ ने प्रश्न किया था कि जब तक उन पर विचार हो रहा है तब तक उनका हस्तांतरण न हो, उनको रोका जाय तो उसके लिये सरकार क्या कर रही है, उस पर भी विचार करेगी ? दूसरा प्रश्न मैं यह पूछना चाहता हूं कि कब तक समय लगेगा इस पर अन्तिम निर्णय लेने के लिये ताकि उसके हस्तान्तरण को रोका जाय ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

समय बतलाना मुश्किल है।

*16—श्री राम लाल अहेरवार (जिला फर्रुखाबाद)—

[माननीय मन्त्री के अनुरोध पर 8वें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या 11 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*17-18—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

[माननीय मन्त्री के अनुरोध पर 8वें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या 12-13 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बदायूं जिले में अग्निकांड से क्षति एवं तकावी का वितरण

*19—श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी जनवरी, 1974 से मई, 1974 तक बदायूं जिले में किन-किन जगहों में आग लगने के वाकियात हुए किस जगह पर कितना व किस किस्म का नुक्सान हुआ, जिला अधिकारियों ने अब तक क्या सहूलियतें प्रदान की तथा सरकार किस प्रकार की सहायता, अनुदान व तकावी पीड़ित लोगों को देने का विचार कर रही?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जनवरी, 74 से मई, 74 तक बदायूं जिले की विभिन्न तहसीलों में अग्नि दुर्घटना से हुई क्षति का विवरण इस प्रकार है:—

नाम तहसील		प्रभावित ग्रामों की संख्या	सम्पत्ति की अनुमानित क्षति (रु०)	जीवन हानि	
				मनुष्य	पशु
बदायूं	..	68	6,60,584	3	63
सहसवान	..	85	7,63,892	..	..
गुन्नौर	..	51	1,03,911	..	9
दातागंज	..	56	5,10,816	..	..
बसौली	..	24	89,143	1	7
योग	..	284	21,28,346	4	79

प्रभावित व्यक्तियों को सहायता हेतु 58,965 रु० निःशुल्क सहायता तथा 11,850 रु० तकावी के रूप में वितरित किया गया। तकावी वितरित करने की कार्यवाही अब भी जारी है। सहायता योग्य मामलों के नियमानुसार मालगुजारी आदि में छूट अथवा स्थगन की सुविधा भी स्वीकृत की जायगी।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

अध्यक्ष महोदय, मैंने तो यह पूछा था कि किस-किस जगह पर कितनी-कितनी तकावी बांटी गई। मन्त्री जी ने सिर्फ तहसील का दे दिया। तो वे बतायें कि जो लगभग 284 गांव हैं उनमें से कितने गांवों को दे दिया और कितने गांवों को देना बाकी है?

श्री अध्यक्ष—

यह ब्योरे का प्रश्न है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

उन्होंने तो इसे स्वीकार कर लिया है किन्तु कम से कम इतना तो मालूम हो जाय कि इतने गांवों को मिल गया और इतने गांवों को सहायता नहीं मिली। आपने कह दिया कि तकावी बांटने का काम अभी जारी है.....

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

मान्यवर, यह लिस्ट लम्बी है। माननीय सदस्य कोई निश्चित तहसील या गांव बता दें तो मैं उनको उसके बारे में बता दूं।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

284 गांवों में आप इतना तो बता दें कि 68, 85 या 56 गांवों को तकावी दे दी गई है और बाकी को नहीं मिली हैं ?

श्री अध्यक्ष---

आप मन्त्री जी के यहां जाकर देख लें। क्योंकि 284 गांव हैं।

श्री मुहम्मद असरार अहमद---

यही बता दें कि इतने गांवों को दे दी और इतने को नहीं मिली।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

किन गांवों का एक नाम तो बता दें।

श्री मुहम्मद असरार अहमद---

जो 21 लाख 28 हजार की क्षति हुई है उसमें आपने सिर्फ 60 हजार रुपये की पूर्ति कर दी बाकी लोग क्या मन्त्री जी की कोठी में आकर खाना खायेंगे?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

असरार भाई के यहां मुर्गा खायेंगे।

श्री मुहम्मद असरार अहमद---

अध्यक्ष महोदय, 4महीने हो गये, बरसात का सीजन आने वाला है तब क्या स्थिति होगी यह तो बतायें कि कितना रुपया वितरित होना बाकी है और कितना स्वीकृत हुआ है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

मान्यवर, बड़े अफसोस की बात है कि माननीय सदस्य प्रश्न तो करना चाहते नहीं हैं क्योंकि उनको इल्म नहीं। जब मैंने कह दिया कि वे किसी तहसील या गांव का नाम बता दें जिसमें उनको सुबहा हो तो मैं उसके सम्बन्ध में बता दूं। मेरे पास गांवों की लम्बी लिस्ट है उसे माननीय सदस्य देख सकते हैं। मैं पूरे जिले की बता सकता हूं। जिला बदायूं में 21,28,346 का नुकसान हुआ है। 4 मनुष्य मरे हैं, 79 पशु मरे और उस हेतु 58,935 अहेतुक सहायता बांटी गई तथा 11,850 तकावी दी गई। तकावी बांटने का काम अभी भी जारी है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद---

कितनी धनराशि बांटनी बाकी है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

बाकी का प्रश्न नहीं है। जितना रुपया हम बांट सकते हैं, बांट रहे हैं।

(व्यवधान)

भड़भड़ाहट में कुछ सुनाई नहीं दिया। माननीय सदस्य फिर से प्रश्न करें।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)---

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि टाइम इतना हो चुका किन्तु रुपया अभी तक तकसीम नहीं हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ जैसा कि अभी तक करते आये हैं कि सरकार की तरफ से रुपया आता है और तकसीम नहीं होता है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद---

यह बतायें कि जिलाधिकारी के पास कितना पया है जो वितरण होने के लिये बाकी है?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

श्रीमन्, मैं किसके प्रश्न का उत्तर दूं?

श्री अध्यक्ष---

श्री बर्क का।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

देर कहां हुई, रुपया बंट रहा है, रुपया कई लाख बंटेगा एक दिन में तो बंटेगा नहीं। माननीय सदस्य को मालूम हो कि रुपये की कमी नहीं है। जिस दिन डी० एम० जरूरत समझता है, वायरलेस से रुपया पहुंच जाता है।

श्री धीरेन्द्र सहाय (जिला पीलीभीत)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिस प्रकार से रेल दुर्घटना और हवाई जहाज दुर्घटना में घायल लोगों को कम्पेनसेशन दिया जाता है, उस प्रकार से इन लोगों को भी देने की कृपा करेंगे?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

ऐसा कोई विचार नहीं है, केवल उसके नुकसान की तो सम्पूर्ति की जा सकती है।

श्री त्रिवेणी सहाय---

इस प्रकार की घटनाओं में पुराने रूल के अनुसार केवल 50 और 100 रुपये देने का ही प्राविधान है जबकि आज की महंगाई में 20 बांस ही 100 के होंगे, तो इसको ध्यान में रखते हुए क्या सरकार 100 रुपये से अधिक देने पर बिचार करेगी?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

इस सम्बन्ध में कई तरीके के रूल्स हैं। 100 रुपये की अहेतुक सहायता दी जाती है और कच्चे मकान के लिये 200 तथा पक्के मकान के लिए 300 रुपये दिये जाते हैं। एक्चुअल नुकसान की पूर्ति नहीं हो सकती है।

(अगला प्रश्न लेने पर)

श्री मुहम्मद असरार अहमद---

मेरे प्रश्न का तो उत्तर श्रीमन् दिला दें।

श्री काशीनाथ मिश्र---

माननीय सदस्य तो ऐसे प्रश्न कर रहे हैं जैसे मन्त्री जी पर उनका कोई कर्जा बाकी हो।

(व्यवधान)

श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

नहीं तो क्या यह कांग्रेस की बपौती है और सदस्य महोदय के घर से जा रहा है ?

अतारांकित प्रश्न

1--श्री शिवानन्द नौटियाल--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

2--श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)--

[माननीय मन्त्री के अनुरोध पर 8वें मंगलवार के लिये अतारांकित प्रश्न संख्या 7 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

3--श्री त्रिवेणी सहाय--

[माननीय मन्त्री के अनुरोध पर 8वें मंगलवार के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (प्रमुखों तथा उप-प्रमुखों के निर्वाचन और निर्वाचन विवादों के निपटारे की) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1973† तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (प्रमुखों तथा उप-प्रमुखों के निर्वाचन और निर्वाचन विवादों के निपटारे की) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1973†

सामुदायिक विकास मन्त्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)--

मान्यवर, मैं पंचायती राज अनुभाग--2 की (क) अधिसूचना संख्या 456-बी/33-215-72, दिनांक 17 फरवरी, 1973 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (प्रमुखों तथा उप-प्रमुखोंके निर्वाचन और निर्वाचन विवादों के निपटारे की) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1973 तथा (ख) अधिसूचना संख्या 957-बी/33-1973, दिनांक 21 मार्च, 1973 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश समिति (प्रमुखों तथा उप-प्रमुखोंके निर्वाचन और निर्वाचन विवादों के निपटारे के) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1973 जो दिनांक 18 अप्रैल, 1973 को सदन के पटल पर रखी गयी थी और जिनके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन के विघटन के कारण पूरी नहीं हुई, को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 237 की उपधारा (3) के अनुसार पुनः सदन के पटल पर रखता हूं ।

श्री ऊदल द्वारा विधान परिषद् में कहीं गयी कुछ बातों के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य ऊदल ने दूसरे सदन में तथाकथित किसी बातको लेकर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया है । जैसा कि मैं कल कह चुका हूं यह एक मान्य संसदीय परम्परा है और जिसका उल्लेख कौल तथा शकधर की पुस्तक "संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार" के पृष्ठ 270-271 पर भी किया गया है कि "दूसरे सदन में सदस्य द्वारा या भारत के किसी राज्य

---

†छापी नहीं गई ।

के विधान मण्डल में उसके द्वारा किये गये किसी भाषण के आधार पर विशेषाधिकार भंग या सभा के अवमान का पालन नहीं बनाया जा सकता क्योंकि संसद के दोनों सदनों तथा सभी राज्य विधान मण्डलों की कार्यवाही विशेषाधिकार प्राप्त है और किसी सदन में कही गयी किसी बात के आधार पर किसी अन्य सदन में कार्यवाही नहीं की जा सकती । इसके पीछे जो सिद्धांत है, वह यह है कि किसी सदन की कार्यवाही भी विशेषाधिकार से रक्षित है और उसकी प्रमाणिकता अध्यक्ष के प्राधिकार से प्रकाशित कार्यवाही के आधार पर ही स्थापित होती है । यह सही है कि कार्यवाही का सारतः सत्य प्रतिवेदन समाचार-पत्रों आदि द्वारा प्रकाशित करने का संज्ञान नहीं लिया जाता है और इस सम्बन्ध में सदन अपने विशेषाधिकार का प्रयोग नहीं करता । अभी हाल ही में दोनों सदनों ने इस सम्बन्ध में समाचार-पत्रों को सुरक्षा देने हेतु विधेयक भी पास किया है । फिर भी समाचार-पत्र कभी-कभी शोरगुल अथवा स्पष्ट न सुनने के कारण सही प्रकाशन नहीं कर पाते हैं जिससे कि भ्रम उत्पन्न होता है । इस मामले में भी ऐसा ही हुआ है क्योंकि मैंने 3 जुलाई, 1974 की कार्यवाही देखी है और उसमें कोई ऐसी बात नहीं कही गयी है जिससे विधान परिषद् के किसी सदस्य या पीठासीन अधिकारी पर, कोई आक्षेप या आरोप कहा जा सके । मैंने स्वयं जो 3 जुलाई को बात कहीं है, वह इस प्रकार है--"अखबार में छपा है दूसरे सदन के किसी भी पीठासीन अधिकारी के लिये कुछ कहना उपयुक्त नहीं है वहां कहा गया विधान सभा के अध्यक्ष के पास कुछ आया है इसके बारे में नहीं तो यहां सवाल ही क्यों उठता ? तस्करी का सवाल विधान सभा में उठता । यह हमसे सम्बन्धित नहीं था । इसलिए मैं बार-बार सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि कोई प्रश्न उठाने के पूर्व उसकी जानकारी स्वयं कर लें और इस सम्बन्ध में कई निर्णय हो चुके हैं कि समाचार-पत्रों के आधार पर कोई विषय सदन में नहीं उठाना चाहिये ।

यह भी सर्वमान्य परम्परा रही है यदि एक सदन में किसी दूसरे सदन के प्रति कोई बात कही जाती है तो उसका निराकरण सम्बन्धित सदन के पीठासीन अधिकारी को सन्दर्भित करके उससे वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है और उसके बाद ही उस पर कोई कार्यवाही की जानी चाहिये । राज्य सभा के सम्बन्ध में लोक सभा में उसके एक सदस्य द्वारा कही गयी एक बात के सम्बन्ध में राज्य सभा और लोक सभा दोनों सदनों में एक मामला उठा था जो राज्यसभा के चेयरमैन द्वारा लोक सभा के अध्यक्ष के पास भेजा गया था । इस पर कार्यवाही करने के पश्चात् जो माननीय अध्यक्ष लोकसभा ने अभ्युक्ति की थी, वह इस प्रकार है--

"May I take this opportunity to appeal to the Hon'ble Members to use necessary restraint and not to say anything in this House, which may bring dishormony between this House and Rajya Sabha."

(मैं इस अवसर पर माननीय सदस्यों से यह भी अपील करना चाहूंगा कि वे कृपया आवश्यक संयम का प्रयोग करें और इस सदन में कोई बात ऐसी न कहें जिससे इस सदन और राज्य सभा के बीच वैमनस्य उत्पन्न होने की आशंका हो ।) ऐसा ही अनुरोध मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से भी करूंगा ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 79 में भी एक सदन के सदस्य अथवा अधिकारी या सेवक द्वारा किसी दूसरे सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना अथवा अवमान पर कार्यवाही की प्रक्रिया दी गयी है जिसके अनुसार यह भी अपेक्षित है कि यदि किसी दूसरे सदन के किसी सदस्य, अधिकारी या सेवक के बारे में विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जाय और उसे यदि प्राग्दर्शन में विशेषाधिकार अवहेलना का प्रश्न समझा जाय तो उसे सम्बन्धित सदन की कार्यवाही के लि निर्दिष्ट किया जाना चाहिये ।

अतएव, मैं इस सूचना को अस्वीकार करता हूं । एक दूसरा आया है, जिसको मैंने देखा नहीं है ।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

श्रीमन्, मेरी सूचना का क्या हुआ है ?

श्री संत सिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

अगर केरैला से कोई चिट्ठी स्वीकार की आती है तब आप क्या करेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

जो हिन्दी नहीं जानते हैं और जहां पर अंग्रेजी भाषा है, उनके लिये यह नहीं है । इस सदन के नियम हैं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की भाषा हिन्दी है और लिपि देवनागरी है । इसलिये यह इस नियम के हित में है । जब तक यह नियम है, इसका पालन होगा ।

श्री संत सिंह यूसुफ—

आप तो हिन्दी के साथ भी अत्याचार कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

आप स्वयं अपने साथ अत्याचार कर रहे हैं । जिस नियम की स्वीकृति हो गयी है, उसका निर्वहन करने के लिये आपका उत्तरदायित्व है । मैं नियम से बंधा हुआ हूं । इसलिये अंग्रेजी के पत्रों को रद्दी की टोकरी में फेंकना होगा । उनके लिये यही जगह है ।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, प्रश्नों के संबंध में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । एजैन्डे का पृष्ठ 4 आप देखें । इस पर प्रश्न संख्या 14 मेरा प्रश्न है । उसको आपने 6वें गुरुवार के लिये टाल दिया है । आज वह 14 नम्बर पर है और उस दिन 4?वें नम्बर पर आयेगा । तो कैसे काम चलेगा ?

श्री अध्यक्ष—

आप मेरे कक्ष में आ जायं । मैं कारण बता दूंगा ।

लड़कियों का अपहरण करके अनैतिक कार्य कराने वाले अन्तर प्रान्तीय गिरोह के सक्रिय होने के सम्बन्ध में वक्तव्य

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि उत्तर प्रदेश में लड़कियों का अपहरण करके उसे अनैतिक कार्य कराने का कोई व्यापार हो रहा है । किन्तु जून के प्रथम सप्ताह में सिलिगुड़ी निवासी राजेश नामक एक व्यक्ति द्वारा सिलीगुड़ी (आसाम) से दो लड़कियां भगाकर कानपुर लाने और उन्हें नगर के कतिपय होटलों व अन्य स्थानों पर रखने की सूचना प्राप्त हुई है । मौका पाकर उपरोक्त लड़कियों में से एक लड़की भागकर लखनऊ पहुंची और दिनांक 13-6-1974 को उसके द्वारा दी हुई सूचना पर थाना नाका हिंडोला, लखनऊ पर धारा 363/366/372 भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत रिपोर्ट दर्ज की गई । रिपोर्ट में राजेश व मूलचन्द्र सिन्धी दो व्यक्तियों को नामांकित किया गया था । लड़की का डाक्टरी मुआयना कराया गया । उसके उपरान्त थाना नाका हिंडोला की पुलिस दिनांक 22-6-74 को लड़की के साथ कानपुर गई और उसकी निशानदेही पर मूलचन्द्र सिन्धी के घर की तलाशी ली गई । मूलचन्द्र सिन्धी नहीं मिला परन्तु उसकी पत्नी की लकड़ी के बयान के आधार पर गिरफ्तार किया गया । दूसरी लड़की व मूलचन्द्र सिन्धी न था राजेश की तलाश में कानपुर पुलिस प्रयत्नशील रही । दिनांक 29-6-74 को कानपुर

पुलिस द्वारा दूसरी लड़की को बरामद तथा राजेश को गिरफ्तार किया गया । दोनों लड़कियों के बयानों के आधार पर उसी दिन कानपुर के एक होटल के मालिक तथा मैनेजर तथा एक अन्य होटल के मालिक को भी गिरफ्तार करके जेल भेजा गया । थाना कोतवाली कानपुर में एक मुकदमा धारा 363/366/372/374/376 भारतीय दंड विधान व धारा 3/5/6–बी सेप्रेशन आफ इम्मारल ट्रैफिक ऐक्ट के अन्तर्गत दर्ज किया गया । इस मामले की तत्परता के साथ विवेचना की जा रही है । और मूलचन्द्र सिंधी तथा प्रकाश में आये कुछ अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिये प्रयत्न भी किये जा रहे हैं ।

२—यह कहने का कोई आधार नहीं है कि पुलिस मामले का पता लगाने अथवा स्थिति नियंत्रित कर पाने में विफल रही है । यह कहना भी सत्य नहीं है कि इस कारण जनता में कोई उत्तेजना व्याप्त है अथवा शांति एवं व्यवस्था के लिये कोई संकट उत्पन्न हो गया है ।

(श्री कल्याण सिंह के खड़े होने पर)

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

यह केवल वक्तव्य के लिये था ।

श्री अध्यक्ष—

स्पष्टीकरण तो करा ही सकते हैं ।

श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जितने होटल के मालिक पकड़े गये हैं उनके नाम क्या हैं और उन होटलों के मैनेजरों के नाम क्या हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

सेन्ट्रल व्यू होटल और कंचन होटल इन दोनों होटलों के यहां कार्यवाही की गई है ।

श्री वेद प्रकाश अग्रवाल (जिला फैजाबाद)—

श्रीमन्, एक बात तो यह है कि आगरा में 42 लड़कियां जून के अन्तिम सप्ताह म पकड़ी गयी थीं । इससे ऐसा लगता है कि कोई अन्तरप्रान्तीय गिरोह है जो लड़कियों को भागने का कार्य करता है, उसके बारे में सरकार ने अब तक क्या किया है ? दूसरे, 13 तारीख को रिपोर्ट लिखायी गयी और 22 तारीख को यानी 9 दिनों के बाद पुलिस ने कार्यवाही शुरू की और कानपुर गयी जब कि अन्त प्रान्तीय गिरोह इस तरह से काम कर रहा है तब इतनी देर से कार्यवाही करने का क्या कारण है, क्या सरकार इसको बतावेगी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, जहां तक आगरे की घटना का उल्लेख है, उसके बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है और अगर माननीय सदस्य उसके लिये अलग से कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो वह मंगाकर उनको उससे अवगत कराया जा सकता है ।

जहां तक देर का प्रश्न है, मैं मानता हूं कि उसमें देर हुई है और माननीय सदस्य ने जो संकेत किया है वह सही है और इसीलिये पहले से ही यह आदेश दे दिये गये हैं कि इतनी देर क्यों हुई इसकी जांच हो और अगर कोई अधिकारी दोषी पाया जायगा तो उस दोषी अधिकारी को दंड दिया जायगा ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

यह मूलचन्द सिन्धी अभी तक फरार है, तो क्या सरकार द्वारा द फा 8) के मातहत इसके जायदाद की नीलाम व कुर्की कराई गयी बतायेगी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

अभी इसकी सूचना तो नहीं है लेकिन सुझाव अच्छा है और अगर अभी तक आदेश इस सिलसिले में नहीं हुये हैं तो मैं सलाह दूंगा कि यह भी कार्यवाही की जायगी ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

वह जो मेन मुलजिम था वह गिरफ्तार नहीं हुआ बल्कि उसकी औरत को गिरफ्तार किया गया इसलिये उसको कब तक गिरफ्तार किया जायगा क्या सरकार उस सम्बन्ध में प्रकाश डालेगी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

ऐसी कोई सूचना इस समय तक हमारे पास नहीं है ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

नियम 56 के अन्तर्गत 4 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । माननीय वेद प्रकाश जी अग्रवाल और त्रिवेणी सहाय जी ने थाना जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर में कत्ल, चोरी डकैती की भरमार क विषय में दिया है तो आप इस विषय में प्रश्न कर लें ।

अब तीन मुरादाबाद, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद तथा बरेली और बांदा जिलों में बाजारों से गेहूं गायब हो जाने से उत्पन्न कठिनाइयां तथा बांदा जिले में गेहूं की वसूली के बारे में श्री कल्याण सिंह जी, श्री ओम प्रकाश सिंह जी, श्री राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री हरिशचन्द्र खंडेलवाल, श्री सत्य प्रकाश जी, श्री जितेन्द्र कुमार अग्रवाल का है तथा श्री जमुना प्रसाद बोस, श्री रामपाल सिंह यादव, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री हरिकेवल और कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा का है । यह वही पुरा विषय है (व्यवधान) (कई आवाजें माननीय अध्यक्ष जी) (एक आवाज इसको कार्यवाही के लिये भेज दीजिये) अभी आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज देते हैं । वैसे तो यह आज नहीं आ सकता था क्योंकि आज शुक्रवार है और शुक्रवार को नियम 56 की नोटिस नहीं देना चाहिये क्योंकि शुक्रवार असरकारी दिवस होता है । यह बात दीगर है कि यह दिवस आपन सरकार को दे दिया है लेकिन शुक्रवार असरकारी दिन होता है और उस दिन नियम 56 की सूचनायें नहीं भेजना चाहिये । हां कार्यवाही के लिये भेज देते हैं और इसके साथ ही जब खाद्य पर ब स होगी तब आप अपनी बातों को कह सकेंगे । (व्यवधान) । अब हम वित्तीय वर्ष 1974-75 के आय-व्ययक पर चर्चा करेंगे.....व्यवधान ।

श्री हरिकेवल (जिला देवरिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुनें । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप रोज ऐसा करते हैं । अगर आप इस तरह से व्यवहार करेंगे तो आपका कुछ नहीं लिखा जायगा । मैं आदेश देता हूं कि कोई भी सवाल आपका नहीं आयेगा । आप इस तरह से करेंगे तो अवमान का प्रश्न उठेगा आपके खिलाफ (श्री हरिकेवल के बोलते रहने पर) यदि

आप नहीं बैठते हैं तो मुझे बाध्य होकर आपको निकालना पड़ेगा। मैं आपको चेतावनी देता हूं।

(श्री हरिकेवल बोलते रहे)

माननीय सदस्य, अगर आप आसन नहीं ग्रहण करते हैं तो मैं आपको निकालूंगा।

(श्री हरिकेवल ने अपना स्थान ग्रहण किया।)

माननीय सदस्य नये आये हैं, इस सदन की परम्परा और गरिमा को जानने की कोशिश करें।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

मैंने जो विशेषाधिकार दिया था आपको.....

श्री अध्यक्ष—

उसको नहीं पढ़ा है अभी बाद को देखेंगे

1974–75 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 57—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य अनुदान संख्या 58—सिंचाई अधिष्ठान अनुदान संख्या 82—सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 83—बहु-प्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय (क्रमागत)†

*श्री बाबू सिंह यादव (जिला अलीगढ़)—

यह जो सिंचाई का आपका हमारा बजट है, यह खेती के लिये बहुत अहम बजट है, लेकिन अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि आजादी के इतने अर्से बाद जो किसान की आवश्यकता थी सिंचाई की उसकी 25 फीसदी भी पूर्ति नहीं हो सकी। उसकी मुख्य वजह जहां तक मैं समझ पाया हूं कि एक कारण है कि इस प्रदेश के जो शासनाधिकारी रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं उनमें से एक मुख्य मंत्री महोदय को छोड़ कर सब ऐसे रहे हैं जिनका खेती से कम संबंध रहा है, कोई ताल्लुक नहीं रहा है। मैं नहीं समझता कि जो मौजूदा मुख्यमंत्री महोदय हैं उनका खिताब नवाब साहब का है, खेती उनके पास हो सकती है, लेकिन नवाब साहब को खेती करने का तरीका, खेतिहर कैसे करते हैं, सिंचाई का क्या तरीका है, हम गरीबों पर कैसे बीतती है और हम गरीब छोटी काश्त से अपना उत्पादन करके कैसे गुजर-बसर करते हैं, इसका ज्ञान नवाब साहब को कम हो सकता है और कम है भी।

हमारे यहां खेती के लिये तीन मुख्य चीजों की जरूरत पड़ती है खाद, जोत और पानी। यह रोज सुनने में आता है कि फर्टिलाइजर जापान ने कम दिया है, बाहरी मुल्कों से कम मिला है। लेकिन सिंचाई के समय अगर फर्टिलाइजर एक दफा न मिले, पानी मिल जाय तो बहुत कुछ हम अपने टार्गेट को पूरा कर सकते हैं। लेकिन जहां पर गंगा, जमुना, हजारहा नदी हैं और बहती हैं लेकिन अफसोस है कि आजादी के 30 साल बाद भी पानी की इतनी कमी है। इसकी वजह इस सरकार की अकर्मण्यता है, इस सरकार के पदासीन लोगों की नाजानकारी है, इस सरकार में बैठे हुए वरिष्ठ अधिकारी और नेताओं की खेती के प्रति अवहेलना है, खेती के प्रति उदासीनता है। उनकी यह नीति रही है कि गरीब लोग खेती का पूर्ण उपयोग न कर पायें ताकि यह प्रदेश गरीब बना रहे और हम जितने अमीर लोग हैं वह कुर्सियों पर बैठे हुए उनको अपनी खुराक बनाते रहें।

---

†4 जुलाई 1974 की कार्यवाही से।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बाबू सिंह यादव]

माननीय सिंचाई मंत्री, मैं खास तौर से आपकी खिदमत में यह पेश कर रहा हूं कि सिंचाई की कम जरूरत महसूस की गयी है आज तक अगर इसकी कुल जरूरत महसूस की गयी होती तो छठवीं, पांचवीं आपकी योजना है इसकी पूर्ति हो जाती मंत्री जी, दूसरी बात यह है कि भ्रष्टाचार तो और महकमों में भी है, जैसे पुलिस वगैरह, लेकिन मैं आपसे यकीनन कहता हूं कि अगर इसके लिये आप कोई कमेटी बना दें तो यह महकमा भ्रष्टाचार का सर्वोपरि महकमा निकलेगा। जनता के कानों तक यह ष्टाचार आता क्यों नहीं है ? क्योंकि यह भ्रष्टाचार आपकी सरकार से बजट मन्जूर होकर जाता है। बड़े बड़े ठेकेदारों के द्वारा और मिनिस्टर साहबान, ऐसे भी मिनिस्टर यहां गुजरे हैं जिन्हें सिंचाई की बाबत मैंने कहा तो तिलमिला गये, बेहोशी आने लगी, मैं नहीं जानता कि कितने दिन तक आप कायम रहेंगे।

तीसरा कारण है अधिकारी वर्ग में काम करने की क्षमता। आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को देखिये। कभी बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते। कभी काम करने की बात उनमें होती नहीं कि हमारा लाखों, करोड़ों रुपये का जो काम चल रहा है उसको जा कर देखें। इस विभाग में जो भ्रष्टाचार होगा है वह ठेकेदारों द्वारा तय होता है। आप ऐसा भी देखेंगे कि जहां किसी बड़े अधिकारी का ट्रांस्फर हुआ वहीं पर ठेकेदार भी उनके साथ चला जाता है। रुपया अधिकारी लगाता है और पेमेंट ठेकेदार के नाम से होता है। इस तरह से लाखों रुपये का घोलाटा इस विभाग में होता है पैसे की हविश ठेकेदारों, आपके अधिकारी वर्ग और सरकार में कुछ बढ़ गयी है। कमीशन जो कटता है उसमें 10 परसेंट की बात चलती है। लेकिन मेरे पास में आपका नरौरा डिवीजन है। वहां के उच्चाधिकारियों और ठेकेदारों में 27 परसेंट की बात चलती है। उसकी सब से बड़ी वजह यह है कि आपके यहां काम पहले शुरू हो जाता है और वर्क आर्डर बाद में बनता है। वह कहते हैं कि 27 परसेंट काट कर देंगे। और फिर उसमें से ठेकेदार भी पैदा करता है। वह इस तरह से होता है कि 10 हजार मेरी लागत है। अगर आप 20 हजार रुपये मुझे मेंट कर दें तो बाकी दस हजार में से 5 हजार आप ले लीजियेगा और पांच हजार मैं ले लूंगा। जितना भ्रष्टाचार इस मुहकमे में है उतना किसी और मुहकमे में नहीं है। सरकार के पैसे का सरकार के उच्चाधिकारियों और ठेकेदारों में बंटवारा होता है इतना जनतंत्र अभी यहां हुआ नहीं कि यह कह सकें कि यह नाली, यह सफाई क्यों पूरी नहीं हुई। इसकी जानकारी न जनता को आपने कराया है न उसकी इतनी हिम्मत है। इस मुहकमे में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में जातिवाद का एक लिंक सा लग गया है।

एक आपकी योजना चली शारदा सहायक परियोजना इसमें आप मालूम करें, 99 प्रतिशत आदमी एक ही कौम के हैं। जो चीफ इन्जीनियर श्रीनरेशचन्द्र सक्सेना थे उन्होंने शारदा नहर योजना पूरी होने से पहले ही उसमें पानी छोड़ने का आदेश दे दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि नहर बीच बीच में कट गयी और उसके कारण सरकार को कई करोड़ का घाटा हुआ। 82 किलोमीटर की यह थी और इसमें कई करोड़ रुपया फिर से खर्च करना पड़ा। इसी तरह से एक नहर आगरा अपर कैनाल, ओखला की है। अभी इसमें एक किलोमीटर की सफाई के लिये 7 लाख रुपया खर्च किया गया। इसमें से 6 इन्च सिल्ट निकालनी थी जिसके लिये 7 लाख रुपया खर्च किया गया। हुआ क्या ? तमाम पया अधिकारियों में बंट गया। 11 सितम्बर, के टाइम्स आफ इन्डिया में भी इसका जिक्र निकला था। इस विभाग में जातिवाद का बहुत बोलबाला है और भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। अधिकारियों में कमीशन का यह कार्य नीचे से ऊपर तक चलता है। मेरे यहां एक नहर का क्लोजर हुआ। उसके बाद अधिकारि ों ने मिट्टी कटवा-कटवा कर उसमें डलवाना शुरू कर दी। मैंने पूछा कि यह क्या कर रहे हो, इसे क्यों पाट रहे हो। उन्होंने कहा कि यहां बेअकल लोग बैठे हैं, 6 माह का काम एक हफ्ते में पूरा करने के लिये कहते हैं। यह कैसे हो सकता है, यह दिखाने के लिये हम यह कर रहे हैं।

आजरी-माडलिंग का जो काम चल रहा है उसमें करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है और उसका काफी रुपया यह अधिकारी वर्ग खा रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस विषय में मंत्री जी को कोई जानकारी नहीं होगी। मगर आज तक जितने भी मंत्री हुये हैं उन्होंने नरौरा की हवा खाई है। पंडित जी तो हर महीने जाते थे और वे कहते थे कि नरौरा उत्तर प्रदेश का काश्मीर बनने जा रहा है। आपके अधिकारियों ने करोड़ों रुपया बंगले और कोठियों में खर्च कर डाला। उनके ऐशो-आराम में कोई फर्क नहीं आना चाहिये, भले ही जनता को कितना ही कष्ट क्यों न हो। हमारा बाप भी ऐसा था, बेटा हो क्या सकता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर महोदय भी हमारे जिले में गये थे कुछ नहीं हुआ। किसकी शिकायत करें। यहां पर भी हमारे एक मुख्य मंत्री थे, मैं समझता हूं, मैं एक शेर कहना चाहता हूं खुदा जाने हमारी बर्बादी में हाथ है किसका, मगर सब देखने वाले तुम्हारा नाम लेते हैं। इस मुल्क की बर्बादी करने वाले उधर बैठे हैं। इस मुल्क की बरबादी करने वाले आप लोग हैं। आपके अलग कार्यों से, आपकी गलत नीतियों से आज भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। यह जो ऊपर नीचे तक बर्बादी, भ्रष्टाचार फैला हुआ है यह आपके गलत कार्यों का नतीजा है।

मैं श्रीमन् आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूं, मेरी समझ में नहीं आता कि हमारे कांग्रेसी दोस्त इतनी जल्दी तरक्की कैसे कर जाते हैं। हाउस में मान्यवर वह लोग भी बैठते हैं और हम भी बैठते हैं। पर पता नहीं कि वह इतनी जल्दी कैसे तरक्की कर जाते हैं। हमारे एक दोस्त थे जो हमको छोड़ कर चले गये कांग्रेस में पहुंच गये। अब बड़े ठाठ हो गये हैं। ऐसा शानदार बंगला बनाया, ऐसी शानदार कोठी बनायी कि देख-देख कर लज्जित होना पड़ता है। तो मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप कोई कमेटी बनायें जो जांच करे। एक शेर अर्ज करना चाहता हूं—

"निजा में हुकूमत हुयी बेगुण के हवाले
नाम है बहुगुणा पर कोई गुन नहीं। अंदर से बिल्कुल खाली।

अपने लिये आज सब भागे-भागे फिर रहे हैं, तहसीलदार भागा-भागा फिरता है, ए0सी0 ओ0 भागा-भागा फिरता है? भ्रष्टाचार की कोई हद ही नहीं है।

आप देखिये नहरों को पानी दिया जाता है। छोटी-छोटी बंधियां हैं, माइनर हैं। हर जगह पर कानून को देख कर लोग मनमानी-घरजानी करते हैं। कोई कानून नहीं है आपके इस डिपार्टमेंट में। लोग कर्मचारी गणों से मिलकर नहर काट लेते हैं, बंधियां काट लेते हैं। मनचाहा पानी का इस्तेमाल करते हैं। आपके पतरौल से लेकर उच्च अधिकारी भी इस भ्रष्टाचार में शामिल है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि यह जो बेइन्तहा भ्रष्टाचार इस विभाग में है उसी की वजह से सारी स्कीमें फेल हो रही हैं।

हमारे यहां पर एक नहर निकलती है, उसमें बहना होता है। बहना का यह हाल है कि गरीब बेचारों की फसल की तबाही बढ़ती जा रही है। 25–30 गांव भर गये हैं। उधर गंगा की बाढ़ है। जिस जगह थोड़ी खेती कर लेते थे आज बहना की वजह से नहीं हो रही है। 29–30, 40 मील तक बदस्तूर यही हाल है।

एक बात और कहना चाहता हूं। यह आपकी जिम्मेदारी है। आप इस ओर देखें। जो सड़क नहर के ऊपर होती है वह नहर विभाग की होती है और कोई रास्ता नहीं है। संकरा रामघाट पर 3 मील का रास्ता खुला रहता है। जब नीचे का रास्ता बन्द हो जाता है

[श्री बाबू सिंह यादव]

तो बड़ी परेशानी होती है । जब कोई मरीज या किसी को बहुत आवश्यकता होती है तो कानून को तोड़ा जाता है । आपके लोग रिश्वत लेते हैं । अगर कोई रिश्वत दे देता है तो उसकी गाड़ी को निकाल ले जाने देते हैं । अगर किसी ने बिना रिश्वत के निकाल ली तो उसका चालान कर दिया जाता है । इस तरह से गरीब को परेशान करते हैं ।

श्री अध्यक्ष---

अब आप समाप्त करें ।

श्री बाबू सिंह---

आपसे मेरी दरख्वास्त है कि इसकी आप जांच करा लें । जो आपके यहां सड़कें हैं उनको ठीक से निकालने की कृपा करें । जिन सड़कों पर चलने से कानूनन ठीक नहीं है तो उससे जनता को परेशानी होती हैं। अतः आप उन जगहों को यदि खोल दें तो बहुत अच्छा होगा । संकरा से 200 मीटर की सड़क पर आपने पाबन्दी लगा रखी है यदि इस योजना को आप इजाजत दे दें तो फिर वहां ट्यूबवेल लग सकता है । ट्यूबवेल न होने से किसानों को सिंचाई की असुविधा होती है । परन्तु जिसकी कांग्रेसी सदस्य के पास पहुंच होती है तो वह अपने खेतों के नजदीक ट्यूबवेल लगवा लेता है अन्यथा ट्यूबवेल न होने से सिंचाई में असुविधा होती है । इसके साथ ही मैं एक शेर के साथ अपना भाषण बन्द करता हूं:---'साहिल के तमाशाही हर डूबने वाले पर अफसोस करते हैं मगर इमदाद नहीं करते ।'

श्री शिव कुमार पाण्डेय (जिला सुल्तानपुर)---

श्रीमन्, मुझे जो इस बजट पर बोलने का समय दिया उसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूं । मैं सिंचाई अनुदान के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, इस विभाग की बड़ी शिकायतें की गई हैं कि एक तो काम नहीं हुआ । जो अभी हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि सिंचाई के मामले में किसानों को 5 फीसदी लाभ हुआ है । मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सन् 1947 में केवल 68 लाख एकड़ जमीन की सिंचाई सरकारी साधनों से की जा रही थी जबकि आज 160.8 लाख एकड़ जमीन की सिंचाई की जा रही है । यह दुगुने से भी अधिक है । सरकार अधिक से अधिक जमीन की सिंचाई करने के लिये बड़ी-बड़ी योजनायें चालू करने जा रही है ।

दूसरी बात भ्रष्टाचार की शिकायत की गई है । मैं मानता हूं कि इस विभाग में भ्रष्टाचार है । यह बड़ा भाग्य है कि इस बजट की कटौती का प्रस्ताव भी एक ऐसे योग्य सदस्य ने रखा है कि जिसको भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में पूरा-पूरा अनुभव है क्योंकि वह काफी समय तक ओवरसियर रह चुके हैं । उनको भ्रष्टाचार के बारे में नजदीक से जितना पता है उतना दूसरे सदस्य को नहीं होगा । उनका भ्रष्टाचार का काफी कड़ुवा अनुभव है । इसलिये मन्त्री जी को उनके इस कटौती के प्रस्ताव को ध्यान में रखना चाहिये और उनसे कुछ सीख भी लेनी चाहिये ।

यह भी कहा गया है कि कांग्रेसी सदस्यों की हैसियत बढ़ती जा रही है । कैसे बढ़ती जा रही है यह भी सवाल किया गया । इसका जवाब मैं क्या बताऊं । मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि जिन्होंने इस प्रस्ताव में कटौती का प्रस्ताव रखा है वह भी बलिया जिले के रहने वाले हैं किन्तु बनारस में उनका आलीशान मकान है । यह कैसे हुआ । इसको उन्हीं से पूछने पर मालूम हो जायगा ।

यह सही है कि हमारी सिंचाई योजना उतना आगे नहीं बढ़ी है जितना कि जरूरी है । इस साल जब बिजली की कमी हो गयी तब तो किसानों के सामने एक बहुत बड़ी कठिनाई आ गयी लेकिन उसमें हमारी नहरों ने काफी अभूतपूर्व काम किया और उन्होंने इतने एकड़ की सिंचाई

की जो कि एक रिकार्ड है । मान्यवर, सिंचाई के साधन तो हमारे बढ़े लेकिन आपके माध्यम से एक बात मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि 'सकल पदारथ हैं जग माहीं, कर्महीन नर पावत नाहीं ।' यही बात यहां है कि सिंचाई की सुविधा तो बढ़ी लेकिन जिस जिले सुल्तानपुर का मैं रहने वाला हूं उसकी हालत बहुत खराब है । यह जिला अभावग्रस्त माना जाता है । वहां की स्थिति यह है कि जितने ट्यूबवेल आज तक तय हुए वे लगे नहीं । 70-71 में 25 नलकूप मंजूर हुए लेकिन 23 लगे 2 नहीं लगे, 71-72 में 20 मंजूर हुए लेकिन 19 लगे 1 नहीं लगा, 72-73 में जरूर यह हुआ कि 20 मंजूर हुए और सारे लग गये लेकिन 73-74 में 35 मंजूर हुए और केवल 20 लगे । अब तक जो ट्यूबवेल्स आपने दिये उनमें से 18 नहीं लगे । एक तो मिले ही कम और फिर वह भी पूरे नहीं लगे । इस सदन में एक प्रश्न के उत्तर में सरकार की तरफ से बताया गया कि इलाहाबाद और बनारस में 60-60 नलकूप दिये गये लेकिन 62 लगे । हमारे यहां दिये जाते हैं 35 और लगते हैं 20 । हमारे यहां कृषि के अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है । कोई उद्योग धन्धा नहीं है । हम कृषि पर ही जीवित रहते हैं ।

एक बात और निवेदन करूं और पहले भी कर चुका हूं कि हमारे कृषि मन्त्री सबसे ज्यादा पंगु बना दिये जाते हैं क्योंकि वह आधारित रहते हैं बिजली मन्त्री और सिंचाई मन्त्री पर । बीज तो खेत में यह बुआ देते हैं लेकिन पैदावार की जिम्मेदारी नहीं ले सकते क्योंकि खाद दूसरे के हाथ में, बीज दूसरे के हाथ में, पानी दूसरे की हाथ में । ऐसा प्रबन्ध होना चाहिये कि खेत में जो बीज बोया जाय तो वह बर्बाद न होने पाये पानी की कमी की वजह से, मेरा नम्र अनुरोध है कि मन्त्री जी इस बार जब हमारे जिले को नलकूप देने लगें तो जो पिछला बकाया 18 नलकूप हैं उनको भी दृष्टि में रखें । हमारे यहां जो ट्यूबवेल दिये भी गये तो ऐसा हुआ कि एक जगह पर उनका जाल हो गया । एक-एक गांव में दो दो हो गये लेकिन दूसरे क्षेत्र में 50 मील में भी नलकूप नहीं है । मेरी कांस्टीटुएन्सी का उत्तरी भाग 10 मील चौड़ा और 70 मील लम्बा है । यहां बहुत कम ट्यूबवेल मिले हैं जब कि उसकी बगल में दक्खिन तरफ दूसरी जगह काफी लगे हैं । इस तरह से बंटवारा ठीक नहीं हुआ । नलकूप देते समय उन स्थानों को प्राथमिकता दी जाय जहां नहीं है । इससे दो लाभ होंगे । एक तो शासकीय नलकूप मिल जायगा और दूसरे उससे कनेक्शन लेकर प्राइवेट नलकूप भी लग सकते हैं । हमारे मन्त्री जी तुरन्त और तेज काम करते हैं इसलिए इस तरफ जरूर ध्यान देंगे ।

एक बात नलकूप की नालियों की है । वह अधिकतर खराब रहती हैं । इससे पानी बर्बाद होता है जबकि हमें पूरा पैसा देना पड़ता है गैलन के हिसाब से । इनकी मरम्मत मार्च में होती है जो बजट समाप्त का महीना होता है । इस वक्त अधिकारी ठीक से देखभाल नहीं करते यह जो मार्च के महीने में मरम्मत होती है, वह केवल मरम्मत के नाम पर गलत होती है । अगर नालियां कहीं प्रारम्भ में एक भी इंच ऊंची हुई, तो वह और चलकर इतनी ऊंची हो जाती हैं कि पानी नहीं चढ़ पाता है । अतः माननीय मन्त्री जी से निवेदन है कि नालियां बनाने की ओर विशेष ध्यान रखा जाय ।

मान्यवर, ट्यूबवेल के बारे में एक चीज और अर्ज करना चाहता हूं । मान्यवर, किसानों को बिजली देने की बड़ी कोशिश की गयी और इधर-उधर के सूबों से मांग कर बिजली उनको दी गयी । लेकिन यह बिजली किसानों को 12 बजे रात्रि को देते हैं । हम कैसे सोच सकते हैं कि माघ के महीने में, जबकि कड़ाके का जाड़ा पड़ता है, किसान कैसे अपने खेत सींच सकता है । रात्रि में सांप और बिच्छू का भी डर होता है । मैं अपने यहां का किस्सा बताऊं । एक किसान रात्रि में खेत सींच रहा था और कहीं बिल में पानी चला जाने से सांप निकल आया

[श्री बाबू सिंह यादव]

और किसान को काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। इसलिये निवेदन है कि किसानों को उचित और निश्चित टाइम पर बिजली दी जाय ताकि उसका वे पूरा-पूरा लाभ उठा सकें।

प्राइवेट नलकूपों वालों से, मान्यवर, बांड तो भरा लेते हैं कि वे 40 रुपये मिनिमम गारंटी देंगे और वह वसूल भी उनसे होता है, लेकिन प्रश्न यह है कि जब महीनों तक उन्हें बिजली नहीं देते हैं, तो फिर सरकार को हक नहीं रह जाता कि वह किसान से बिजली का पैसा लें, एक हाथ पैसा लें दूसरे हाथ चीज दें, यह तो सामान्य नियम है--पैसा दिया, मूली लिया, पैसा दिया और दूकानदार से कपड़ा लिया। तो जब सरकार किसानों को बिजली नहीं दे पाती, तो फिर उससे कीमत वसूल करने का हक न तो उचित है और न नैतिक। यह तो मानता हूं कि किसान से 40 रुपये माहवार बिजली का लें लेकिन वह तब, जबकि उसको बिजली दें। इसके बाद अगर वह 40 रुपये से ज्यादा बिजली लेता है, तो उसका पैसा लें। ऐसा नहीं कि 6-6 महीने तक बिजली न मिलने के कारण ट्यूबवेल बन्द पड़ा रहा और उससे मिनिमम के गारंटी का पैसा चार्ज कर लिया। कहीं-कहीं तो ऐसा होता है कि मार्च के महीने में किसान के दस्तखत करा लेते हैं लेकिन कनेक्शन नहीं देते हैं। 4-5 महीने बाद कहीं कनेक्शन मिलता है, लेकिन किसान से पैसा पहले से ही चार्ज होना शुरू हो जाता है। अतः मंत्री जी से निवेदन है कि इन सभी बातों का मजबूती से जांच कराई जाय ताकि किसान को तकलीफ न उठानी पड़े।

एक चीज मैं और मन्त्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं, मान्यवर। मजदूर जो हैं जब उचित मजदूरी नहीं पाते, तो हड़ताल कर लेते हैं, लेकिन किसान विवश है क्या करे? गेहूं न बोये या हल न चलाये? अतः उसकी कमजोरी का अनुचित लाभ सरकार को नहीं उठाना चाहिये।

एक बात, मैं मान्यवर, नहरों के बारे में कहना चाहता हूं (अपने जिले के अनुभव के हिसाब से) कि उचित स्थानों पर कुलाबें नहीं हैं। पुल नहीं है इससे किसानों को घोर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मान्यवर, आपके माध्यम से, मन्त्री जी से निवेदन है कि इन कुलाबों की संख्या बढ़ायी जानी चाहिये, ताकि किसानों को समुचित पानी आसानी से मिल सके।

(इस समय 12 बजकर 53 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायण राय पीठासीन हुए)

माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक बात मैं आपके माध्यम से, माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रदेशव्यापी है और वह यह है कि कुछ सरहंग लोग गांव के नहर को काट देते हैं। अपनी सिंचाई के लिये और सींचने पर उसे बांधते नहीं। वह पानी जितनी दूर तक जितने किसानों के खेत में जाता है, उतने किसान मुल्जिम बनाये जाते हैं। मैं कहता हूं कि ऐसा कोई कानून ताजीरात हिन्द में नहीं है कि अगर कोई आदमी कत्ल नहीं करता, तो उसको फांसी दी जा सके। मान्यवर, अंग्रेजों के जमाने में पुराने कानून बने थे कि गांव के एक आदमी ने नहर काटी और मुल्जिम तमाम किसानों को बना दिया गया। मान्यवर, अब, जबकि देश आजाद है, इस प्रकार का जंग लगा कानून शोभा नहीं देता कि एक जबर्दस्त आदमी अपने खेत को सींचने के लिये नहर काटता है और उसका फल भोगना पड़े, उन तमाम भोले-भाले किसानों को, जिनका उसमें कोई हाथ नहीं हो। अतः मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से निवेदन है कि इन तमाम बातों की ओर वह ध्यान देंगे और सुधार लायेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं उनके बजट का अनुमोदन करता हूं।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)--

अधिष्ठाता महोदय, आपकी बड़ी कृपा हुई कि आपने सिंचाई विभाग के बारे में बोलने के लिए मुझे समय दिया। मुझे ज्यादा समय नहीं मिलेगा ताकि मैं विधिवत् सिंचाई वालों की

बात करूं और उनकी काली करतूतों को इस सदन के माननीय सदस्यों को अवगत करा सकूं। पिछले साल हमारे देवरिया जिले में जो बाढ़ आई थी उसमें सैकड़ों गांव डूब गये एक मात्र सिंचाई विभाग के अधिकारियों की वजह से। जिले के सारे अधिकारी उस कार्य में संलग्न थे लेकिन सिंचाई विभाग का कोई इंजीनियर उसे देखने तक नहीं गया कि नहर कहां टूटी है, नहर में कितना पानी है। सारी नहरें पानी से भर गयी थीं। देवरिया जिले में यह बाढ़ मानवकृत थी और सिंचाई विभाग के इंजीनियरों द्वारा यह बाढ़ लाई गयी थी। डी० एम० ने मीटिंग बुलाई लेकिन सिंचाई विभाग का एक भी इंजीनियर उस मीटिंग में नहीं गया। जब देवरिया के कलेक्टर साहब से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मैंने तो सूचना दे दी थी, सिंचाई विभाग का कोई अधिकारी नहीं आया तो मैं क्या करूं। 19 करोड़ रुपये का नुक्सान सिंचाई विभाग वालों ने देवरिया जिले के किसानों का किया है। राष्ट्रपति शासन उस समय था और कुरेशी साहब सलाहकार थे। उनसे जवाब तलब किया। मैंने गोरखपुर में मीटिंग की थी। मैंने बोलने नहीं दिया। उनके पास कोई जवाब नहीं था, न नहर वालों के पास कोई जवाब था। जब भी बाढ़ देवरिया जिले में आती है तो सरकार की तरफ से चने, दियासलाई बांट दिये जाते हैं और कुछ कपड़ा बांट दिया जाता है लेकिन यह गोरखधन्धा कब तक चलता रहेगा। मेरा निवेदन यह है कि देवरिया जिले की बाढ़ को रोकने के लिये सरकार को और मंत्री जी को बैठकर एक योजना बनानी चाहिये ताकि देवरिया जिले को बाढ़ से बचाया जा सके। रोज-रोज बाढ़ आये और रोज-रोज चना बांटा जाय इसे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस तरह से हम लोगों को भिखमंगा बनाया जा रहा है। देवरिया जिले में एक भयंकर नदी है बड़ी गंडक। 6 लाख रुपया बंधा बांधने में लगा और 14 करोड़ रुपये उस बन्धे को सजाने में लगे। मेरा सुझाव है कि निश्चित रूप से देवरिया जिले के लिये योजना बनाई जाय ताकि हम उस बाढ़ से बच सकें।

मुझे नहरों के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना है। सदस्य महोदय भांडों की तरह खड़े होकर तारीफ करने लगे, मैं उससे सहमत नहीं हूं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य भांड शब्द का प्रयोग न करें यह मेरा उनसे आग्रह है।

श्री बांकेलाल—

भांड शब्द संसदीय है।

श्री अधिष्ठाता—

भांड शब्द संसदीय नहीं है। माननीय सदस्य सदन के किसी माननीय सदस्य को भांड की संज्ञा न दें।

श्री बांके लाल—

मैं वापस लेता हूं। लेकिन मन्त्री महोदय की जो तारीफ की उसको मानने के लिये मैं तैयार नहीं हूं। इस तरह से चापलूसी और तारीफ के पुल बांधना निहायत गैर जिम्मेदारी का काम है।

आज शासन इतना लूज हो गया है कि जब हम मन्त्री को कोई प्रार्थना-पत्र देते हैं किसी भी बात के लिये, तो उस पर लिख देते हैं "सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाय"। मालूम होता

[श्री बांके लाल]

है कि अपने से बड़े आदमी के पास लिख रहे हैं। यदि किसी से ज्यादा प्रसन्न हों तो लिख देते हैं "यदि संभव हो तो यह काम कर दिया जाय"। मन्त्री जी बतायें कि क्या शासनकर्ता को इस तरह से लिखना चाहिये। आज इनका इतना नैतिक पतन हो चुका है कि ये लोग आई० ए० एस० और पी०सी० एस० आफीसरों को दबा नहीं सकते हैं। इनका मनोबल गिर चुका है। आपके सामने ही उदाहरण है कि आज सारा देश बगावत की करार पर पहुंच गया है, महंगाई चरम सीमा पर बढ़ गई है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है और उसका नतीजा यह हो रहा है कि देश का नौजवान, देश का किसान और गरीब चिल्ला रहा है इस शासन के विरोध में। इसके बावजूद भी आप समाजवाद का नाम लेते हैं। वाह रे समाजवाद, माननीया का समाजवाद, बहुगुणा का समाजवाद, नारायण दत्त का समाजवाद और महमूद अली का समाजवाद। मालूम होता है सब के सिर पर समाजवाद बोलेगा। ये हमारे सामने समाजवाद के विचारक और पोषक बैठे हुए हैं जो कि एक-एक और डेढ़-डेढ़ लाख रुपया खर्च करके जीत करके आये हैं और वोट चुराकर गड़बड़ी करके आये हैं। तब कहते हैं हमारा बहुमत है। यह आप लोगों को जला देगा।

आपने 26–27 वर्ष से मुल्क को गिराया है। क्या क्या काम आपने किये हैं यह भी आपके सामने है। कहीं कम्बल बांट दी, कहीं चना बांट दिया, कहीं दियासलाई बांट दी। आपने सारे देश का मनोबल गिराया है। कहते हैं नहरों का हमने प्रदेश में जाल बिछा दिया है। वह सही है लेकिन वे नहरें हमारे पूरे जिले को तबाह कर देती है। आपके अधिकारी जो पुल और पुलिया बनाने का काम सोचते हैं उसका तरीका अच्छा नहीं है। जहां-जहां किसानों को पुल और पुलियों की जरूरत होती है वहां-वहां तो ये कतई नहीं बनायेंगे और जब बनायेंगे तो इतनी दूर बनायेंगे जहां किसान को जरूरत ही न हो। गांवों में पंचायतें बनी हुई हैं। उनसे राय-मशविरा करके बना सकते हैं।

आजकल गूलों का निर्माण बड़ी तेजी से हो रहा है। लेकिन आपके ओवरसियरों और इंजीनियरों को यह मालूम नहीं है कि नहर ऊंची है, ऊंचाई पर बना रहे हैं या निचाई पर बना रहे हैं। जब किसान खेती करना चाहता है उस समय आपकी पुल और पुलिया बनती है। अषाढ़ के महीने में बीज बोया जाता है पलेवा होता है उस समय पुलिया इनकी बनती है। ये लोग यह नहीं देखते कि हरी-भरी फसल का क्या होगा, बर्बाद कर देते हैं। क्या वह समय गूल बनाने का है। मैं सरकार से कहूंगा कि वे अधिकारियों से कहें कि वे इस वक्त गूल न बनवें जब फसल काट दी जाय तब कार्तिक के महीने में बनायें। मैं अभी अपने क्षेत्र में गया था। वहां के किसान लोग मुझसे मिले। उसके बाद हम अधिकारियों से मिले। हमने कहा कि फसल बर्बाद हो रही है, थोड़ा ठहर जाओ। कार्तिक का महीना प्रारम्भ होने वाला है तब काम शुरू करना। लेकिन फिर भी कुछ नहीं सुनी गई।

हमारे यहां रामकोला ब्लाक के अन्तर्गत बिरौली और अहिरौली कुस्पी में एक मील तक पानी नीचे से बहता है। उससे वहां के चार-पांच गांव जलमग्न हुए दिखाई देते हैं। तभी से वे गांव दरिद्र हो गये हैं। हमारे यहां के लोग भी वहां गये थे और सिंचाई विभाग के अधिकारी तक गये थे। एक मेरा निवेदन है कि नहर एक मील तक पक्की नीचे से कराई जाय, ताकि वह लीकेज न करे। मुकाम बिरौली है, वहां पर नहर हमेशा टूट जाती है और उससे तमाम गांव डूब जाते हैं, इसलिए वहां साइफन बनाना चाहिये। इसके बारे में मैंने मीटिंग में भी कहा था। एक गांव अकटाहा और एक गांव रानीपार हरैया हैं, वहां भी पुल बनने चाहिए। आपके अफसर बिल्कुल लापरवाह हैं, कोई निरीक्षण नहीं करते। एक गांव फरदवा है, वहां भी नहर बार-बार टूटा जाती है और वह गांव वालों को तबाह करती है। आपकी तरफ से न मुआवजा मिलता है न कुछ होता है। गांव वाले मारे-मारे फिरते हैं।

विभाग में एक विडम्बना और है, जब बांध पानी से टूट जाता है, तो पानी टूटा, फसल बर्बाद हुई, किन्तु उल्टे आपके पतरौल पड़ताल करते हैं और जबरदस्ती उनसे सिंचाई-कर वसूल करते हैं। यह मेरे यहां की ही नहीं पूरे प्रदेश की हालत है। मुझे मेरे दोस्तों ने कहा ह पानी बांध से टूटकर फसल भी बर्बाद किया और उल्टे सिंचाई विभाग के पतरौल जाकर पड़ताल करते है और जबरदस्ती उनसे सिंचाई-कर वसूल होता है, यह नहीं होना चाहिये।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार की बात तो मैं ज्यादा चला नहीं सकता हूं, क्योंकि जब भ्रष्टाचारियों की संख्या बड़ी हो गई है, आपका बहुमत है तो ईमानदार की जिन्दगी कैसे रहेगी, इसलिए मैं डर के मारे बोलता नहीं हूं कि सभीभ्रष्टाचारी मिलकर हमें ही परेशान करेंगे, तो मैं क्या करूंगा। हमारे यहां विभाग के एक राजकीय अभियन्ता है, उनकी कोठी नम्बर १, एक बड़ी सुसज्जित कोठी थी, किन्तु उसको तोड़कर ५० हजार रुपया उस पर खर्च कर दिया गया दुबारा उसे सजाने पर। जबकि वह पहले से ही बड़ी आरामदेह थी। ५० हजार रुपये में तो सिंचाई विभाग के कई छोटे कर्मचारियों के क्वार्टर्स बन सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि किससे पूछकर वह रुपया इस तरह से इस पर नाजायज तौर पर खर्च किया गया। क्या इसके लिए वित्त सचिव से, ए०जी० से या हम विधायकों से पूछा गया या इसके लिये मंत्रीजी से पूछा गया? इसका जवाब मुझे मिलना चाहिये। यह काबिले बर्दास्त नहीं है। जनता के धन का दुरुपयोग इस तरह से नहीं होना चाहिये और इसी तरह से यदि आप अपने अधिकारियों को मनमाना खर्च करने के लिये छोड़ देंगे तो न देश रहेगा, न प्रान्त रहेगा, न नहरें रहेंगी और न हम रहेंगे। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री मुमताज मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और सिंचाई के अनुदानों का जो इस समय आदरणीय सदन में प्रस्तुत हैं, समर्थन करता हूं।

मान्यवर, हमेशा से खेती के लिये सिंचाई की आवश्यकता इतनी आवश्यक रही है, जिसके बगैर अच्छे उत्पादन की तमन्ना हम नहीं कर सकते, हम अच्छे उत्पादन के बारे में सोच भी नहीं सकते। जबकि हमारे प्रदेश में हरित-क्रान्ति का युग आरम्भ हुआ, तो हमने यह सोचा कि हम बहुत ही निकट भविष्य में आत्म-निर्भरता की ओर बढ़ जायेंगे और अपनी मंजिल पर पहुंच जायेंगे। किन्तु उस समय न केवल हमारे प्रदेश में, बल्कि पूरे देश में बरसा की कमी के कारण और कहीं-कहीं बाढ़ से हमारे सामने अभाव की स्थिति बनी रही। आज हम महसूस करते हैं कि हमारी हरी क्रान्ति की लहर एक प्रकार से दब गयी हैं। आज खाद्यान्न के अभाव से हमारा जन-जीवन कठिन बन गया है। जबकि हमने सोचा था कि हम दूसरे देशों से गल्ला मंगाना बन्द कर देंगे, हमने यह करभी दिया था लेकिन आज हम को दूसरे देशों की तरफ देखना पड़ रहा है। यह सब क्यों हुआ? प्राकृतिक विपत्तियां हमेशा कृषि के साथ जुड़ी हुई हैं। हमको उनका सामना करना पड़ता है। लेकिन इन प्राकृतिक विपत्तियों का मुकाबला करने के लिये अगर हम अपने कृषि के साधनों का और विस्तार करें, उनको अच्छी प्रकार से चलायें तो हम उनका मुकाबला कर सकते हैं। जो हरी क्रान्ति की लहर एक प्रकार से दब गयी है उसको हम फिर उभार सकते हैं।

यह मैं अवश्य कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई विभाग की तरफ पूरा ध्यान दिया जा रहा है। अगर हम शुरू से अपनी योजनाओं पर ध्यान डालें कृषि के सम्बन्ध में जो योजनायें बनीं वह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुमताज मोहम्मद खां]

कामयाब रहीं। बाज-बाज योजनाओं में जरूर देर हुई लेकिन फिर भी एक बहुत बड़े क्षेत्रफल को राहत मिली, पानी की सुविधा न मिली। हमारी बहुत सी प्यासी जमीनों को पानी मिला और उनमें उत्पादन की बढ़ोत्तरी हुई। आज यह खुशी का विषय कि हमारे सामने बहुत सी, कई बड़ी-बड़ी योजनायें ऐसी हैं कि यदि उनका निर्माण हो जायगा तो सारे प्रदेश में पानी पर्याप्त मात्रा में सिंचाई के लिये मिल जायगा। चूंकि साधनों की कठिनाई है रुपये की दिक्कत है, लिहाजा ऐसा न हो कि रुपये की दिक्कत की वजह से कहीं हमारा इन योजनाओं को ठेस पहुंचे। कहीं इनमें देर हो जाय।

मेरा इस सम्बन्ध में सुझाव यह है कि जिस प्रकार आपने ट्यूबवेल्स के लिये कुछ कारपोरेशंस बनाये हैं, इस तरह से इन यो नाओं के सिलसिले में आप को एक कारपोरेशन बनाना चाहिए जो कि वित्तीय संस्थाओं के सहयोग से धन उपलब्ध करे और उस धन को हमारी योजनाओं के निर्माण पर व्यय कर सके। इस प्रकार से धन आपके पास बचे वह वरमियानी किस्म की छोटी योजनाओं पर व्यय करें।

इसके साथ-साथ मैं यह भी अर्ज करना चाहूंगा कि हमारे खेती के तरीके का ही हद तक बदल गये हैं। खेती का पैटर्न बदल गया है। नये-नये बीज प्रचलित हो गये हैं और हम नये ढंग से टेक्निकल ढंग से खेती करने के आदी हो गये हैं और इस ओर हम अपना आगे कदम बढ़ा रहे हैं। इसके साथ हमारी जो योजनायें बनें जो सिंचाई के साधन बने इस तरह के नहीं होने चाहिये, हमने लम्बी-लम्बी नहरें तो बना दीं लेकिन अब इस किस्म की खेती नहीं है कि केवल एक या दो सिंचाई करके किसान खेती कर सके। वह जमाना खत्म हो गया जब कि एक या दो सिंचाई से किसान समझता था कि अच्छी पैदावार ले रहा है। आज हर फसल के लिये कई कई सिंचाई की जरूरत हो गई है। जो आपका कमांड एरिया है वह इतना बड़ा होता है कि उसकी पर्याप्त मात्रा में सिंचाई नहीं हो सकती है। इसलिये उसको छोटा किया जाय ताकि कंसोलिडेटेट तरीके से पानी दिया जाय जिससे फसल अच्छी हो सके। आपने लम्बी-लम्बी नहरें बना दीं और पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं छोड़ा तो उससे कोई विशेष लाभ नहीं होगा। यह बहुत जरूरी है। किसान एक दो पानी लगाने में भले ही सफल हो जाये। लेकिन हाई यील्डिंग वैराइटीज बो कर कई पानी नहीं दे सकता है और कामयाब नहीं हो सकता है। काफी मात्रा में पानी देकर आप किसान को कामयाब बना सकते हैं।

इस तरह से अगर आपने कार्य किया तो मैं समझता हूं कि आपकी जो हाई यील्डिंग वैराइटीज हैं उनको बुवाने में कामयाब हो जायेंगे। मेरा जिला बुलन्दशहर गेहूं के उत्पादन का प्रमुख जिला है। वहां इतना गेहूं क्यों उत्पन्न हो रहा है। दूसरे जिलों में क्यों नहीं हो रहा है? क्या कारण है कि मेरठ, मुजफ्फरनगर में गन्ने की खेती अच्छी होती है। मेरठ कमिश्नरी में क्या बात है कि इतनी अच्छी असल उत्पन्न होती है। मैं आशा करता हूं कि इसी तरह की अच्छी फसल सब जगह उत्पन्न हो। इसका कारण मैं आपको बताऊं कि बुलन्दशहर जिले में 10 हजार निजी नलकूप हैं। वहां का किसान राजकीय सिंचाई सुविधा जो उपलब्ध होता है उसको लेता है। लेकिन उसने अपने निजी सिंचाई साधन भी पैदा कर लिये हैं। इस कारण से अपने खेत में पर्याप्त मात्रा में पानी देकर अच्छी फसल पैदा कर सकता है। इसलिये वहां अच्छी फस उत्पन्न होती है। यही हालत मेरठ, अलीगढ़ तथा मुजफ्फरनगर वगैरा की भी है। जहां सिंचाई के निजी साधन पैदा हो गये हैं वहां अच्छी फसल पैदा होती है। जिस समय पानी लगाने की जरूरत होती है उस समय किसान को पानी नहीं मिलता है। जिस समय पलेवा की जरूरत होती उस समय उसको नहर से पानी नहीं मिलता है। पानी के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को भी देखना चाहिये।

एक ऐसी दुर्व्यवस्था पैदा हो गई है जिसकी ओर मैं आपके द्वारा मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। नहर काट कर आज पानी की चोरी करना एक आम बात हो गई है। इसका परिणाम यह होता है कि जो जमीन नहर की दुम (टेल) पर है वहां पानी बिल्कुल नहीं पहुंच पाता।

वहां पानी पहुंचना जरूरी है। वहां जमीन बिलकुल प्यासी रह जाती है। सिंचाई की सुविधा उनको मिल नहीं पाती है। इसके लिये आपको अपनी अलग फोर्स बनानी चाहिए जो कि नहरों पर गस्त करे। ऐसे लोग जो पानी की चोरी करते हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाये। नहरों के काटने से पानी खराब हो जाता है, वह बचे। मुझे ऐसी आशा है कि आप इस दुर्व्यवस्था पर जरूर ध्यान देंगे।

श्री आशाराम यादव (जिला मिर्जापुर)--

आप अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हैं इसलिए ईमानदारी से काम करना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य आसन ग्रहण करें। अगर उन्हें मेरे समय देने से असंतोष हो तो वह आकर देख लें कि कितना समय उनके दल को प्राप्त हुआ है। इस तरह से पीठासीन व्यक्ति पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। आप घबड़ाइये नहीं सारा दिन पड़ा हुआ है।

श्री भगवती प्रसाद (जिला फैजाबाद)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं जो कि आपने कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। वैसे मैं समय बहुत ही कम लेना चाहता हूं। अपनी ओर अपने दल की जो कृषि, शिक्षा आदि विषय हैं उन पर जो नीतियां हैं उनको रखने के लिये 2 या एक मिनट चाहता हूं। हम चाहते हैं कि हमें समय कम मिले। कल से मैंने अपना नम्बर लगाया है। उत्तर प्रदेश हिन्दुस्तान में सबसे बड़ा प्रान्त है और उत्तर प्रदेश के अन्दर कृषि योग्य भूमि सबसे ज्यादा है। मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है और यहां की योजनायें और परियोजनायें इतनी बड़ी है जितने बड़े हमारे माननीय सिंचाई मंत्री हैं। इस प्रदेश में राजस्व मंत्री जो विशेषज्ञ हैं राजस्व विभाग के वह मंत्री बनाये गये हैं, दूसरी तरफ हमारे दूसरे नारायण दत्त जी तिवारी मिनिस्टर हैं जो उसके विशेषज्ञ हैं जिस विषय के वह मंत्री हैं और भी मंत्री हैं जो उस विषय के विशेषज्ञ हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं।

हमारे प्रदेश की 85 से 95 फीसदी जनता कृषि पर अपना जीवन निर्वाह करती है। दूसरे प्रदेश के लोगों की निगाह उत्तर प्रदेश पर रहती है क्योंकि यह प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है कृषि के मामले में और कृषि के उत्पादन के मामले में। यह तिलहन के मामले में सबसे आगे हैं, गेहूं के मामले में सबसे आगे है। हां मैं यह मानता हूं कि चावल के मामले में बंगाल आगे है। यहां का चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो या मिल में काम करने वाला हो, वह दूसरे प्रदेशों के आधार पर जीना नहीं चाहता है। मैं दुर्भाग्य की बात बता रहा हूं कि हमारे प्रदेश के सिंचाई मंत्री सिंचाई के बारे में बिलकुल अनभिज्ञ हैं।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय भगवती प्रसाद आप हमसे बात करें। जो व्यवधान करें उसे हमें रोकने दीजिए। यह आपका काम नहीं है।

श्री भगवती प्रसाद --

मैंने बताया कि मैं बहुत अधिक समय लेना नहीं चाहता हूं। अगर माननीय मंत्री जी अपनी कार से नहरों के करीब जायं तो नहरों के करीब आपको कम से कम 10 गज पीछे ही रुक जाना

[श्री भगवती प्रसाद]

पड़ेगा और आप जब वहां पर अपनी कार रोक कर नहर तक पहुंचेंगे तो आपकी बेहोशी की हालत हो जायगी। सिंचाई मंत्री महोदय बता ही नहीं सकते। अभी हमें मंत्री महोदय के कमरे में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आप बंगाल और केरल की घटनाओं को देख लीजिये। मैं मंत्रीजी के पास गया, मैंने कुछ सुझाव दिया परन्तु माननीय मंत्रीजी ने कोई तवज्जह नहीं दिया। मैंने मंत्री महोदय से कहा कि योजनाओं को बढ़ाओ तो अच्छी बात।

अधिष्ठाता महोदय, योजनायें हैं क्या ? कुल पानी को किसान के खेतों में पहुंचाने से योजना का संबंध केवल इतना हो सकता है कि पानी खेतों में सिंचाई के लिए पहुंचाया जाय जिससे गेहूं और गल्ला का उत्पादन हो और सारे प्रदेश की जनता में कृषि का काम करने वाले जो हैं उनको खुशहाल कर सकें। हमारे दोनो पक्षों के माननीय सदस्यों ने बड़े बड़े भाषण दिये। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सिंचाई मंत्री को यह बात नोट करना चाहिए। यह सिंचाई अभियंताओं की जिम्मेदारी नहीं है, यह जिम्मेदारी सिंचाई मंत्री की है। यह उनके अधिकारी और कर्मचारी की जिम्मेदारी नहीं है। इस प्रदेश में वर्तमान स्थिति जो सिंचाई की है वह बहुत ही शोचनीय है। उसकी जिम्मेदारी सिंचाई मंत्री महोदय की है।

आज नहरों की खुदाई नहीं की जाती है। मैं समझता हूं कि 20 से 15 साल से इस प्रदेश में नहरों का जल सिंचाई के काम में आ रहा है लेकिन ठेकेदारों को आप देखेंगे सफाई कब होती है जब गहूं सूखने लगता है तब ठेकेदारों को आदेश होता है कि तुम सफाई करो और पानी रोक दिया जाता है। यह सारी गड़बड़ियों के जिम्मेदार सिंचाई से सम्बन्धित अधिकारी ही नहीं होते हैं उसके जिम्मेदार सिंचाई मंत्री महोदय होते हैं जिनका कोई सम्बन्ध सिंचाई से नहीं है, जिनको कोई तजुर्बा सिंचाई से नहीं है। उसका कारण यह है कि वह जिस खानदान के है जिन्होंने नहरों की सिंचाई देखी ही नहीं है। उन्होंने यह देखा ही नहीं है कि किस प्रकार से खेती की सिंचाई होती है।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया।

श्री भगवती प्रसाद--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं। मान्यवर, माननीय मंत्री महोदय ने जबाब यह दिया कि बिजली से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। अगर सिंचाई मंत्री जी बिजली के मंत्री हो जाते तो क्या बुरा था, उन्हें बिजली का ज्ञान हो जाता। जहां पर वह बैठते हैं वहां पर बिजली हमेशा रहती है, वैसे उन्हें बिजली का कुछ ज्ञान होगा भी परन्तु सिंचाई के सम्बन्ध में तो उनको कोई ज्ञान नहीं है। सिंचाई मंत्री तो ऐसे व्यक्ति को होना चाहिये था जिसको सिंचाई का ज्ञान, कृषि का हो, उसे गांव की कृषि व्यवस्था का ज्ञान हो।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस प्रदेश में आज गेहूं की उगाही हो रही है। उत्तर प्रदेश में आज गेहूं की उगाही हो रही है लेकिन पानी देने में यह सरकार की मशीनरी हिचकती है जब खेतों में गन्ना सूखने लगता है, गेहूं की बालियां सूखने लगती हैं।

जहां तक ट्यूबबेल का सम्बन्ध है उसके बारे में मेरा निवेदन है कि फैजाबाद जिले में क्षेत्र जलालपुर में 12 ट्यूबबेल ऐसी जगह पर लगे हुए हैं जिनमें 50 फीसदी में पानी नहीं निकलता है। वहां के किसानों ने भी लिख कर दिया लेकिन नालियां ठीक से नहीं बनायी गयी। हैं। बेकार में ट्यूबबेल खड़े हुए है सामन्तों ने अपनी-अपनी खेती के लिये 12-12 ट्यूबबेल लगवा लिये हैं।

*श्री आबिद अली (जिला सीतापुर)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। माननीय सिंचाई मंत्री जी ने भी अनुदान संख्या 57, 58, 82 और 83 सदन के सम्मुख प्रस्तुत किये हैं, मैं उनका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सिंचाई मंत्री ने इस जमाने में जब कि सूबे की ही माली हालत नहीं बल्कि हिन्दुस्तान की बहुत खराब है, सिंचाई का जो बजट बनाया है उसमें 1 अरब 4 करोड़ और कुछ लाख रुपये 4 मदों में रखा है। मैं यह समझता हूं कि यह रुपया बड़ी मुश्किल से दूसरी मदों से बचा कर निकाला होगा, उसके लिये वे बधाई के पात्र है। इन्होंने अपने जमाने में इर्रीगेशन की तरफ काफी तवज्जह देकर काम किया है। इसके पहले सिर्फ यहां पर 22 प्रतिशत एरिया में सिंचाई होती थी, 1974 में इन्होंने इस रकबे को बढा कर 36 प्रतिशत कर दिया है और जिस समय योजनायें, जो चल रहीं है, कम्पलीट हो जायेंगी, तो 65 प्रतिशत में इर्रीगेटेड एरिया हो जायगा। यह एचीवमेंट बहुत बड़ा है।

आपने अपने विभाग के बजट में 2 ट्यूबवेल के निगम की स्थापना बनाने की योजना रखी है। यह बहुत अच्छा कदम है। इनमें से एक मेरठ व आगरा डिवीजन्स में से होंगी और दूसरा निगम बरेली और लखनऊ डिवीजन्स के लिये होगा। ये जगहें ऐसी हैं, जहां पर ट्यूबवेल की बहुत जरूरत होती है। हुकूमत की ओर से तो कोशिश होती रही है कि ज्यादा से ज्यादा ट्यूबवेल प्रदेश में लगें लेकिन जब पैसा सरकार के पास कम होता है तो ट्यूबवेल नहीं लग पाते है। इन कार्पोरेशन्स के बन जाने से बैंक से और अन्य स्थानों से कर्जा मिल सकेगा, तभी इन चारों डिवीजन्स में और ट्यूबवैल्स बन सकेंगे और जो सिंचाई की कमी है, वह पूरी हो जायगी। यह भी हमारे माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है।

इनके अलावा और जो पम्प कैनाल्स बन रही हैं और प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जिस समय वे पूरे हो जायेंगे, उस समय मालूम होगा कि कितना काम हुआ है। हमारे जिले सीतापुर में सारदा सहायक कैनाल बनी है। उसकी शुमार हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी नहरों में है। कितनी खुशी की बात है कि उसको रिकार्ड टाइम में बनाया गया है जैसे पहले कहा जा रहा था कि जून, 1974 तक चालू कर देंगे। जो टाइम इसके लिये मुकर्रर था उसमें ही इसको ट्रायल के लिये खोल दिया गया लेकिन बजाय इसके कि इसकी तारीफ की जाती, कहा गया कि कहीं-कहीं पर कट गयी है और गांव के गांव बह गये हैं। 1 1/1-2 सौ करोड़ की यह इतनी बड़ी योजना है, इतना बड़ा काम है, अगर ट्रायल के वक्त कहीं से कट गयी तो कौन बड़ी बात हो गयी। जो बड़े काम होते हैं उनमें कुछ न कुछ रिस्क होता ही है, कोई न कोई गल्ती होती ही है। तो मैं समझता हूं कि यह उचित बात नहीं है। हमारे इंजीनियर्स ने २४ घंटे दिन रात मिल जुल कर निर्धारित वक्त में इस काम को खत्म करने के लिये कोशिश की और पूरी मेहनत से काम किया। इसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को भी बधाई देता हूं और उनके नीचे जो काम करने वाले आफिसर्स थे उनको भी बधाई देता हूं। उन्होंने वक्त के अन्दर इस बड़ी योजना को पूरा किया।

इसी तरीके से रामगंगा प्रोजेक्ट जो बहुत दिनों से पड़ा हुआ था और जो एक वक्त यह मालूम होता था कि वह शायद कम्प्लीट नहीं हो पायेगा। उसको भी माननीय मंत्री महोदय ने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री आबिद अली]

और उनके इंजीनियर्स ने इस साल कम्प्लीट कर देने के लिये तय कर लिया है और इस बरसात में उसमें पानी भी भर जायगा और उससे उसके बाद बिजली भी बनेगी और सिंचाई भी होगी।

इसी तरीके से गंडक प्रोजेक्ट भी कम्प्लीट हो रहा है, यमुना का प्रोजेक्ट भी कम्प्लीट हो रहा है। तो यह सब चीजें ऐसी थीं जो बहुत दिनों से चल रही थीं और वह सब काम अब आपके जमाने में पूरे हो रहे हैं यह बहुत अच्छा है।

इसी तरीके से आपने मैनुअल के रिवीजन का काम भी अपने हाथ में लिया है। पुराना मैनुअल अंग्रेजों के वक्त का बना हुआ था और उस वक्त की मेन्टैलिटी के हिसाब से बना हुआ था। इस जमाने के लिहाज से उसमें तबदीली होना बहुत जरूरी बात है और उसके लिये आपने काम शुरू किया है। जब वह मैनुअल बन जायगा तो उससे काश्तकारों और दूसरे लोगों को काफी मदद मिलेगी और उनका काम आसानी से हो जावेगा।

हमारे दोस्त ने जब कल कटौती प्रस्ताव पेश किया तो उसमें कुछ चीजें जो उन्होंने कहीं मैं चाहता हूं कि कुछ उनका भी जिक्र कर दूं। पहली बात आपने यह कही कि हरियाणा और पंजाब के मुकाबले में यहां यू० पी० में सिंचाई के रेट्स बहुत ज्यादा हैं। यह सही है लेकिन आपने शायद यह ख्याल नहीं किया है कि हरियाणा और पंजाब छोटे सूबे हैं। वहां पर जो पानी मिलता है वह नजदीक मिलता है। उनको पानी कम लम्बाई तक ले जाना होता है। हमारे यू० पी० में लम्बाई और चौड़ाई कितनी ज्यादा है। इसी लिहाज से नहरें कितनी लम्बी हैं और जब पानी दूर तक ले जाया जावेगा तो जाहिर है कि खर्चा ज्यादा आयेगा और जब खर्चा ज्यादा आयेगा तो उसी लिहाज से रेट्स भी होंगे। मैं कहता हूं कि जब रेट्स ज्यादा हैं तब भी डिपार्टमेन्ट को नुकसान हो रहा है और आपके ख्याल के मुताबिक अगर रेट्स को कम करके डिपार्टमेन्ट नुकसान बरदाश्त करे तब तो डिपार्टमेन्ट ही नहीं चल पावेगा। मुझे भी काश्तकारों से हमदर्दी है और समझता हूं कि रेट्स कम होने चाहिए लेकिन पैसा कहां से आवेगा अगर पैसा टैक्स से हासिल किया जावेगा तब भी एतराज होगा और जब रेट्स बढ़ाया जावेगा तब भी एतराज होगा बहरहाल पैसा कहीं से तो आयेगा ही।

जो आपने कहा मैं समझता हूं कि वह माननीय मन्त्री जी के प्रति न्याय नहीं था। आपने कुछ मुसलमान इंजीनियर्स के नाम लिए और यह कहा कि उनके ऊपर चार्जेज थे और बजाय इसके कि उनकी तनज्जुली की जाती, और उनके खिलाफ ऐक्शन होता उनको तरक्की दी गई है और मैं समझता हूं कि इससे उनको शायद यह तास्सुर देना मकसूद था कि इंजीनियर्स भी मुसलमान हैं और मंत्री जी भी मुसलमान हैं और शायद मुसलमान होने के नाते ही मन्त्री जी ने उनके साथ कोई खास रियायत की है। मैं समझता हूं कि इस किस्म के चार्जेज हमारे मन्त्री जी के प्रति उनको नहीं लगाना चाहिए था क्योंकि हम बहुत दिनों से उनको अच्छी तरह से जानते हैं। वे पुराने नेशनलिस्ट मुसलमान हैं और उन्होंने कभी किसी हिन्दू और मुसलमान में इमतियाज नहीं बरता, अगर मुसलमान को शिकायत हो कि उनके साथ कभी-कभी ज्यादती हो जाती है तो वह सही हो सकती है लेकिन यह गलत है कि उनके साथ खासतौर से रियायत की गई है। यह गलत चीज है और मैं समझता हूं कि हमारे दोस्त जो डिपार्टमेन्ट में रहे हैं उनको खुद भी मालूम होगा कि कैसे क्या होता है। इस काम के लिए एक सेलेक्शन कमेटी होती है और वह कमेटी अफसरान की होती है। वह रेकर्ड्स देखती है और उसके बाद कार्यवाही करती है। अब उसमें मिनिस्टर का कोई कन्सर्न नहीं होता है और उसके लिए जिम्मेदारी मिनिस्टर पर आयद करना मैं समझता हूं कि यह गलत बात है। इस वास्ते यह चार्ज सही नहीं है।

उन्होंने जूनियर इंजीनियर्स के लिए बड़ी हमदर्दी दिखाई। मैं समझता हूं कि यह स्वाभाविक था क्योंकि उस जमाने में वह उसी क्लास से ताल्लुक रखते थे इसलिए उनकी तरफ कुछ हमदर्दी होना स्वाभाविक है। पहले जमाने में ओवरसियर्स कहलाते थे और अब जूनियर इंजीनियर्स कहलाते हैं। गवर्नमेंट जितना भी उनके लिए कर सकती थी उसने किया हालांकि उन्होंने गवर्नमेंट के प्रति न्याय नहीं किया। क्योंकि जब इलेक्शन इस सूबे में हो रहा था, उन्होंने गवर्नमेंट के पीठ में छुरा भोंकना चाहा। उन्होंने उसी वक्त स्ट्राइक किया और काम रोकना चाहा ताकि सरकार की गर्दन दबाकर कुछ चीजें मनवा लें। लेकिन सरकार ने उनकी जायज बातें मानीं और नाजायज नहीं मानीं।

अधिष्ठाता महोदय, हमारे एक साथी ने एतराज कर दिया कि मन्त्री जी अगर नहर पर गुजरें तो बेहोश हो जायं और उनका खेती से कोई ताल्लुक नहीं है और इसी वास्ते इस मुहकमे की हालत खराब है। उनको शायद मालूम नहीं है कि हमारे मन्त्री जी के पास जितनी जमीन है उससे ज्यादा शायद किसी के पास यहां जमीन न हो..... (हंसी) ऐसा नहीं है, वह काश्तकार भी हैं, उनके बागात भी हैं। तो यह इल्जाम लगाना कि वह काश्तकार नहीं हैं, वह जानते नहीं हैं, यह चीज गलत है।

एक सदस्य—

जैसा कि कहा गया कि मन्त्री जी के पास ज्यादा जमीन है और इतनी ज्यादा है कि शायद किसी के पास नहीं है, तो क्या सीलिंग से भी ज्यादा है ?

श्री अधिष्ठाता—

उनका आशय यह था कि सीलिंग के भीतर है।

श्री आबिद अली—

अब मैं कुछ अपने जिले के मुताबिक कहना चाहूंगा जो मैं कह नहीं पाया, इसलिए मुझे 5 मिनट और दे दिए जायं।

श्री अधिष्ठाता—

3 मिनट में अपनी बात कह दें।

श्री आबिद अली—

मेरे जिले से, मेरी कांस्टीट्युएंसी से शारदा सहायक नहर गुजरती है, लेकिन वहां पर पानी कुछ नहीं है। मैं चाहता हूं कि वहां पर माइनर कुछ निकाल दी जायं ताकि हमारे जिले से जब जमीन नहरों के लिए दी गई तो काफी लोगों का नुकसान हुआ, तो कुछ फायदा भी उनको हो जाता और यह शिकायत न रहती कि हमारे खेतों से नहर गुजरी है और पानी नहीं दिया जा रहा है।

इसी तरीके से खीरी ब्रांच जो हमारे जिले से निकल रही है, पहले उसी का पानी कुछ आगे चला जाता था। अब शारदा सहायक नहर का जो पानी है वह आगे जायगा। कुछ बचेगा तो हमारे जिले को ज्यादा पानी उसमें से मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे जिले में पानी का बड़ा अभाव है और पानी न मिलने की वजह से खेती अच्छी नहीं हो पाती है।

इसी तरीके से नहरों पर कटिंग का बड़ा मामला है। मुमताज भाई ने भी इस ओर ध्यान दिलाया, मैं भी दिला रहा हूं। अगर उसके लिए कोई पैट्रोलिंग पार्टी कायम कर दी

[श्री आबिद अली]

जाय जो कि पैट्रोलिंग करती रहे और नहर पर जो ऐसे लोग मिलें उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय तब यह चीज खत्म हो सकती है।

आज नहरों का जो कमांड एरिया है वह बहुत बड़ा है। वह तब का बना हुआ है जब खेतों को एक दफा पानी देना पड़ता था। अब नई वेराइटीज आ गयी हैं जिनको कई बार पानी देना पड़ता है। इसलिए कमांड एरिया नहर का कम होना चाहिए ताकि लोग कई-कई बार पानी दे सकें।

गूलें उस वक्त की बनी हैं जब चकबन्दी नहीं थी। अब चकबन्दी हो गयी है तो बाज लोग अपने खेतों से गूलें नहीं निकलने देते हैं और बन्द कर देते हैं। ऐसी हालत में गूलों का सर्वे नए तरीके से करा लिया जाय और जितनी गूलें बन्द हो गयी हैं या कम कर दी गई हैं वहां नयी बना दी जायं।

श्री अधिष्ठाता---

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री आबिद अली---

ट्यूबवेल के मुतल्लिक कहना चाहता था कि हमारे जिले में कुल 25 ट्यूबवेल थे, वह कम से कम 50 कर दिए जायं ताकि हमारे जिले वालों को कोई शिकायत न रहे।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री आबिद अली---

ड्रेनेज का मामला बड़ा खराब है। 1970-71 में बारिश हुई थी तो हमारे यहां 1 लाख मकान गिर गए और डेढ़ लाख रुपया गवर्नमेंट को मकानों के लिए सहायता देनी पड़ी। इसलिए वहां ड्रेनेज का इन्तजाम किया जाय। इस साल हमारे जिले से कुछ स्कीम 19 लाख रुपये की आई है, लेकिन पैसा बहुत कम मंजूर किया गया है। इसलिए जितने की स्कीम हमारे यहां से आई है वह पूरा रुपया मंजूर कर लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता---

श्री हरीशचन्द्र खण्डेलवाल।

*श्री हरीश चन्द्र खंडेलवाल (जिला पीलीभीत)---

श्रीमान् अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस चर्चा पर बोलने का मुझे समय दिया। मेरे अन्य साथियों ने भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में जो चर्चा की उसके बारे में मुझे अधिक कुछ नहीं कहना है। सिर्फ इतना ही कहना है, जिसे कई बार मुख्य मंत्री जी ने भी स्वीकार किया है कि शासन में भ्रष्टाचार है, उसे हम मिटा रहे हैं, मिटा के रहेंगे। इतना ही काफी है कि उन्होंने भ्रष्टाचार है को स्वीकार किया।

मुझे तो आपके द्वारा सिंचाई मंत्री जी से इतना ही कहना है कि पैसा इकट्ठा कर लेने और खर्च कर लेने से ही कोई योजना पूरी नहीं होती यदि उस पैसे का सदुपयोग नहीं किया जायगा। चूंकि वह इस विभाग के मंत्री हैं यह उनकी जिम्मेदारी है कि वह इस पैसे का दुरुपयोग न होने दें। यदि पैसे का दुरुपयोग नहीं होगा तो योजनायें अवश्य पूरी होंगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चूंकि समय बहुत थोड़ा दिया जाता है और मुझे भी उसी हिसाब से थोड़ा समय दिया गया है इसलिये मैं और बातें न कह कर केवल अपने क्षेत्र की बात आपके माध्यम से मंत्री जी से कहूंगा।

मैं पीलीभीत जिले के पूरनपुर क्षेत्र से चुन कर आया हूं और एक अजीब बात आपको यह बताऊं कि 27 वर्षों में इस सरकार ने कोई भी सिंचाई योजना मेरे क्षेत्र में नहीं चलाई। यह हमारे लिये बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम लोगों का योगदान सब मामलों में इतना आगे है कि उस पर भी आपकी दृष्टि डलवाऊं। जितनी भी बड़ी-बड़ी नहरें निकली हैं—हरदोई ब्रान्च, निगोही ब्रान्च, खीरी ब्रान्च—वे सब हमारी जमीन का सीना फाड़ कर निकली हैं। शारदा सागर डैम भी हमारी जमीन पर ही बना है। आपकी जो गेहूं वसूलने की खाद्य नीति चली है उसमें भी 30 हजार क्विन्टल गेहूं हमारी तहसील ने दिया है। आपने एक कहावत सुनी होगी, "गुदड़ी में लाल", तो गुदड़ी में का लाल बन कर हमारी पूरनपुर तहसील भी चमक कर सामने आयी है। आपने परिवार नियोजन योजना चलायी। उसमें भी आपने अपना लक्ष्य ही पूरा नहीं किया बल्कि प्रदेश में एक स्थान भी प्राप्त किया हम लोगों की सिंचाई का फायदा उठा कर। लेकिन सरकार पता नहीं इस तहसील की इतनी उपेक्षा क्यों करती है।

हमारे यहां से जो नहरें निकली हैं जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया, ये अधिकांश जंगल के मध्य से निकली हैं, केवल एक नहर निगोही ब्रान्च मैदानी इलाके से निकली है। उसमें कुलाबे इतनी कम संख्या में दिये गये हैं जो वहां के किसानों के लिये बहुत ही कम हैं। अगर हम सिंचाई की नयी मांगे करते हैं तो हमारी बात सुनी नहीं जाती। आज कल सिंचाई के तीन ही रास्ते हैं—नहर, बिजली और डीजल इंजन। सिंचाई की बात तो मैंने आपके सामने रखी। दूसरा नम्बर आता है बिजली का। बिजली के बारे में मैं क्या कहूं? उस का तो भगवान ही मालिक है। उसके बारे में ज्यादा बात कह कर आपका और आपका समय लेने से कोई फायदा नहीं समझता हूं। इन दोनों बातों से निराश हो कर हमारे यहां के परिश्रमी किसान ने डीजल इंजन का सहारा लिया। आप जानते हैं कि इस देश में डीजल इंजन पाने के लिये क्या मुसीबतें उठानी पड़ती हैं। छोटे-मोटे देवता का मिलना आसान होता है लेकिन डीजल इंजन का मिलना बहुत कठिन होता है। अभी सिंचाई मंत्री जी हमारे जिले पीलीभीत में गये थे। इन्हीं बातों के लिये मैं उनसे मिला था और उनसे सब बातें कहीं। उन्होंने आश्वासन दिया कि आप मुझे यह सब लिख कर दें। मैंने लिख कर भी दिया परन्तु पता नहीं किस वजह से हम लोगों की उपेक्षा की गयी।

एक तो डीजल ने किसानों की कमर तोड़ रखी है दूसरे डिजल इंजन में भी उसकी जेब खूब काटी जाती है। अगर किसान बाजार से अपने पैसे से डीजल इंजन खरीदता है तो वह उसको पंपिंग सेट वगैरह मिलाकर 2 हजार रुपये में पड़ जाता है, मगर वही चीज अगर किसान सरकारी कर्ज लेकर खरीदता है तो वह उसे 3,400 रुपये में पड़ता है। उस अधिक पैसा का बटवारा हो जाता है। मैं आपके माध्यम से सरकार के कानों तक यह बात पहुंचाना चाहता हूं। सरकार को इस ओर भी कोई कदम उठाना चाहिये जिससे कि किसानों को उचित दामों पर यह सब चीजें मिल सकें। इस संबंध में यदि मन्त्री जी मुझे बुलायेंगे तो मैं इसके लिये ठोस सुझाव भी उनको देने के लिये तैयार हूं कि किस तरह से इसको रोका जा सकता है।

[श्री हरीशचन्द्र खंडेलवाल]

हमारे पूरनपुर क्षेत्र में, जहां थोड़ा सा हिस्सा शाहजहांपुर जिले का भी मिलता है, जगतपुर ग्राम के निकट, पूरा क्षेत्र बरसात के दिनों में जल मग्न हो जाता है और उसके कारण वहां के निवासियों को घोर कष्ट उठाना पड़ता है । वहां से जल की निकासी के लिये कोई प्रबन्ध नहीं है । उसके एक किनारे पर, पूर्व की ओर रेलवे लाइन है जिसको काटना सम्भव नहीं है । दूसरी ओर नहर है । हर वर्ष पानी निकालने के लिये इस नहर को ही काटना पड़ जाता है । हर साल इस नहर पर लाखों रुपया सरकार को खर्च करना पड़ जाता है । इस नहर को बनाने से पूर्व अगर नहर विभाग के अधिकारियों ने सूझबूझ से काम लिया होता और उस पर लापरवाही न की होती तो सरकार का जो हर साल लाखों रुपया व्यय होता है, वह न हो पाता । मैं चाहता हूं सरकार अपने विशेषज्ञों द्वारा इसकी जांच करवायें और इसके लिये कोई उपाय ढूंढें ।

हमारे ही क्षेत्र में चकबन्दी के दौरान निर्माण कार्यों के लिये कुछ भूमि छोड़ी गयी थी यह कह कर कि वहां नहर बनायी जायेगी । उस भूमि पर आज तक नहर नहीं बनायी गयी और वहां खेती भी नहीं होने दी जा रही है । इससे राष्ट्र और किसान दोनों का बड़ा अहित हो रहा है । सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिये ।

पूरनपुर तहसील के दक्षिणी भाग में एक नहर है । हरदोई को अधिक पानी देने के लिये हमारे इंजीनियरों ने शारदा सागर से एक नहर जमीन के अन्दर ही अन्दर निकालकर इस नहर में मिला दी है । जहां यह नहर मिलती है वहां पर सैकड़ों एकड़ भूमि जलमग्न हो जाती है और वह एक जलाशय का रूप धारण कर लेती है । उस पानी को निकालने का भी कोई जरिया नहीं है । इसके कारण उस सैकड़ों एकड़ भूमि में खेती नहीं हो पाती । अगर वहां पानी की निकासी का इन्तजाम हो जाये तो वह भूमि खेती के काम आ सकती है और उस तहसील में खेती की पैदावार काफी बढ़ सकती है ।

मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि पूरनपुर तहसील की इन छोटी-मोटी समस्याओं की ओर ध्यान देने की कृपा करें क्योंकि हमारी तहसील ने बड़ी-बड़ी कुर्बानियां की हैं । मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि यह भी अधिक अच्छा हो अगर जिलेवार हर साल पत्रिकायें छपवाकर सभी विधायकों तथा सम्भ्रान्त लोगों में बटवायी जायें । बड़ा अच्छा हो कि किताबें छपवा दी जायें । इससे पता आसानी से लग जायगा कि इस जगह पर डेढ़ लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपया खर्च किया जायगा । हम लोगों को भी आसानी होगी कि और उन लोगों को भी थोड़ा मौका मिलेगा जो थोड़ी सी जानकारी करना चाहते हैं, दिलचस्पी रखना चाहते हैं । यह जो गोलमाल किया जाता है इससे भी आपको पता चल जायगा ।

अखबारों में आज पढ़ने को मिलता है कि सड़क केवल कागज पर ही बनी और उसकी मरम्मत हुई । सारा पैसा जो है खा लिया जाता है उसकी भी जानकारी आपको होती रहेगी । यह भी पता आसानी से लग जायगी कि अमुक जिले पर इतना खर्च किया जायगा । यह कोई बड़ी बात नहीं जिसको सरकार न कर सके । अतः आप ऐसी पुस्तकों को अवश्य छपवाइये । कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

*श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने सिंचाई विभाग जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी राय प्रकट करने का अवसर देने की कृपा की । मान्यवर, सिंचाई विभाग

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

से सम्बन्धित सिंचाई मन्त्री जी ने जो अनुदान प्रस्तुत किया है, मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

जहां तक सिंचाई विभाग के अनुदान के बजट का सवाल है मैंने गौर से समझा है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश की आवश्यकताओं को देखते हुए मैं यह महसूस करता हूं कि सिंचाई विभाग का बजट आवश्यकताओं को देखते हुए कम है। इसलिये इसमें कटौती का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। हमारे विरोधी दल को यह मांग करनी चाहिये थी कि इस विभाग के बजट को बढ़ा दिया जाय। ऐसा न करके विरोधी दल ने कटौती करने का प्रस्ताव रख रहा है।

जहां तक सिंचाई विभाग की हमारी जानकारी, है मुझे पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्खिन तक इस प्रदेश को देखने का मौका मिला और मैंने देखा कि इन 27 सालों में सिंचाई विभाग ने काफी महत्वपूर्ण काम किये हैं। मिसाल के तौर पर––

1––अपर गंगा कैनाल 2––अपर जमुना कैनाल––3 गंडक कैनाल 4––दोहरी घाट कैनाल और अनेक अन्य कैनाल सिंचाई की सुविधा के लिये बनायी गयीं हैं।

इसमें संदेह नहीं है कि सरकार ने सिंचाई विभाग के माध्यम से किसानों को काफी राहत पहुंचायी है। मैं महसूस करता हूं कि सिंचाई की जो सुविधायें उपलब्ध करायी गयी हैं उनसे किसानों को खेती के मामले में काफी आगे बढ़ने का मौका मिला है। जो कदम आज सरकार द्वारा उठाये जा रहे हैं उनसे किसान और देश का फायदा हुआ है।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि सिंचाई के साधन जिन स्थानों पर उपलब्ध हुये हैं और जिनके बारे में आलोचना और शिकायतें की गयीं कि एक एक जगह पर काफी सुविधायें हो गयी हैं, सही है। एक-एक जगह पर काफी सुविधाएं उपलब्ध हो गयी हैं और प्रदेश के कुछ ऐसे भी जिले हैं जहां पर सिंचाई के साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो सकें हों। इस संबंध में मेरा सुझाव है कि मंत्री जी और मंत्री जी का विभाग प्रत्येक जिले का सर्वे करायें और देखें कि कितनी सिंचित और कितनी असिंचित भूमि प्रत्येक जिले में है। और उसी के हिसाब से जिस जिले में सिंचित भूमि कम हो सिंचाई की ज्यादा सुविधायें उस जिले में दी जायं। मिसाल के तौर पर हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों जैसे बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, इन तीन जिलों में सरकार द्वारा सिंचाई की कोई ठोस योजना बनायी जानी चाहिये। सरकार की तरफ से कोई बड़ी और ठोस योजनायें नहीं हैं जिससे किसानों को अच्छी मात्रा में सिंचाई की सुविधा मिल सकें। आपको बताऊं कि बलिया और आजमगढ़ में एक दोहरीघाट योजना है। इससे आधे समय तक आजमगढ़ को और आधे समय तक बलिया जिले को पानी देती है इससे न तो पूरा पानी आजमगढ़ को मिल पाता है और न बलिया को। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिये कि जिससे की दोनोंजिलों को सिंचाई के लिये पूरा पानी मिलता रहे। सरकार ने बलिया जिले में तर्की कैनाल योजना बनाने की योजना बनाई है। उसका सर्वे हो गया है। अब मालूम हुआ कि उसका हेड काम हो गया है। लेकिन जब से आज तक इतनी धीमी गति से वहां काम हो रहा है कि समय के अन्दर कैनाल तैयार हो पायेगी कि नहीं। सरकार को गम्भीरता से इस पर विचार करना चाहिये। गाजीपुर में लिफ्ट इरीगेशन की व्यवस्था तथा ट्यूबवल की व्यवस्था को देखते हैं लेकिन ये कोई ऐसी बड़ी योजनायें नहीं हैं जिससे गाजीपुर को बराबर पानी दिया जा सके। हमारे पड़ोस में देवरिया में गंडक नहर का काम परा हो चुका है। गंडक नहर में पानी दे दिया गया है उससे देवरिया और गोरखपुर की स्थिति सुधर सकती है। लेकिन दक्षिण में सलेमपुर तथा उसके पास-पड़ोस के क्षेत्र में नहर की कोई व्यवस्था

[श्री जगन्नाथ चौधरी]

नहीं है। वहां जो सरकार ने ट्यूबवेल दिये हैं वह नहीं के बराबर हैं। सरकार को इन तीन पूर्वी जिलों के बारे में एक बार सर्वे कराना चाहिये और फिर ठोस तरीके से पानी का प्रबन्ध करना चाहिये। जिससे वहां के किसान पश्चिमी जिलों की तरह पानी पाकर खुशहाल हो सकें।

पश्चिमी जिले के विधायक पूर्वी जिले के विधायकों की मजाक करते हैं कि हम लोग पिछड़े हैं। हम लोगों को पिछड़ा कहने में उनको हिचक नहीं होती है। यह हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हमारे लिये जो व्यवस्था सरकार ने की है वह ठीक नहीं है। इस लिये मजबूर होकर पश्चिमी जिलों के मुकाबले में हम लोगों को पिछड़ा कहना पड़ता है। पश्चिमी जिले में नहरों की व्यवस्था है, ट्यूबवेल तथा राजकीय नलकूपों की व्यवस्था है। इससे वहां के किसान खुशहाल हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर तथा सहारनपुर की जमीन बलिया, आजमगढ़ गाजीपुर तथा गोरखपुर की जमीन में कोई फर्क मुझे नहीं लगता है। यहां की जमीन उपजाऊ तथा समतल है। लेकिन उन जिलों को सुविधा प्राप्त हैं और हमको वे सुविधायें नहीं प्राप्त है। इसलिये हम लोग पिछड़े हैं। मैं आपसे अपील करूंगा कि इस पर आप गम्भीरता से विचार करें। हमारे जिले में तुर्की कैनाल को अविलम्ब बनाने की व्यवस्था की जाय, बलिया जिले में अतिवृष्टि से पूरा जिला तबाह हो जाता है। त्रिपाठी जी ने आश्वासन दिया था कि मैं वहां के तमाम बरसाती पानी को निकालने की व्यवस्था करा दूंगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आश्वासन के बाद भी वहां के बरसाती पानी के निकलने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। वहां जो एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर बनाये गये वह निकम्मे निकले। उन्होंने 1—2 तालाबों के बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्था करने के बाद कुछ काम नहीं किया। उनका वहां से ट्रान्सफर भी कर दिया गया लेकिन फिर उनको बलिया में ही रोक दिया गया। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि बलिया—गंगा और घाघरा के बीच में पड़ता है जिससे वह नदी की कटान से तबाह रहता है। सरकार ने चांदपुर तथा गऊ घाट में ठोकर बनाने की व्यवस्था की है। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है अपने जिले के अधिकारियों के बारे में कि इशारा करने के बावजूद भी, कि जो काम गर्मी और जाड़े में करना हो, करा लें, ताकि बदनामी न हो, कि सारा पैसा पानी में बहा दिया —उन ठोकरों के काम को नहीं करा सके और इस वक्त इन तमाम ठोकरों का काम नहीं हुआ है। मुझे आशा है, मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे।

राजकीय ट्यूबवेल के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि बलिया में इन्जीनियर इन्चार्ज दौरे पर गये थे और वहां की तमाम बातों को अपने मुआयने में लिखा था कि बलिया जिले की स्थिति को देखते हुये यहां प्रत्येक वर्ष 75 ट्यूबवेल्स लगातार 10 वर्षों तक दिये जाय, तब यहां की स्थिति में सुधार आ सकता है। आज वह इन्जीनियर इन चीफ हैं और सचिव भी हैं, अपने मुआयने में बलिया की स्थिति के बारे में खुद उक्त बातें लिख चुके हैं लेकिन फिर भी कोई प्रगति नहीं दिखलाई दे रही है। केवल 10/5 ट्यूबवेल दिये गये हैं।

यह तो थीं, मान्यवर, हमारे जिले की बातें। अब मैं भ्रष्टाचार के बारे में दो बातें कह देना आवश्यक समझता हूं। चाहे सरकार के पक्ष के हों, या विरोधी पक्ष के हों, लोग भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा करते रहे हैं। जहां तक मैं समझता हूं, यह बात सही है, और जो बात सही है, उसे कहना ही पड़ेगा। मेरा भी ऐसा विश्वास है कि आज इस विभाग के लिये जितना बजट पास करते हैं, उसका 50 प्रतिशत पैसा भी जनता के निर्माण-कार्य में खर्च होता है या नहीं, मुझे संदेह है। इसके बारे में निवेदन करूंगा कि और सुझाव भी दूंगा कि जो हमारे सिंचाई विभाग के सचिव हैं और इन्जीनियर इन्चीफ हैं, वह एक योग्य कर्मठ और ईमानदार व्यक्ति हैं। उनकी ईमानदारी और निष्ठा में तनिक भी संदेह नहीं है। लेकिन उनसे यह

कहना चाहता हूं कि जब वह सब से ऊंची कुर्सी पर बैठे हैं, और उनके नीचे के कर्मचारी भ्रष्ट हैं, तो यह भी उनकी जिम्मेदारी है। इस विभाग में भ्रष्टाचार दूर करने के संबंध में, मान्यवर, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि सभी चीफ इन्जीनियर्स की एक मीटिंग करें और उसमें यह तय करें कि जिस चीफ इन्जीनियर के मण्डल में शिकायत पायी जायेगी, सबसे पहले चीफ इंजीनियर को उसका उत्तरदायी होना पड़ेगा। अगर बड़े अधिकारियों को छूट दे दी जायेगी और छोटे कर्मचारियों पर ही नजर रखी जायेगी, तो यह भ्रष्टाचार दूर होने वाला नहीं है। यदि वहां इक्जीक्यूटिव इन्जीनियर और असिस्टेंट इन्जीनियर चोरी करते हैं, तो ओवरसियर भी चोरी करेगा। इसलिये आपकी जिम्मेदारी होती है कि पहले उस ई०ई० और असिस्टेंट इन्जीनियर को टाईट करें, अन्यथा भ्रष्टाचार दूर नहीं होने वाला है। अगर ऐसा नहीं करते, तो यह आपकी लापरवाही है।

एक बात मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि नहर और ट्यूबवेल के रेट में बहुत अंतर है। नहर का पानी सस्ता है और ट्यूबवेल का पानी मंहगा मिलता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नहर और ट्यूबवेल के पानी से जो गेहूं पैदा हुआ है, उसके रेट में कितना फर्क डाल कर हमारी सरकार लेवी के रूप में गेहूं ले रही है? दोनों गेहुओं का क्या रेट रखा है? मान्यवर, सरकार ने नहर और ट्यूबवेल से पैदा किये हुये गेहूं का एक रेट रखा है, दो नहीं। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि सरकार को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये कि नहर का पानी सस्ता है, और ट्यूबवेल का पानी मंहगा है, दोनों के पानी के रेट में जब फर्क है, तो ऐसे गेहूं के रेट में भी फर्क होना चाहिये, जो कि नहीं है। मेरे इस निवेदन का तात्पर्य यह नहीं कि ट्यूबवेल का पानी अगर महंगा है, तो नहर के पानी को को भी महंगा कर दिया जाय। बल्कि मेरा निवेदन तो यह है कि ट्यूबवेल के रेट को भी घटा कर नहर के रेट के बराबर कर दें। अगर मेरे सुझाव को सरकार मान लेती है, तो इसका नतीजा यह होगा कि किसान को सुविधा होगी और किसान गेहूं की पैदावार और बढ़ा सकेगा और जो आज डण्डे के बल पर या आग्रह करने पर किसान गेहूं देता है, वह अपने आप सरकार को गेहूं दे सकेगा।

श्री राम सजीवन (जिला बांदा)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्रदेश में सिंचाई की भारी कमी है यह हमारे माननीय मन्त्री जी ने भी माना, सरकार ने भी माना है और सदन के सभी सदस्य भी इस बात को मान रहे हैं। सभी कह रहे हैं कि उनके क्षेत्र में सिंचाई की अधिक से अधिक सुविधाएं बढ़ायी जायं। मालूम होता है कि मन्त्री जी ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि सभी सदस्यों को या सदन को यह आश्वासन दे सकें कि सिंचाई की सुविधाएं बढ़ायी जा सकेंगी। यह सरकार सिंचाई के बारे में शिथिल जान पड़ती है। यह शिथिलता ही मुख्य कारण है जो सदन के सदस्यों को चिन्ता में डुबो रही है। यदि यह सरकार सिंचाई के बारे में समुचित ध्यान दे और प्रयास करे तो यह सम्भव हो सकता है।

हमारे बुन्देलखण्ड में सिंचाई का और भी अधिक अभाव है। वहां से आने वाले सदस्य इसीलिए और भी चिंतित रहते हैं। वहां भारत सरकार ने एक योजना स्वीकार की है जिसको डी० पी० ए० पी० अर्थात् ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम कहते हैं। भारत सरकार के सर्वे के अनुसार छै जिले मिर्जापुर, बनारस, इलाहाबाद, बांदा, हमीरपुर और जालौन इस योजना के अन्तर्गत आते हैं क्योंकि यह सूखाग्रस्त क्षेत्र है। पहला निवेदन यह है कि

[श्री रामसजीवन]

जो पैसा भारत सरकार से आता है वह बहुत कम है। हम भारत सरकार के अधिकारियों से मिलते रहते हैं। ऐसा लगता है कि हमारी सरकार और मन्त्री जी इस ओर से उदासीन हैं। नतीजा यह होता है कि यहां से योजना भेज दी और मंजूर हो गयी और समझ लिया कि इतने से काम चल जायगा। अगर यह दिलचस्पी लें और कोई बड़ी योजना भारत सरकार के पास भेजें तो मुझे विश्वास है कि भारत सरकार रुपया देगी। लेकिन इनकी कोई योजना बन कर नहीं जाती। विभाग दिलचस्पी लेता नहीं और मन्त्री जी भी दिलचस्पी नहीं लेते और इस प्रकार यहां की अकाल और भुखमरी से बचाने की योजना खटाई में पड़ी रहती है। जो रुपया भारत सरकार से मंजर होकर आता भी है तो उसमें ऐसा प्रावीजन है कि वह रुपया सिंचाई में न लगाकर दूसरी मदों में लगाया जाय। सिंचाई जिससे अकाल की स्थिति दूर हो सकती है उसमें बहुत कम पैसा रह जाता है। मैं बताऊं, हमारे सामुदायिक विकास मन्त्री जी बैठे हैं। पौने दो करोड़ रुपया आया। इन्होंने अपना मिला कर या कम करके 60-65 लाख रुपया स्वाइल कंजरवेशन में दे दिया। वह देना चाहिए था सिंचाई के लिए लेकिन दे दिया स्वाइल कंजरवेशन के लिए। 15 साल से योजना चल रही है और जो भी कृषि मन्त्री आता है उससे अधिकारी बयान दिलवा लेते हैं कि यह बड़ी लाभप्रद योजना है। चलें मन्त्री जी और देखें कि स्वायल कंजरवेशन में लाखों रुपये बरबाद किये जाते हैं और किसानों को जबरदस्ती कर्जदार बनाया जाता है। स्वायल कंजरवेशन से सम्बन्धित मन्त्री जी बैठे हुए हैं वे देखें कि 15 साल से किसानों को लाभ नहीं हुआ और लाखों रुपया बरबाद हो गया। यदि यह रुपया सिंचाई विभाग में लगा दिया जाता तो किसानों को कायदा होता। भारत सरकार से डी० पी० ए० पी० फंड से जो रुपया आता है उसमें ज्यादा से ज्यादा रुपया हमारी सरकार को लेने का प्रयास करना चाहिए। अकाल और सूखे की समस्या सिंचाई से दूर होगी लेकिन आप स्वायल कंजरवेशन के अलावा पेड़ लगाने लगे। आप कहते हैं कि पेड़ लगाये जायेंगे तो वर्षा होगी। 25 साल से पेड़ लगाये जा रहे हैं लेकिन पेड़ लगाने से कोई फायदा नहीं हो रहा है। मेरा सुझाव है कि सिंचाई में रुपया लगाइये और इधर-उधर बरबाद न कीजिए।

बुन्देलखंड इलाके में बांध तथा लिफ्ट इर्रीगेशन भी बहुत सफल साबित हुए हैं। वहां ज्यादा से ज्यादा इसकी व्यवस्था की जाय। कुछ इलाके में ट्यूबवेल की योजना भी चल सकती है। जहां समतल जमीन है वहां ट्यूबवेल भी सफल हैं क्योंकि वहां पानी का धरातल नजदीक उपलब्ध होता है। हमारे यहां बोरिंग जल्दी सफल नहीं होती। किसानों ने अपने से प्रयास किया और हजारों रुपया बरबाद कर दिया और फिर हताश होकर वे बैठ गए। यदि सिंचाई विभाग किसानों के यहां रिंग मशीनों से बोरिंग करवाता तो उनको अधिक सुविधा भी मिलती और सफलता भी प्राप्त होती।

सिंचाई विभाग का संक्षिप्त विवरण सरकार की ओर से छापा गया है। भारत सरकार ने डी० पी० ए० पी० में 8 जिले और दे दिये हैं। माननीय मंत्री ने जो 14 सूखाग्रस्त जिले घोषित किये हैं उनमें बांदा जिला छोड़ दिया है, इसलिये कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में वहां हार गयी और बांदा को सजा देने के लिये ऐसा किया गया है। वहां की जनता में इसके लिये आन्दोलन हो रहा है कि उस इलाके को सूखाग्रस्त घोषित करो फिर भी सरकार द्वारा उपेक्षा की गयी। 8 अन्य जिलों को तो लिया गया लेकिन बांदा को छोड़ दिया गया। सरकार द्वारा इस प्रकार का उपेक्षा पूर्ण बर्ताव नहीं होना चाहिये और उस इलाके को सिंचाई की सुविधायें ज्यादा से ज्यादा देनी चाहिये।

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा इलाका बड़ा पिछड़ा हुआ है वहां पर जो नहरों की पटरियां हैं उनमें अक्सर बड़ा झगड़ा होता है। नहरों के अधिकारी किसानों के बैलों का चालान कर देते हैं, बैलों को बन्द करा देते हैं और उससे झगड़ा हो जाता है। अतः मैं चाहता हूं कि इन पटरियों को पक्का कर दिया जाय और मेरे उसे जनता के लिये लिये खोला जाय। वैसे सुना है कि सरकार ने इन पटरियों को पक्का कराने का फैसला ले लिया है लेकिन सरकार का फैसला कागजों पर ही रखा रह जाता है। इसलिये सरकार को उस प्रोग्राम को लागू करना चाहिये और उसकी गति तेज करनी चाहिये। ताकि किसानों को सुविधा मिल सके। इसके लिये सरकार को किसी प्रकार की जमीन भी एक्वायर नहीं करनी है। इतना ही मुझे कहना था।

श्रीमती सुखदा मिश्रा (जिला इटावा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने इतने आवश्यक विषय पर हमें बोलने का सुअवसर दिया इसके लिये हम आपको धन्यवाद देते हैं।

सब से पहले हम उत्तर प्रदेश सरकार को इस बात के लिये बधाई देना चाहते हैं कि यहां पर शारदा सहायक नहर योजना दो हफ्ते समय से पहले पूरी हो गई। हमारे एक विपक्ष के भाई ने अभी इसकी आलोचना की थी कि वहां पर पानी चढ़ा दिया गया जिसकी वजह से कहीं-कहीं पर कटाव हो गया और लाखों रुपया बरबाद हो गया। परन्तु हम उस पर अपनी सरकार को बुराई नहीं दे सकते क्योंकि जब कोई काम होता है तो अक्सर उसमें गड़बड़ी भी हो जाया करती है। इस योजना से किसानों को बहुत बड़ा फायदा हुआ है उस ओर हमारे भाई ने ध्यान नहीं दिया। इस योजना का अभी पहला चरण ही पूरा हुआ है तो और उससे 1.27 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी जिससे करीब करीब दो करोड़ किसानों को फायदा होगा। तो हम अपने भाई से यह कहना चाहेंगे कि वे पहले पूरे-पूरे आंकड़े देख लें और उस ओर विशेष ध्यान दें। जब हमारी यह योजना पूरी हो जायगी तब उससे हमें करीब 30 लाख टन एक्सस्ट्रा उपज मिलेगी। इसके अलावा करीब-करीब 17.2 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होगी। इस योजना के पूर्ण हो जाने पर हमें और अधिक लाभ होगा। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि हमारे यहां 80 प्रतिशत किसान हैं और उसमें 90 प्रतिशत छोटे किसान हैं। उनका हमें विशेष कर ध्यान रखना है। जब हम लोग और हमारे विधायक लोग अपने-अपने क्षेत्रों में जाते हैं तो देखते हैं कि उनको पानी का परा वितरण नहीं मिलता है। बहुत सी शिकायतें हमारे पास आती हैं कि बड़े किसान छोटे गरीब किसानों और हरिजनों को डांट-डपट करके उनका पानी काट लेते ह। हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि किसानों को जो पानी की वितरण की व्यवस्था की गई है उसके ऊपर वे विशेष ध्यान दें।

दूसरी बात यह है कि हमारे प्रदेश में खाद्य समस्या एक विकराल रूप धारण किये हुये है। इस समय हमारे सामने सबसे बड़ी खाद्य समस्या ही है। खाद्य समस्या का सिंचाई से सीधा सम्बन्ध है। इसलिये सिंचाई पर हमको विशेष आपत्तिकालीन समस्या की तरह विशेष ध्यान देना चाहिये। इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी हमारे सिंचाई के साधन हैं चाहे वे कुयें हों, रेहट हों, ट्यूबवेल हों, या लिफ्ट इर्रीगेशन हो, जो भी हमारी सरकार के पास हैं उनको फोरन ही आवश्यक समस्या घोषित करके शुरू कर देना चाहिये। इसलिये हम माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करेंगे कि वे देखे और अपने इन्जीनियर या डिपार्टमेंट के लोगों से यह पता लगायें कि कितना समय इस योजना में लगेगा और उसको मद्देनजर

[श्रीमती सुखदा मिश्रा]

रखते हुये जैसे शारदा नहर योजना समय से पहले पूरी हो गई है, उसे पूरा किया जाय। समय से पहले न हो तो समय पर अवश्य समाप्त करने की कोशिश करें। दूसरी बात मैं मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगी कि उन्होंने जो ट्यूबवेलों का वितरण किया है और उनके यहां जो लोग सर्वे करने जाते हैं, वे जिले में ट्यूबवेल्स दे देते हैं। उसमें वे कलेक्टर के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, उसका नतीजा यह होता है कि किसी क्षेत्र में 3 लगे और किसी क्षेत्र में 4 एक साथ लगे और जाने कितने क्षेत्र उससे बिलकुल वंचित पड़े रह जाते हैं। इससे न इस क्षेत्र को फायदा होता है और न दूसरे क्षेत्र को पूरा फायदा होता है। इसलिये मैं चाहूंगी कि एक बेल्ट के तौर पर इसका काम हो, एक बेल्ट ले लें और उस क्षेत्र की पूरी सिंचाई का प्रबन्ध करें। इससे यह होगा कि जो पिछड़े हुये क्षेत्र हैं, उसका पूरा का पूरा फायदा होगा। जहां और भी सिंचाई के साधन है, वहां उसका वह पूरा फायदा उठा सकेंगे।

जहां तक बड़ी योजनाओं का सम्बन्ध है, जिनमें ज्यादा पैसा लगता है, किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं है कि बिजली के कारण उनका बनाना बहुत जरूरी है। कुछ लोग इस बात की आलोचना करते हैं कि चूंकि बड़ी योजनाओं में ज्यादा धन और समय लगता है, इसलिये उस पर ध्यान नहीं देना चाहिये। लेकिन मेरा विचार है कि जितनी बड़ी योजनायें हैं, जिनमें बिजली भी पैदा होती है, उन योजनाओं पर विशेष ध्यान सरकार को देना चाहिये, जिससे बिजली की समस्या हमारे यहां हल हो सके।

ट्यूबवेल के बारे में हमारे सामने एक समस्या यह है कि हमारे पास बिजली और डीजल दोनों ही चीजों की कमी है। इसलिये मैं चाहूंगा कि हमारी सरकार इस तरीके के कुवें भी बनावे, जिनमें इन दोनों चीजों की आवश्यकता न हो, या हो तो बहुत कम हो क्योंकि इन पर 7-8 करोड का हर्जाना हो जाता है। चूंकि ट्यूब बेलों को पूरी बिजली नहीं मिलती है, उनके ट्रांसफार्मर चुरा लिये जाते है तथा उनकी और किस्म की चोरी हो जाती है, इसलिये टोटल उस पर हमारा काफी लास हो जाता है। आपत्तिकालीन स्थिति के तौर पर आप इसे लीजिये और छोटे-छोटे कुओं का भी प्रबन्ध कीजिये। इसके अलावा प्राइवेट लोग जो कुय बनवा सकते हैं, उनकी मदद करने पर सरकार ध्यान दे जिससे वे अच्छे और शीघ्र कुयें बनवा सकें

मैं सदन को बताना चाहूंगी कि शारदा सहायक योजना, रामगंगा योजना और गंडक योजना इन तीनों योजनाओं से 24.29 लाख हेक्टेयर की जो हमारे यहां कमी है, पूरी हो जायगी। आंकड़े से देखा जाये तो 150 लाख हेक्टेयर भूमि में, अगर हम उत्तर प्रदेश में सिंचाई कर सक तो हमें आने वाले रबी की फसल में अन्न का अभाव नहीं रहेगा। इस वक्त 97 लाख हेक्टेयर भूमि की हमने सिंचाई कर ली है, 53 लाख हेक्टेयर की सिंचाई यदि हम रबी की फसल में कर लें तो अगले वर्ष हमारी गेंहूं की समस्या करीब खत्म हो जायगी। इसलिये मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगी कि इस साल विशेषरूप से सिंचाई के ऊपर अधिक ध्यान दें, जिससे कि रबी की फसल में हमें कोई परेशानी न हो।

(इस समय 2 बजकर 29 मिनट पर अधिष्ठाता, श्रीमती मोहसिना किदवाई पीठासीन हुईं)।

रबी में ज्यादा परेशानी होती है, इसलिये हमें इस फसल के ऊपर अवश्य ध्यान देना है।

आपने चूंकि लाल बत्ती जला दी है, इसलिये मैं अपने क्षेत्र के बारे में अब कुछ कहना चाहूंगी। बड़े अफसोस के साथ हमें कहना पड़ता है कि 26 सालों में इटावा क्षेत्र में कुछ भी नहीं हुआ है। जब कि हमारे क्षेत्र में दो नदियां हैं, जिन नदियों के बीच में मंत्री महोदय जी पौने दो मील का फर्क है बरसात में, हलांकि आप अपनी योजना द्वारा उनको नहीं मिला सके, लेकिन प्रकृति से बरसात में आपस में मिल जाती है। मेरी आप से प्रार्थना है कि आप उस पर छोटा सा बांध बना दें तो जो नदियां प्राकृतिक रूप से मिल जाती हैं, वह हमेशा मिली रहे। उससे हमारे क्षेत्र को पूरा फायदा मिले। शायद मंत्री जी को यह भी पता नहीं होगा कि हमारे क्षेत्र

में एक पहाड़ जैसी समस्या है । वहां पर रिवाइंस हैं, बड़ी बड़ी खारें हैं । उनमें डाकू भी बसते हैं । अगर यहां बांध बन जाय तो हजारों हेक्टेयर प्लेन जमीन मिल जायगी । उससे खेती भी बढ़ेगी और हमारी यह समस्या जो सदैव बनी रहती है वह भी हल हो जायगी । वहां पर न कोई रास्ता है न सिंचाई के साधन हैं न वहां पर किसी किस्म की सुविधा है । इसलिये हम यह चाहेंगे कि मंत्री महोदय इस ओर विशेष ध्यान दें ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय हो चुका है ।

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

एक मिनट । 14 हजार 592 हेक्टेयर हमारे यहां एरिया है । उसमें 5 हजार 8 सौ 10 हेक्टेयर में सिंचाई होती है । इसमें लगभग 4 हजार हेक्टेयर में सिर्फ कुंओं से सिंचाई होती है । तो मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगी कि हमारे क्षेत्र में अब की ज्यादा कुयें दें क्योंकि बहुत पिछड़ा इलाका है इसमें ज्यादा कुयें देने की कृपा करें ।

श्री जंगबहादुर (जिला बाराबंकी)—

अधिष्ठात्री महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान खींचना चाहता हूं लेकिन इसके साथ दुख भी है । 15 अगस्त, 1947 को देश आजाद हुआ । जिस तरह से ग्रामीण जनता, किसान जनता और खेतिहर मजदूर जनता 15 अगस्त, 1947 के पहले राजा-महाराजाओं और जमींदारों से तबाह हुआ करती थी उसी तरह से 1952 में जमींदार प्रजा पार्टी के नाम से वेश बदल कर यह लोग चुनाव लड़े लेकिन चुनाव में पराजित हुये । फिर दुख की बात है कि 1957 में अपना वेश बदल कर कांग्रेस में घुस आये और कांग्रेसी बन गये । आज वही हालत है जो 15 अगस्त, 1947 से पहले थी, जिस प्रकार ग्रामीण जनता पर प्रहार करते थे, तबाह और बरबाद करते थे, वही कांग्रेसी हो गये हैं, वह सिंचाई योजना बनायेंगे, ग्रामीण जनता को सुख पहुंचायेंगे । दुख की बात है, सरकार के आंकड़े के अनुसार, इस पुस्तक में लिखा है, 54 फीसदी आय प्रदेश की कुल आमदनी की, ग्रामीण जनता से कृषि से होती है । दूसरे यह भी कहा गया है कि 1947 में 68 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई होती थी, अब 1975 के अन्त में हम एक करोड़ 60 लाख एकड़ से कुछ अधिक सिंचाई कर सकेंगे । यह भी कहा गया है कि कुल जमीन का क्षेत्रफल 28 फीसदी सिंचित कर पायेंगे । यानी 6 करोड एकड़ जमीन पर खेती होती है, जिसमें हम 28 फीसदी ही पानी दे पाये हैं आज तक । हमको अंग्रेज पानी दे गये थे उससे दूने से ज्यादा 27 साल में हमने पानी की प्रगति की है कुल साधनों द्वारा । अगर इस तरह से आप देश की सिंचाई के लिये प्रगति करते रहेंगे तो कम से कम 100 साल से ज्यादा लगेंगे ।

कब तक अमरीका और रूस व अन्य देशों से हाथ फैलाकर भीख मांग कर देश की जनता को खिलाते रहेंगे ।

दूसरी चीज मैं आपके सामने यह रखना चाहता हूं कि सिंचाई के साथ-साथ आपने और भी देश के साथ अनर्थ किया है । नदियों के सैलाब और अतिवृष्टि से हमारे गांव तबाह होते हैं और खेती लायक जमीन डूब जाती है । इस पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है । नहर बनाने से पहले उसके पानी की निकासी की व्यवस्था की जानी चाहिये थी । मैं 1957 में यहां आया था । उस समय चौधरी चरण सिंह सिंचाई मंत्री थे । मैंने सुझाव दिया और उन्होंने पानी निकासी की योजना बनाई । जब आप लोग मिनिस्टर हो जाते हैं तो सारी सुविधायें अपने यहां ही करते हैं । आप लोग खींचतान कर रहे हैं ।

[श्री जंग बहादुर]

आपने सारे उत्तर प्रदेश का सर्वेक्षण क्यों नहीं कराया ? यह क्यों नहीं देखा कि नहरों के द्वारा कितनी जमीन को पानी दे सकते हैं । बिजली द्वारा कितनी जमीन को पानी दे सकते हैं, नलकूपों के द्वारा कितनी जमीन को पानी दे सकते हैं, पम्पिग सेट्स द्वारा कितनी जमीन को पानी दे सकते हैं । नदियों के किनारे पम्प नहर द्वारा कितनी जमीन को पानी दे सकते हैं । इसके अलावा जो छोटे-छोटे जमीन के टकड़े हैं वहां कुयें तथा रहट बनाकर कितनी जमीन को पानी दे सकते हैं । यह सब योजना आपको बनानी चाहिये थी । लेकिन आपने कोई योजना नहीं बनाई । आपने प्रदेश की जनता को तबाह किया है और पक्षपात किया है । जब नहरें नहीं थीं तो पानी फैलकर बहता था और निकल जाता था । लेकिन उनके बन जाने से अब पानी रुक जाता है । पहले सैलाब नहीं आता था । चौधरी साहब के बाद आपने पानी निकासी की योजना बनाई है । लेकिन वह केवल कागज पर ही है । हैदरगढ़ के इलाके में तहसील के किनारे नाला खोदा । वह खोदा नहीं गया वैसे ही पड़ा हुआ है । ऐसे ही पिचरवा झील, मदहा झील, किरसाइल झील, कन्नवा, गनहरी, नरदही, बल्ला, परेमा झील शिवगढ़ से निकाली गई । आप देखें कि 10/12 वर्ष पहले जिस कदर इन झीलों में पानी भरा रहता था वैसे ही अब भी भरा रहता है ।

आप इसकी जांच क्यों नहीं करते हैं । मैंने बार-बार आपको आगाह किया लेकिन आपने कोई ध्यान ही नहीं दिया । इनके कारण किसानों की जमीन डूब जाती है, फसल मारी जाती है । आपने यह भी योजना नहीं बनाई कि सारे प्रदेश को पानी देने में कितना रुपया खर्च होगा और कितने दिनों में पानी दे पायेंगे । लेकिन इधर कोई ध्यान नहीं दिया गया तो प्रदेश तबाह हो जायगा । आप तो नवाबी खान्दान के हैं जो अवध को नहीं बचा सके वह इस प्रदेश को भी नहीं बचा सकेंगे । आपको सुझाव देने की क्या जरूरत है । अगर आप लोग गांवों में जायें तो ग्रामीण जनता की हालत भलीभांति मालूम हो । 1947 में कितना पानी नहरों में चलता था और बराबर नहरें चलती थीं । पहले नहरें हफ्ते बाद चलाते थे, अब पन्द्रहवें दिन चलाते हैं । फिर गांवों में नहरों के पानी के लिये लाठी चली, गांव फूंके ग , घर फूंके गये और फौजदारी हुई, दुश्मनी बढ़ी लोग तबाह हुए । ये सारे पाप आपके किये हुए हैं । अगर आप व्यवस्था किये होते, पूरा पानी दिये होते तो उत्तर प्रदेश सारे हिन्दुस्तान को खाना दे सकता था ।

दूसरा पाप आपने यह किया है कि खेती की बदौलत हिन्दुस्तान के 40 फीसदी कारखाने चल रहे हैं, चाहे वह शकर के हों, चाहे वह जूट के हों या चाहे तेल के हों । ये कारखाने बन्द होने वाले ह । मैं बताना चाहता हूं कि हैदरगढ़ के शर्मा जी असिस्टेन्ट इंजीनियर हैं वह अव्वल ईंटे के स्थान पर घटिये किस्म का ईंटा प्रयोग करते हैं । दरियाबाद के सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं । शारदा सहायक नहर बन रही है ।

श्री अधिष्ठाता--

2 मिनट का समय रह गया है ।

श्री जंगबहादुर (जिला बाराबंकी)--

शारदा सहायक के लिये घाघरा नदी से बालू आनी चाहिये, लेकिन एक चीफ इंजीनियर थे पश्चिमी इलाके में । पश्चिमी इलाके में वह ठेकेदार ठेका लिया करता था और वही ठेकेदार अब दरियाबाद में ठेकेदारी कर रहा है । यह जिसमें 5 फीसदी बालू और 95 फीसदी मिट्टी है उसको लगा रहा है । घाघरा नदी की बालू में 95 फीसदी बालू और 5 फीसदी मिट्टी है, उसको नहीं लगा रहा है । यह नतीजा हो रहा है । इसी तरह से हैदरगढ़ में गोमती नदी के किनारे के गांव शरीफाबाद गढ़ी, गोसियामऊ, मनहुवा, पलौली, भितरी और मंझार आदि गांवों में पम्प कैनाल नहर से पानी दे सकते हैं । इसके अलावा नावों के ऊपर सिंचाई की मशीनें

फिट करके पानी दे सकते हैं । जैसे-जैसे पानी नदी में बढ़ेगा वैसे वैसे ये नावें उठती जायेंगी और जैसे-जैसे पानी नदी का घटेगा वैसे-वैसे नावें पानी में साथ नीचे आती जायेंगी । लेकिन कोई योजना नहीं बनायी गयी है । यहां पर जो नाले खोदे गये हैं उनकी जांच की जानी चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया ।

श्री जंगबहादुर (जिला बाराबंकी)—

थोड़ा समय मुझे और चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता—

अभी बहुत से सदस्य हैं बोलने के लिये । मैंने आपको ज्यादा दे दिया है । एक मिनट और ले लें ।

श्री जंगबहादुर (जिला बाराबंकी)—

जिले के नाते से आप घबरा रही हैं कि कहीं दूसरे आक्षेप न करें । इसलिये समय नहीं दे रही हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

अच्छा 2 मिनट ले लीजिये ।

श्री जंगबहादुर (जिला बाराबंकी)—

नहरों में जो पानी मिलता है वह गरीब कमजोर किसानों को नहीं मिल पाता है । इसलिये ओसराबन्दी कर दी जानी चाहिये इससे किसानों में सिंचाई के मामले को लेकर झगड़ा नहीं होगा ।

दूसरी यह जो जनता की सड़कें हैं, जो नहरों की सड़कें हैं वह पक्की बनाई जांय । जो खेतों में पानी कट कर गया है उसे शायद आपने नहीं देखा लेकिन जिन लोगों ने नहरों को काट कर तालाबों को भरा है उनके ऊपर वाकई में मुकदमा चलाकर उनको सजा दी जाय । हमारे हैदरगढ़ में जो पक्षपात करके ऐसा किया गया है उसके खिलाफ कार्यवाही की जाय । इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री भूपसिंह कैन (जिला मेरठ)—

माननीया अधिष्ठाता महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया मैं आपका बड़ा आभारी हूं । मैं आपके माध्यम से सदन को बतलाना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान की मांग पेश की है उसका मैं भारी समर्थन करता हूं । जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है उसका भारी विरोध करता हूं। इसमें जो विरोधी दल होता है उसका विरोध करना ही काम नहीं होता बल्कि काम होता है विरोधी की आवाज यदि ठीक है और सच्ची है तो उसकी आवाज होती है, उसका जो सुझाव होता है, उसके विरोध से सरकार सतर्कता से काम करती है और अच्छा काम करती है । लेकिन मैंने देखा यह है कि विरोधी पक्ष का काम केवल विरोध करना ही है, चाहे बात सच्ची हो या बात कुछ भी हो । सदन में केवल एक विरोध करना ही उनका काम रह गया है । मैं माननीया अधिष्ठाता महोदया के माध्यम से सदन को बतलाना

[श्री भूपसिंह केन]

चाहता हूं कि किसी भी काम का विरोध करने के लिये उसकी दो बातों पर गौर करना पड़ता है । एक तो पहले नजर दौड़ाना पड़ता है कि आज से पहले सिंचाई विभाग में क्या था और आज क्या है ।

माननीया अधिष्ठाता महोदया, आपके माध्यम से सदन को बतलाना चाहता हूं कि किसी भी काम का विरोध करने के लिये उसकी दो बातों पर गौर करना पड़ता है । आज से पहले इस प्रदेश में सिंचाई का काम कैसा था, इस प्रदेश में बाबा आदम के जमाने के टाइम में सिंचाई के क्या साधन थे ? उस समय पकपरोहेड़ी से सिंचाई की जाती थी जो कि मान 24 घंटे खड़ा रहता था और चाहे जाड़े का दिन हो और आदमी ठिठुर रहे हों लेकिन उनको दिन भर खड़े हो करके ही सिंचाई करनी पड़ती थी । यह उस समय के सिंचाई के साधन थे । एक साधन यह भी था कि ढेकुली से लोग सिंचाई करते थे । मैंने सन् 58 और 60 में जाकर देखा था मध्य प्रदेश में और झांसी के कुछ इलाकों में कि रहट से वहां पर सिंचाई होती थी जो कि टिन की बाल्टी से न चला कर एक प्रकार की मिट्टी के करुवे की बालटी होती थी उसको इस्तेमाल करते थे और उससे पानी निकालकर अपने खेत किसान लोग सींचते थे । एक साधन और सिंचाई का होता था जिसको चरस कहते थे उससे सिंचाई की जाती थी । पोखर और चरस से भी सिंचाई होती थी किसी किसी स्थानों पर । कुछ सिंचाई ऐसी होती थी जिनको बैल खींचते थे और खेत सींचे जाते थे ।

मान्यवर, उस जमाने में और आज के जमाने में आजादी जब से मिली है और जब से यह सरकार काम कर रही है उन साधनों के बीच और आज के साधनों के बीच हमको देखने को मिला है कि आज गांवों में दूर से बटन दबाया और सिंचाई खेतों की होने लगी । इस प्रदेश में इतनी तरक्की हुई है कि आज जिस नहर से पानी कम मिलता था और उनमें बांधों से पानी लाया गया है । आज यहां पर तरक्की हुई है । जहां लोग बरही चलाते थे आज किसान ढेकुली नहीं चलाते हैं बल्कि बैठे-बैठे ही पम्पिंग सेट के द्वारा सिंचाई कर लेते हैं । जिन साधनों के द्वारा बैलों के जरिये से खेतों की सिंचाई होती थी और बैल पानी को खींचते थे, आज उससे बैलों को छुटकारा मिल गया है । कई-कई किसानों को अपने खेतों में पानी देने जाना पड़ता था । आज उससे उन्हें छुटकारा मिल गया है । आज किसान अपने घर पर बैठा-बैठा अपने छोटे बच्चों को भेज देता है और वह बटन दबा कर अपने खेतों में सिंचाई कर आता है । इस सरकार ने सिंचाई की तरक्की के मामले में और भी कई बातें की हैं । वर्ष 1947 में सिंचाई की क्षमता 27.5 लाख हेक्टर थी लेकिन आजादी मिलने के बाद जब हमारी योजनायें बनीं तो उस समय यह बढ़कर 30 लाख हेक्टर हो गयी । आज चौथी योजना के अन्त में यह बढकर 65.1 लाख हेक्टेयर हो गयी है । ये सब प्रगति के काम नहीं हैं तो और क्या हैं । सिंचाई के मामले में हमारे प्रदेश में बहुत तरक्की हुयी है ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्यों को मैं यह भी बतलाना चाहता हूं कि वे यह न समझें कि केवल उनको ही दर्द है । वे ही खेती नहीं करते हैं, मैं भी खेती करता हूं । वे ज्यादा करते होंगे, और मैं थोड़ी करता हूं ।

इस प्रदेश के अन्दर पांचवीं योजना समाप्त होगी, उसमें प्रदेश की सिंचित क्षमता 78 लाख हेक्टेयर होगी । मैदानी इलाकों में ही नहीं बल्कि पहाड़ी स्थानों में भी जहां पर सिंचाई असम्भव बात होती है, वहां भी हमारी सिंचाई क्षमता 16,000 हेक्टेयर से बढ़कर 85,400 हेक्टेयर अर्थात् पांच गुनी हो गयी है । इस प्रदेश में हमारी सरकार ने सिंचाई की तरीके में कई काम किये हैं । पहाड़ी इलाकों के साथ-साथ पूर्वी इलाकों में भी तरक्की हुयी है । योजना काल से पूर्व इस इलाके में 95,300 हेक्टेयर में सिंचाई होती थी लेकिन अब वह 19,52,000

हेक्टेयर में हो गयी है । जहां पर इतनी तरक्की हुयी है, वहां पर इसमें कुछ खामियां भी हुयीं हैं । और कुछ बातें ऐसी हैं जिनको सुनने से और देखने से बड़ा दुःख होता है । आज साइन्स का जमाना है । अगर हम उन पुराने तरीकों को सोचते रहे, हम यह कहते रहें कि मालिक की नजर से, खुदा की नजर से, भगवान की नजर से, हमारे देश और प्रदेश में वर्षा नहीं हुयी तो इस सहारे पर हमारी फसलें चौपट हो जायंगी । अमेरिका में सुना है, मैं गया तो नहीं, कि वहां पर किसान अपने फार्मों पर वर्षा, बनावटी बादलों से, कर लेते हैं । तो हमारी सरकार को भी सोचना चाहिये कि हम इस बारे में दिन दूनी रात चौगुनी मेहनत करके कुछ नये उपाय निकालें ।

हमारे मेरठ इलाके के लोग दुखी जब हो जाते हैं जबकि वहां के उच्चाधिकारी किसानों की आवाज नहीं सुनते हैं, उनकी दरख्वास्तों पर गौर नहीं करते हैं, उनकी परेशानियों पर गौर नहीं करते हैं । मेरी माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि मेरे इलाके में वे बार बन्दी करा दें । जब से वहां पर चकबन्दी हुयी है, न तो वहां पर दुबारा बारबंदी हुयी है और न वहां के किसानों को पानी ही मिल पाता है । जिनके चक आउट लैट के पास पड़ते हैं, वे ही किसान पानी के मालिक हो जाते हैं, दूसरों को पानी नहीं मिल पाता है । इन इलाकों में चकबन्दी के साथ साथ बारबंदी अवश्य करवा देनी चाहिये । अगर उनके उच्चाधिकारी किसानों की आवाज को और उनके दुखों को नहीं सुनते तो उनके साथ कुछ सोच समझ कर कदम उठाने की कोशिश की जावे । अन्त में मैं सब बातों को खत्म करता हुआ माननीय मंत्री जी द्वारा अनुदान की मांगों का भारी समर्थन करता हूं ।

श्री सत्य पाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदया, मैं आपकी अनुमति से कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैंने माननीय सिंचाई मंत्री महोदय का अनुदानों की मांगों को रखते हुये जो वक्तव्य था चार छः मिनट का उसे बड़े गौर से सुना और माननीय सदस्यों के विचारों को भी सुना । सब विचारों के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि माननीय मंत्री जी ने इस सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय पर केवल दो चार मिनट बोलकर सदन में एक निराशा का वातावरण पैदा किया है । आज उत्तर प्रदेश के अन्दर महंगाई, भुखमरी और अभाव का जो वातावरण पनप रहा है ऐसे वक्त में सिंचाई जैसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय पर सिंचाई मंत्री जी को ज्यादा वक्त देना चाहिये था और ज्यादा विस्तार से वक्तव्य देना चाहिये था परन्तु उनके अत्यन्त संक्षिप्त वक्तव्य से सारे सदन के लोगों में निराशा आई है और विपक्ष और सत्तारूढ़ दोनों दलों के सदस्यों ने इसीलिये इतना सब कहा है ।

माननीया अधिष्ठाता महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश जहां कि 86 प्रतिशत जनता देहातों में रहती है, कृषि ही जहां का मुख्य पेशा है, उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है । कृषि के लिये पर्याप्त सिंचाई, अच्छे बीज और खाद ये मुख्य तीन बातें होना आवश्यक है और इसमें भी सिंचाई के बगैर कोई भी चीज पैदा नहीं हो सकती है और इसीलिये इस पर अशोक मेहता जी ने जो कहा है उसमें से दो चार पंक्तियां पढ़कर सुनाना चाहता हूं—

"Irrigation has equally been neglected in the fifth five-year plan also. If this attitude is not reversed and if top most priority is not given to irrigation, fighting the monster of rising prices and poverty of crores of people will not be possible."

उन्होंने यह भी कहा है कि हमारे जो नेता लोग हैं वह अधिकतर यह कोशिश करते हैं कि पश्चिमी देशों के जो प्लान हैं उनका अनुकरण करें । हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और पश्चिमी देश उद्योग प्रधान है उनका अनुकरण करने से हमारे देश और प्रदेश की उन्नति नहीं हो सकती

[श्री सत्यपाल सिंह यादव]

न ही हमारे देश और प्रदेश का भाग्य बदल सकता है। आज इसका प्रमाण यह है कि फर्स्ट फाईव ईयर प्लान के अन्तर्गत हमारे देश के अन्दर टोटल बजट का 10 प्रतिशत सिंचाई पर खर्च किया गया दूसरे में 11 प्रतिशत तीसरे में 1(प्रतिशत, चौथे में 7.5 प्रतिशत और फिफ्थ फाईव ईयर प्लान में वर्ष के अन्दर 11 प्रतिशत खर्च हो रहा है। और टोटल सभी प्लान्स का जो अनुपात है वह सिर्फ 8.4 प्रतिशत है जो सिंचाई पर खर्च किया गया है और किया जायेगा। इस प्रकार से सिंचाई की अवहेलना की गयी है और उसका परिणाम यह है कि आज हमारा देश भुखमरी के दौर से गुजर रहा है।

माननीया अधिष्ठाता महोदया, हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की धरती में बुन्देलखंड, पहाड़ी इलाके और मैदानी क्षेत्र हैं। उनमें से पहाड़ी इलाकों और बुन्देलखंड के इलाकों में 50 प्रतिशत ऐसी धरती है जिसपर सिंचाई के साधन उपलब्ध कराये जा सकते हैं और मैदानी इलाकों में 80 से सौ प्रतिशत तक कराये जा सकते हैं लेकिन अब तक यह साधन उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। इसीलिये हम देखते हैं कि हमारे प्रदेश में जो सिंचाई की प्रगति है वह बहुत ही कम है और उसका प्रमाण यह है कि उत्तर-प्रदेश में केवल 4.3 प्रतिशत धरती सिंचाई की व्यवस्था की गई है जब कि पंजाब में 26 प्रतिशत, गुजरात और महाराष्ट्र में 16 और 17 प्रतिशत मद्रास में 56 प्रतिशत धरती पर सिंचाई की व्यवस्था हो सकी है, दुर्भाग्यवश हमारे प्रदेश के अन्दर अबतक केवल 4.3 प्रतिशत धरती पर ही सिंचाई की जा सकी है। इस तरह से हमारे प्रदेश के अन्दर सिंचाई के प्रति बहुत बड़ी अवहेलना की गई है और जिसका एकमात्र सबूत यह है कि हमने देखा है कि हमारे प्रदेश के अन्दर पर कैपिटा इन्कम प्लानिंग से पहले सिर्फ 260 रूपये प्रति व्यक्ति थी और आज आजादी के 27 वर्षों के बाद 245 या 246 रुपया रह गई है। इस तरह से हमारे प्रदेश की पर कैपिटा इन्कम गिरी है। जबकि देश की पर कैपिटा इन्कम 303 रु० है। आज इस निकम्मे शासन में आजादी के सत्ताइस सालों के बाद भी धरती प्यासी है। जनता भूखी है। और संपन्नता तभी होगी जनता की भूख जभी मिटेगी जब धरती की प्यास बुझेगी। जब धरती की प्यास नहीं बुझेगी तो वह दिन दूर नहीं होगा जब उत्तर प्रदेश की जनता अपने लहू से धरती की प्यास को बुझायेगी और अपने पेट की आग को शांत करने के लिये मजबूर होगी। यह मैं आक्रोश से नहीं कह रहा हूं, बल्कि तथ्यपूर्ण बात कह रहा हूं। आज ऐसे आसार दिखाई पड़ रहे हैं, देश और प्रदेश की परिस्थिति इतनी विकराल हो रही है कि सत्ताधारी मंत्रिगण जरा देहात में जाकर देखें और परखें तो पता चलेगा। खाली कह देने से और इरिगेशन का बजट प्रस्तावित कर देने से समस्या हल नहीं होगी।

अधिष्ठाता महोदया, हम देख रहे हैं कि प्रदेश के अन्दर ही नहीं, देश के अन्दर हरित क्रांति की आवाज उठायी गयी और सत्तारूढ़ पार्टी के जो नुमाइन्दे विद्यमान हैं उन्होंने बड़े-बड़े नारे दिये अखबारों में निकला चुनाव के वक्त में और हरित क्रांति का बड़ा प्रोपेगंडा किया। लेकिन हरित क्रांति कहीं भी नहीं आयी है। गरीबी का नारा देने से गरीबी दूर नहीं होती है। आज आपकी योजनायें त्रुटिपूर्ण हैं, शासन में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, लोग सच्चाई और ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। जब तक सत्तारूढ़ पार्टी अपने लोगों और अधिकारियों को वास्तव में सच्चाई और इमानदारी का जामा नहीं पहना सकती है तबतक आपको घाटा ही देखना होगा, कोई योजना सफल नहीं हो सकती है।

गंगा योजना पर 68 हजार रुपये की जो योजना बनी थी वह 1970 तक पूरी होनी चाहिये थी। सिंचाई मंत्री को पता हो या न हो, वह गंगा योजना आज 132 करोड़ रुपये पर पंहुच गयी है जो केवल 68 हजार रुपये की बनी थी और पूरी होनी चाहिये थी। वह क्यों बन्द है और 1973-74 में भी पूरी नहीं होने जा रही है? इस प्रकार से बड़ी-बड़ी योजनायें बना दी गयीं क्योंकि योजनायें बनाना सरल है। आपकी 551 योजनायें चल रही हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना से जिनकी शुरुआत हुई है और उनमें से केवल 345 सफल हो पायी हैं और सारी

अधूरी पड़ी हुई हैं। इतनी बड़ी धनराशि लगा दी गयी है, इतना पैसा, समय और श्रम भी लगा हुआ है, लेकिन सफल नहीं हो रही हैं। बड़ी योजनाओं से लघु योजनायें श्रेष्ठ हैं।

आजादी से पहले प्रदेश की जनता जिस तबाही के दौर से गुजर रही थी वह अब भी गुजर रही है। मैं इस सम्बन्ध में कुछ ठोस सुझाव देना चाहता हूं। ताकि जिस समय माननीय मंत्री जी उत्तर देने के लिये खड़े हों तो जो विचार रखे जा रहे हैं उनका वह विश्लेषण अवश्य करें। आज आपकी जो नहरें चल रही हैं उनपर अधिकांश आपके पतरौल और सरकारी कर्मचारी नहरों को कटवाते हैं और सिंचाई करावाते हैं। तो ऐसी व्यवस्था करें जिससे वह ठीक ईमानदारी से व्यवहार करें। नहरों की पटरिया न काटी जायें।

आप कुलावे अस्थायी तौर पर मंजूर करते हैं सितम्बर के महीनें में, और धान की पौध पड़ती है इस वक्त जरूरत होती है तो किसी को पानी नहीं मिलता है। शाहजहांपुर में नहरें आयी हैं तो पीलीभीत की शारदा कैनाल ब्रांच से आयी है। हमारी तहसील जलालाबाद और तिलहर में कोई सरकारी ट्यूबवेल नहीं है। जलालाबाद में कोई नहर भी नहीं है। तिलहर में एक दो नहरें हैं लेकिन उनमें पानी नहीं आ पाता है। सरकारी ट्यूबवेलों की हालत यह है कि उनमें बिजली नहीं मिलती है, मीटर फुंक जाते हैं। इसलिये जनता और किसानों की परेशानी होती है। मेरा नम्र निवेदन यह है कि सरकार जैनेरेटर्स की व्यवस्था करे और इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति का पता लगाये तो जनता को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, सिंचाई कार्य संपन्न होगा और प्रदेश खुशहाली की तरफ बढ़ेगा।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य, आपका समय हो गया। आप तशरीफ रखें।

श्री सत्यपाल सिंह यादव--

एक मिनट का टाइम मुझे आप और दे दें।

श्री अधिष्ठाता--

अभी बहुत से सदस्य बोलने वाले हैं, इसलिये खत्म करें।

श्री सत्यपाल सिंह यादव--

मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि पिछला नानकसागर डैम टूटा। मैं शाहजहांपुर का रहने वाला हूं, इसलिये मैं कहता हूं कि नानकसागर डैम टूटा तो शाहजहांपुर और पीलीभीत में तबाही मच गयी थी। जो बनबसा डैम में खतरा पैदा हुआ था अगर वह टूट जाता तो बरेली, शाहजहांपुर और पीलीभीत के जिले ध्वस्त हो जाते। ऐसी हालत में आपको बड़ी सख्ती से देखना चाहिये कि आपके अफसरान बेईमानी न कर सकें। सुविधायें आप उनको दें लेकिन सुविधायें पाने के बाद भी अगर वह बेईमानी करते हैं तो उनको सख्त से सख्त सजा दीजिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का जोरदार समर्थन करता हूं और अपनी बात खत्म करता हूं।

श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त (जिला देवरिया)--

माननीया अधिष्ठाता महोदया, आपने प्रस्तुत बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूं।

[राजेन्द्र प्रसाद गुप्त श्री]

हमारे सिंचाई मंत्री जी ने प्रस्तुत बजट में जो यह सारी योजनायें और प्रयोजनायें रखी हैं और प्रदेश को सिंचाई के साधनों को उपलब्ध करा रहे हैं उसके लिये मैं ही क्या सारा प्रदेश इनका ऋणी रहेगा। जब से इन्होंने अपना दायित्व सम्हाला है गंडक और रामगंगा, दो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स की पूर्ति कर दी है। उससे सिंचाई का क्षेत्रफल कितना बढ़ जायगा यह आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। इसके साथ ही साथ प्रदेश में सिंचाई के लिये जो कुछ हो रहा है वह बढ़ते हुये कदम हैं। इतने अल्प काल में हमारे मंत्री महोदय ने जो कुछ किया है वह सराहनीय है। मैं अपने साथ बहुत ज्यादती करूंगा और अपने कर्तव्य पालन से बहुत च्युत रहूंगा अगर मैं अपने जिले की भौगोलिक स्थिति से आपका परिचय न कराऊं।

मैं देवरिया जनपद से आता हूं जिसका सिंचाई से सीधा सम्बन्ध है। देवरिया की भौगोलिक स्थिति यह है कि प्रति वर्ष छितौनी बांध की चर्चा आप इस सदन में सुनते रहे हैं। गंडक नहर और गंडक नदी की भयंकरता से भी आप परिचित हैं। वहां गंडक, राप्ती, गोर्रा, बधवा, सरयू नदी इत्यादि बहुत सी नदियां और नाले हैं। हमारा जिला प्रति वर्ष बाढ़ और सूखे से पीड़ित रहता है। अभी गत वर्ष जो हुआ उससे सारा प्रान्त परिचित है। उस तबाही को आजतक हम लोग नहीं भूल सके हैं। जिसमें 60 हजारे मकान गिर गये और 34 आदमी मर गये। और 32 घंटे पानी बरसता रहा। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि बड़ी गंडक पर प्रति वर्ष करोड़ों रुपया खर्च होता रहा है और यह रुपया ज्यादातर ठेकेदारों की पाकेट में जाता है और जितनी प्रगति उससे होनी चाहिये थी वह नहीं हो पाती है। आज भी वह एक भीषण समस्या बनी हुयी है और आज भी वह कटाव का शिकार हो रहा है। भगीरथ और पिपरासा बांध पर कटाव जारी है। आप देख लें कि राप्ती और गोर्रा के बीच जिस क्षेत्र से हम आते हैं जिसको कछार का क्षेत्र कहते हैं वहां 10 मील भी सड़क नहीं होगी। आप अगर गोर्रा के बीच बीच में पुल बंधवा दें और उसमें मछली पालन का काम शुरू करवा दें तो उस क्षेत्र का बहुत बड़ा कल्याण होगा। क्योंकि आज भी गोर्रा पर कोई पुल न होने के कारण उस पार कोई आदमी पंहुच नहीं पाता है और बाढ़ के समय में तो वह क्षेत्र 10–12 मील लम्बा एक टापू सा बन जाता है। उधर कटाव के कारण पूरी बरहज नगरपालिका खतरें में पड़ी रहती है।

माननीय जगन्नाथ चौधरी साहब ने कुछ सुझाव दिये हैं, मैं भी कुछ बातों की ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जहां-जहां आपने ट्यूबवेल निगम की स्थापना की है उसके लिये मैं मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं, मगर उनसे एक निवेदन यह है कि हमारे पूर्वी क्षेत्र में गोरखपुर या देवरिया जिले में भी इसी तरह का नलकूप निगम स्थापित करने की कृपा करें। यह एक खटकने वाली बात है कि हमारे इस पिछड़े हुये क्षेत्र में कोई निगम स्थापित नहीं किया गया है।

मैं गन्डक परियोजना के विषय में भी कुछ बातें निवेदन करना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री महोदय से पत्र व्यवहार भी कर चुका हूं। हमारे यहां 29 ब्लाकों में से 21 ब्लाकों में तो यह गन्डक परियोजना लागू की गयी है, पर 8 ब्लाकों को छोड़ दिया गया है। मेरी समझ में नहीं आता कि जब कमान्ड एरिया के बाहर का भी कुछ हिस्सा ले लिया गया है तो इन 8 ब्लाकों को क्यों छोड़ दिया गया है। इस ओर भी मंत्री जी ध्यान देने की कृपा करें।

बिजली के कारण भी सिंचाई में बड़ी असुविधा होती है। इसके न मिलने से जो साधन उपलब्ध भी है उनका सही और ठीक प्रकार से प्रयोग नहीं हो पाता। पूर्वी जिलों में रात को 1 बजे से 5 बजे तक बिजली दी जाती है। गर्मियों और जाड़ों में–दोनों मौसम में इसका इस्तेमाल नहीं हो पाता। गर्मियों में किसानों को सांपों बिच्छुओं का डर रहता है, जाड़े में ठिठुरने का डर रहता है। मेरा सुझाव है कि दिन में 5 बजे से 11 बजे तक बिजली दी जाय।

दूसरे बिजली और सिंचाई में कोई न कोई सामन्जस्य स्थापित किया जाय । तभी कुछ लाभ हो सकेगा ।

हमारे यहां गंडक नहर तो बनी, मगर पानी के निकासी का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया जिसके कारण वाटर लागिंग की समस्या गम्भीर हो जाती है । इस समस्या की ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये ।

हमारे यहां रुद्रपुर में नदियों का जाल बिछा हुआ है । वहां पर प्रति वर्ष बाढ़ आती है । इसलिये आवश्यक है कि वहां पर बांध बनायें जायें । बाढ़ आने से वहां 10–12 मील का क्षेत्र ऐसा जलमग्न हो जाता है कि वह एक टापू सा बन जाता है ।

आखिर में मैं आपका ध्यान अपनी ओर और अपने जिले की ओर खींचना चाहता हूं । श्रीमन् मैं अपनी बात शेर पढ़कर समाप्त करना चाहता हूं:—

साकियां तेरी होंगी जो नजरें करम,
तिश्नगी के यह दिन भी गुजर जायेंगे ।
तेरे रहमत की होंगी जो नहरें रवां,
जाम खाली जो मय से हैं, भर जायेंगे ।

एक सदस्य—

अधिष्ठाता महोदया, एक व्यवस्था का प्रश्न है कि आपके सामने कोई पीठ करके बोल सकता है ?

श्री अधिष्ठाता—

नहीं, नहीं बोल सकता ।

एक सदस्य—

माननीय सदस्य जिन्होंने अभी बोला है वह आपकी तरफ पीठ किये हुये थे ।

श्री अधिष्ठाता—

वह पीठ नहीं किये हुये थे बल्कि उनका थोड़ा सा रुख बदला था ।

श्री राम प्यारे तिवारी (जिला वाराणसी)—

अधिष्ठाता महोदया, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। आज मैं इस विषय पर आपके माध्यम से सदन के सामने अपने विचार रखना चाहता हूं । मैं कोई छिन्द्रान्वेषण करने के लिये खड़ा नहीं हुआ हूं, लेकिन जो वास्तविक तथ्य हैं उनकी ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं । मैं आशा करता हूं कि सरकार ध्यान से सुनेगी और समझेगी और अमल करने की कृपा करेगी ।

मैं किसान हूं, कई पुश्तों से मेरे खानदान में खेती होती है और मैं एक मध्यम श्रेणी का किसान हूं । सिंचाई से सभी लोगों का सम्बन्ध रहता है और कृषि के लिये तो यह बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है । मैं समझता हूं कि खेती और अन्न के उत्पादन में सिंचाई का स्थान लगभग 60 प्रतिशत होता है । अगर खाद दी जाय और अच्छा बीज बोया जाय और जब फसल तैयार हो और जब धान में बालियां आवें और अगर उस समय पानी न दिया जाय तो सारी खेती सूख जाती है और सारा परिश्रम बेकार हो जाता है । इसलिये पानी अन्न का प्राण है और अन्न हमारा प्राण है ।

[श्री राम प्यारे तिवारी]

मैं दो एक बातें कहना चाहता हूं। आज सिंचाई के साधनों को विकास करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि जितनी आज हमको पानी की जरूरत है, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिये, उसके मुकाबले में जो सिंचाई की व्यवस्था है वह नाकाफी है और नहीं के बराबर है।

मैं आज जो निवेदन करना चाहता हूं वह यह है, दो बातों की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक तो दुर्व्यवस्था है और दूसरे इस विभाग में भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के बारे में मैं अधिक नहीं कहना चाहता, क्योंकि विरोधी पक्ष जो है वह इसकी चर्चा अक्सर करता ही रहता है और जो सत्ता पक्ष के हमारे साथी हैं वह भी कुबूल करते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा है और अपने भाषण में इसका जिक्र करते हैं। भ्रष्टाचार की बात सर्वमान्य है और सभी जानते हैं।

दुर्व्यवस्था के बारे में मैं आपको अधिष्ठाता महोदया के माध्यम से बताता हूं। सिंचाई के बारे में जो दो व्यवस्था है इसमें दीर्घ सिंचाई और लघु सिंचाई, दो व्यवस्थायें हैं यह जो आपकी दीर्घ सिंचाई की योजना है यह बड़ी खर्चीली है, लंबी है और बड़े जोखिम की है। जितनी बड़ी बड़ी योजनायें हैं वह हमेशा खतरे से भरी हुई हैं। जैसे बड़े-बड़े बांध हैं, बड़ी-बड़ी नहरें हैं और बिजली से जो पम्पिंग कैनाल है, लिफ्ट कैनाल है जो कि नदियों से बने हैं—ये सब खतरे से खाली नहीं हैं। इन सब में मशीनों से काम होता है। परन्तु जब मशीन फेल हो जाती है तो किसान की सिंचाई नहीं हो पाती है। ये मशीनें भी ऐसे समय फेल होती हैं जबकि किसानों को सिंचाई का ताव होता है। कहीं ट्यूबवेल फेल हो जाता है तो कहीं पम्पिंग कैनाल की मशीन फेल हो जाती है। इनके फेल होने पर इंजीनियर लिखा पढ़ी करते हैं और तत्काल सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। इस तरह से किसानों की फसल को नुकसान हो जाता है। अतः सरकार को किसानों की खेती को नष्ट होने से रक्षा करनी चाहिये।

दूसरी बात बड़े-बड़े बांधों की है। इन बांधों का कभी कभी कहीं पानी निकालना होता है तो जब उनका पानी छोड़ा जाता है तो उससे किसानों की फसल को काफी नुकसान हो जाता है या कहीं नहरें टूट जाती हैं तो उससे भी किसानों की फसल नष्ट हो जाती है। लेकिन यह जो लघु सिंचाई की योजना है उसमें खतरे कम है। तो मेरा निवेदन है कि जहां कहीं दीर्घ सिंचाई योजना चालू है वहां लघु सिंचाई योजना भी चालू की जाय। इससे यह लाभ होगा कि जब कभी बड़ी योजनाओं की मशीनें खराब हो जायं तो लघु सिंचाई योजना से सिंचाई करके फसल की सुरक्षा की जा सकती है। यह बात केन्द्र के उप सिंचाई मंत्री श्री श्यामधर मिश्र जी के सामने मैंने रखी थी तो उन्होंने इसका मखौल उड़ाया था। परन्तु वे जब हमारे क्षेत्र में सितम्बर, सन 66 को गये तो उस समय सूखा पड़ा था तब उन्होंने कहा था कि श्री राम प्यारे आपने लघु सिंचाई की योजना के लिये बिल्कुल ठीक कहा था।

दूसरी बात यह कहना है कि जो सिंचाई विभाग का कानून बना है उसमें अंग्रेजों के समय के नियम बने हुये हैं और उसमें कोई सुधार नहीं हुये हैं। अंग्रेजों ने यह नियम अपने रोजगार की दृष्टि से बनाये थे परन्तु अब अपनी सरकार है उसको किसानों के हितों को ध्यान में रख कर कानूनों को बनाना चाहिये। इस विभाग की अपनी अलग अदालत है। इस विभाग में जो अधिकारी चार्जशीट लगाता है वही फैसला भी कर लेता है। दूसरे को सिद्ध करने की या सबूत पेश करने की जरूरत नहीं है। वह अपने आप मुकदमा कायम करता है और अपने आप ही फैसला भी कर लेता है। इस विभाग से किसानों पर काफी अन्याय होता है। किसानों को पटवारी डराता-धमकाता है रहता है। वह किसानों से कहता है कि

(इस समय 3 बज कर 25 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

हमारी लेखनी ब्रह्मा की लेखनी है। हम जो लिख देंगे उसको कोई काट नहीं सकता है। इस प्रकार यह विभाग किसानों को त्रस्त किये हुये हैं। मैं निवेदन करता हूं कि इस पर आप गौर से विचार करें। इसके लिये जिले में अलग से एक जूडिशियल आफिसर की नियुक्ति की जाय और पतरौल किसी किसान की शिकायत के लिये पुलिस में जाकर रिपोर्ट करे तथा कोई भी नहर सिंचाई का कर्मचारी किसी वाद के प्रति पुलिस में रिपोर्ट कर सकता है। तब पुलिस चार्जशीट लगाये और उस पर मकदमा चलाये। यह मुकदमा जुडीशियल आफिसर के यहां चलाया जाय। सिंचाई विभाग के अधिकारी के वहां नहीं। इस विभाग में पतरौल, जमीन, जिलेदार तथा डिप्टी के पदों पर पदोन्नति ज्येष्ठता के अनुसार हो जाती है जिससे किसानों की जिन्दगी इन्हीं लोगों के ऊपर दे दी जाती है।

मैं आपसे कहता हूं कि एक और पुराना दोष है कि अगर हमारे खेत में एक बूंद भी पानी चला गया तो 10 एकड़ रकबा सिंचाई में आ जायगा। लेकिन जब फसल सूख जाती है तो विभाग कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। कर्मों में हमको ईख के लिए नोटिस दिया जाता है। जब किसान ईख बो देते हैं तो एक पानी देने के बाद पानी नहीं दे पाते। जो ईख सूख जाती है वह तो सूख जाती है लेकिन अगर किसी तरह से वह न सूखी किसान ने बचा लिया और बरसात हो गयी तो सिंचाई विभाग उस खेत की परताल करके किसानों से रुपया वसूलता है। सिंचाई विभाग द्वारा परताल का कायदा है कि पतरौल किसान को नोटिस दे। किसान को उज्रदारी करने की एक महीने की मियाद होती है लेकिन उसे पता भी नहीं चलता। दो वर्ष बाद जब जमाबंदी तहसील के अमीन के पास जाती है तब किसान समझ पाता है कि गलत परताल हो गयी। इस तरह से किसान के साथ घोर अन्याय होता है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो थोड़े में नहीं कही जा सकतीं। आप प्रशंसा की बात करते हैं। 100 रुपया लगाकर 25 रुपये का काम किया तो इसमें कौन सी प्रशंसा की बात है। जहां भ्रष्टाचार होता है वहां दुर्व्यवस्था होती है और जहां दुर्व्यवस्था होती है वहां फिर हर तरह की दुर्व्यवस्था होती है तो प्रशंसा कैसी। आप एक लाख रुपये का प्रोजेक्ट सैंक्शन करते हैं लेकिन उसमें से उस पर 25 प्रतिशत मुश्किल से खर्च होता है और बाकी 75 प्रतिशत बीच में ही निकल जाता है। सरकार कहती है कि इतना मंजूर कर दिया लेकिन वह यह लेखा जोखा नहीं लेती कि जितना रुपया मंजूर किया गया उतना खर्च भी हुआ उस काम में।

हमारे यहां 1922–23 में एक मिडिल स्कूल बन रहा था। ठेकेदार ने नींव में गारा मिट्टी भर दिया। कुर्सी तक वह आ चुकी थी। एक इंजीनियर गये तो उन्होंने उसको फेल कर दिया। इस तरह से जो ठेकेदार बना रहा था वह बरबाद हो गया। लेकिन आज के इंजीनियर ऐसे हैं कि छोटे ठेकेदार बालू की भीत खड़ी कर देते हैं फिर भी पास कर देते हैं। यही कारण है कि पुलिया बनती है और वह बह जाती है। इंजीनियर को चाहिये कि वह देखे कि अगर टेंडर के मुताबिक काम नहीं हुआ है तो ठेकेदार का ठेका कैंसिल कर दे और उससे रुपया वसूल करे। लेकिन वह क्यों रुपया वसूल करे जबकि उसका खुद का हिस्सा बंधा हुआ है। यही कारण है कि आपका अरबों रुपया खर्च होता है और 20–25 करोड़ का काम हो पाता है। जब ऐसा है तो इसमें प्रशंसा की क्या बात। हां अगर 100 रुपये में 125 रुपये का काम करायें, तो प्रशंसा की बात है। यह सत्य है कि भ्रष्टाचार है और सबकी आत्मा जानती है। यह बात अलग है कि पद पाकर

[श्री राम प्यारे तिवारी]

कबूल न करें। इसलिये मेरा निवेदन है कि सिंचाई के बारे सारे मसले ऐसे हैं जो समाज के और देश के जीवन को बनाने और उबारने वाले हैं। लेकिन आज उनकी उपेक्षा हो रही है। सदन में भी उपेक्षा हो रही है। आज जब कि सिंचाई की बात चल रही है तो यहां उपस्थिति बहुत कम है।

यदि आप चाहते हैं कि देश की उन्नति हो, तो कृषि की उन्नति जरूरी है। यदि कृषि की उन्नति चाहते हैं तो सिंचाई की व्यवस्था कीजिये और आपके जितने काम हो रहे हैं सब में, सबकी कटौती करके सिंचाई के लिये लगा दें, ताकि अधिक से अधिक आसिंचित भू-भाग को पानी उपलब्ध हो जाय और इस प्रकार आपका जो करोड़ों रुपया टेस्ट वर्क आदि में सूखे आदि के कारण खर्च हो जाता है, वह नहीं होगा। अगर आपको गल्ले की जरूरत है, तो आप सिंचाई की व्यवस्था करें। तब अन्न के लिये इस देश और प्रदेश को तरसना नहीं पड़ेगा बल्कि आधे भारत को अकेला उत्तर प्रदेश अन्न दे सकेगा। तो मान्यवर, अगर सरकार चाहती है कि हमारा प्रदेश अधिक से अधिक अन्न पैदा करे, तो सिंचाई को प्राथमिकता देनी चाहिये। लेकिन यह नहीं कि अगर सिंचाई में 100 रुपये खर्च होना हो, तो मौके पर केवल 25 रुपये का काम बाकी 75 रुपये भ्रष्ट आदमियों के पेट में चले जायं।

इन शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अम्मार रिजवी (जिला सीतापुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका मश्कूर हूं कि आपने मुझे इस अहम बहस में हिस्सा लेने का मौका दिया। इसके पहले कि मैं इस सिंचाई के बजट पर कुछ अर्ज करूं, मैं अपने चन्द शब्दों द्वारा, आपके जरिये, माननीय सदन का ध्यान उन बातों की ओर दिलाना चाहता हूं जो कुछ दिन पहले बजट के सिलसिले में यहां कही गयी थी कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस गवर्नमेंट में टोटलीटेरियन टेन्डेन्सीज डेवलप हो रही हैं। मान्यवर, अगर यह बात किसी और माननीय सदस्य के द्वारा इस सदन में कही जाती, तो कोई वैसी बात नहीं थी, लेकिन यह बात विरोधी दल के नेता की तरफ से आई थी।

मान्यवर, जैसा कि आप जानते हैं, टोटलीटेरियन स्टेट की कुछ करेक्टरस्टिक्स होती हैं, कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ह्यूमिनिज्म या और दूसरी इसी तरह की चीजें जो टोटलीटेरियन स्टेट में नहीं होतीं। लेकिन, मान्यवर, आज कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस गवर्नमेंट इस बात का सबूत है कि आज यहां की जनता को हर तरह की—बोलने की, लिखने की और शिक्षा की आजादी है और यह बात कहना कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस गवर्नमेंट में टोटलीटेरियन स्टेट की टेन्डेन्सीज डेवलप कर रही हैं, गलत है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य जो अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल करें, कृपया उनका तर्जुमा करते जायं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

मान्यवर, इस समय सिंचाई पर चर्चा चल रही है और सिंचाई मंत्री जी चले गये हैं।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, मैं विषय से बाहर जाऊं, तो उसके लिये क्षमा चाहूंगा। जिस विषय पर बात कर रहा हूं, उस पर मैं सिर्फ एक मिनट लूंगा। विरोधी दल के नेता ने कहा था कि लुई दी फोर्टीन्थ ने कहा था कि—

'आई ऐम दि स्टेट'

जब यह बात चौधरी चरण सिंह जी ने कोट की थी उसी समय हमारे बुजुर्ग साथी और दोस्त लारी साहब को उनसे कहना चाहिये था कि इसका वह तर्जुमा कर दें तो उनको यह बात अपने नेता से कहनी चाहिये थी। यह तो वही बात हुई, जसी की फारसी में एक सेर है:—

"चं कुफर अज काबा बर खाजद
कुजा मानद मुसलमानी"

यानी, जब कोई गलत बात काबा से ही शुरू होगी, तो फिर ईमान जो है वह कहां रह जायेगा। जब झूठ वहीं से शुरू होगा तो सत्य कहां रहेगा।

मान्यवर, सावरेनटी में माने प्रभुता कहां मिलती है? मान्यवर, जनतंत्र में प्रभुता जनता की होती है। इट रेस्ट्स इन दि पीपुल, तो चरण सिंह जी का यह कहना कि कांग्रेस कोई व्यक्ति जो है, वह 'आई ऐम दि स्टेट,' यह बात सोचने लगा है, गलत है।

मैं यह निवेदन करूंगा जैसा कि कहा गया कि हिन्दुस्तान में प्राइम मिनिस्टर जो है वह बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है और ब्रिटिश पार्लियामेंट को कोट किया गया कि वहां का प्राइम मिनिस्टर हटाया नहीं जा सकता। हर बात ब्रिटिश पार्लियामेंट की कोट की जाती है हाउस आफ कामन्स की बात कोट की जाती है। इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया को रोशनी दी तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। लेकिन यह कौन-सा उसूल है कि जो बात पसन्द आये उसे लें और जो न पसन्द आये न लें। इस समय चूंकि आप गद्दी पर नहीं हैं इसलिये कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर बहुत ताकतवर है। अगर आप बन जायं तो कहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर की और ताकत होनी चाहिये। यह थ्योरी आफ अपार्चूनिज्म बहुत गलत है। एक बात और अर्ज करूंगा। मैं बहुत दिलचस्ती से और गौर से सुन रहा था सिंचाई पर बहस की। कहीं पर ट्यूबवेल लगाये गये तो एतराज, किसी मुख्य मंत्री के पास जमीन है, उसके बच्चे खेती करते हैं तो एतराज, अगर किसी मंत्री के पास एक बीघा जमीन नहीं है तो एतराज, यदि यूनिवर्सिटी बन जाय तो एतराज, अगर ट्यूबवेल लगाये जायं तो एतराज गो कि हर चीज पर एतराज ही एतराज है। यह चीज मेरी समझ में नहीं आती। गालिब का एक शेर है—

"यारब वो न समझे हैं न समझेंगे मेरी बात
दे और दिल उनको जो न दे मुझको जुबां और।"

मान्यवर, अभी तक मेरा ख्याल था कि बी० के० डी० ऐसी पार्टी है जिसके लिये शक था कि कुछ फिरकावाराना जर्म्स उसमें आ गये हैं लेकिन जब मेरे दोस्त ने कटौती का प्रस्ताव सदन के सामने रखा तो इस बात का कोई सुबह नहीं रहा, बल्कि उनकी तकरीर को सुन कर बड़ा अफसोस हुआ जब उन्होंने एक फेहरिस्त सुनाई। शायद उसमें कुछ अफसरों का प्रोमोशन हो गया था। वह फेहरिस्त आपके सामने आई, आपने देखी होगी और उसमें एक सम्प्रदाय से ताल्लुक रखने वाले लोगों के नाम पढ़े गये। जिस सदर्भ में बात कही गयी थी

[श्री अम्मार रिजवी]

में उसी संदर्भ में कुछ नामों को पढ़ कर सुनाता हूं जो इस प्रकार हैं---हरी मोहन गुप्त, सत्य प्रकाश गर्ग, जग मोहन, सुरेन्द्र पाल सिंह, डी0 डी0 सानवाल, गौरी कांत मिश्र, राम इकबाल सिंह, वी0 ए न0 सक्सेना, बी0 पी0 सिंह, जे0 एम0 गर्ग, आर0 एन0 चतुर्वेदी। इस तरह के 28 नाम हैं, लेकिन मिले उनको इन 28 नामों में से ये नाम:---

शमसी, मुहम्मद इस्माईल, इफितखार अली खां, हुसैन जैदी, अलीम अहमद, मोहिउद्दीन, माजिद अली, मुहम्मद सिद्दीक।" मेरी समझ में नहीं आता कि इतनी लम्बी फेहरिस्त में केवल ये नाम क्यों छांटे गये और लारी साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि वह कम से कम इस बात को अपने साथी से पूछें कि हर नाम तास्सुब की ऐनक लगा कर क्यों पढ़ते हो, तास्सुब की ऐनक जरा उतार कर रख देना चाहिये।

इसके बाद भ्रष्टाचार की बात कही गयी सिंचाई विभाग के मुताल्लिक। भ्रष्टाचार लफ्ज ऐसा है जिसके लिये चाहो इस्तेमाल करदो। हर एक के लिये कहा जा सकता है कि वह भ्रष्ट है। कहा गया कि अफसरों को खुली छूट है और जहां मौका मिला वह अपना दांव लगा देता है। इसमें कोई शुबहा नहीं है लेकिन मैं यह भी बतला दूं कि 8-11-73 से 24 इंजीनियरों को सस्पेंड किया गया और दो को कम्पलसरी रिटायर किया गया। अगर इन अफसरों ने कुछ किया नहीं था और अगर भ्रष्टाचार को खत्म करने का इरादा सरकार का नहीं था तो फिर यह सब हुआ कैसे। दरअसल बात यह है कि वहशत में हर एक नक्शा उल्टा नजर आता है। अगर कुछ नहीं है तो भ्रष्टाचार ही सही।

शारदा सहायक योजना जो है वह देश की नहीं बल्कि एशिया के अन्दर अजीमुश्शान योजनाओं में है। मुझे दुनिया घूमने का काफी मौका मिला है इसको देख कर अन्दाजा होता है कि यह कितनी शानदार नहर है। सरकार ने बहुत बड़ी-बड़ी योजनायें बनाई हैं उनमें कितनी ही पूरी हो गई हैं लेकिन आपको ये चीजें पसन्द नहीं आती। बहुत सी शेड्यूल्ड टाइम से पहले पूरी हो गई है। सिर्फ यही देखा गया कि इसमें कितनी बुराइयां हैं। इस सिलसिले में मैं मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहूंगा कि शारदा सहायक योजना इतनी बड़ी योजना थी वह पूरी हो गई है। इससे 40 लाख हेक्टियर भूमि को फायदा होगा। अगर उसमें नेवीगेशन (नाव चलाने) की व्यवस्था भी की जाती तो बहुत अच्छा होता। इससे सामान का आवागमन हो सकता था। आज हमारे प्रदेश में एक बहुत बड़ी प्राबलेम है क्योंकि जिस इलाके में रेल और बसें नहीं जा सकती हैं, वहां पर नहर के जरिये लोगों को सहूलियत दी जा सकती है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो नहर बनी है उसमें जो छोटे-छोटे पुल बने हैं उनकी प्लानिंग सही नहीं है। कुछ लोगों की जमीन का हिस्सा ऐसा है जिसमें तीन-तीन और चार-चार पुल काफी दूर तक आ गया है और जमीन दूसरी तरफ पड़ गई है। तो इससे किसानों को बड़ी मुश्किल होती है। वहां पर सरकार को छोटे-छोटे पुल बनाने की व्यवस्था करनी चाहिये जिससे आदमी गुजर सकें और वे अपने मवेशी भी ले जा सकें। इससे किसानों को बड़ी आसानी हो जायेगी।

सिंचाई विभाग ने कई योजनायें झांसी, चन्द्रावल, नैनीताल, दोहरीघाट आदि जगहों पर बनायी हैं। यह काफी सराहनीय काम किया गया है। इसका हम लोगों को एहसास होना चाहिये। रामगंगा तथा बहुत सी प्रोजेक्ट्स बराबर आपके सामने आई हैं जिनसे कि प्रदेश को काफी फायदा हुआ है। जिस प्रकार से पानी इन्सान की जिस्म के लिये जरूरी है उसी तरह से सिंचाई भी खेती के लिये बहुत जरूरी है। साथ ही साथ सरकार को सचेत रहना चाहिये कि अधिकारी ऐसा काम करें जिससे उसकी बदनामी न हो। मैं माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि वे कभी-कभी स्पाट चेकिंग और सरप्राइज्ड चेकिंग

करने के लिये मौके पर जायं और देखे कि वहां पर किस तरह से काम हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ एक मिनट और लेना चाहता हूं। मैं उस वक्त इत्तफाक से यहां नहीं था। यहां पर प्राइम मिनिस्टर का नाम लिया गया और उसमें एक कालेज का नाम भी लिया गया कि जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के एक प्रेसीडेंट के एडमिशन का सवाल आया तो प्राइम मिनिस्टर से उसके बारे में पूछना पड़ा। मान्यवर, यह शिक्षा का विषय है लेकिन मैं सिर्फ एक मिनट आपकी इजाजत चाहता हूं। तो मान्यवर, वह छात्र जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष है यूनियन का, उसका दाखिला मैंने ही किया था....

श्री अब्दुल रऊफ लारी—

अध्यक्ष जी, इस पर अलग से टाइम आप दे दें क्योंकि कि कई आदमी इस पर बोलने वाले हैं.....

श्री अम्मार रिजवी—

सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो भी बातें उस बारे में कही गई वे सब निराधार और गलत है। उन में कोई सत्यता नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं आपका फिर शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझ बोलने का मौका दिया।

श्री आशा राम यादव—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह सिंचाई अनुदान जो पेश किया गया है उसकी कटौती पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्रीमन्, मैंने उस दिन बजट पर बहस करते हुये बताया था कि यह बजट शब्दों का माया-जाल है, मृग-मारीचिका है। इसी तरीके से जो किताब हमें मिली है उसके प्रथम और द्वितीय पृष्ठ के आंकड़े बताते हैं कि जो कुछ सिंचाई अनुदान रखा गया है वह ढकोसला मात्र है और जनता के बीच में झूठ बड़े-बड़े आंकड़ों को पेश करने का काम किया गया है। इन आंकड़ों को देखने से मालूम होता है कि सन् 47 में जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था उस समय 27.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित थी फिर उसके बाद जब चतुर्थ और पंचम पंचवर्षीय योजना खतम हुई तो ये कहते हैं कि जो हमारी कृषि योग्य भूमि है 232 लाख हेक्टयर है और सिंचाई जो उससे होती है वह 28 प्रतिशत भूमि है। समय कम है, इसलिये मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मैं आंकड़े तो नहीं पेश कर सकूंगा, लेकिन कुछ आंकड़े बताऊंगा, जिसे वह देखें।

क्या उत्तर प्रदेश ने पूरे हिन्दुस्तान के साथ प्रगति किया है, आप अपने विकास के आंकड़े में देखें। क्या हरियाणा और पंजाब के जो आंकड़े हैं उनसे उत्तर प्रदेश की तुलना कीजिये, क्या उसी अनुपात में उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधनों में वृद्धि हुई है। देखने से विदित होगा नहीं हुआ है, नहीं कर सके हैं। सरकार कहती है कि यह गरीब देश है, इसलिये हम उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जिस समय सन् 47 में हमारा देश आजाद हुआ, उस समय के ही स्वतंत्र हुये अन्य देशों को हम देखें कि वे देश उतने ही समय में कहां से कहां पंहुच गये हैं सिंचाई तथा अन्य क्षेत्रों में। इजरायल है, जापान है, चीन है इन सभी को आप देख सकते हैं। आपके उन आंकड़ों से पता चलता है कि जो आंकडे दिये गये हैं, वे झूठे हैं। केवल उत्तर प्रदेश में 28 प्रतिशत भूमि सिंचित है। मंत्री जी ने आंकड़े बड़ी सफाई से पेश किये हैं। जैसे नहर है उससे कितना क्षेत्र सिंचित होगा उसे और ट्यूब-वेल से कितना सिंचित होगा उसे जोड़ लिया और

[श्री आशा राम यादव]

जोड़कर बता दिया कि 28 प्रतिशत भूमि उत्तर प्रदेश की सिंचित है । लेकिन मंत्री जी ने यह नहीं बताया कि बिजली उन्होंने कितनी दिया और ट्यूबवेल कितने घंटे चले, और नहरों का जो पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पंहुचता है वह पानी कितना नहरों में दिया गया और कितने स्थानों पर नहरें काटी गईं जिससे पानी बर्बाद हुआ । जो ट्रांसफार्मर गायब हो जाते हैं, उनके बारे में भी मंत्री जी ने कुछ नहीं बताया जिससे किसानों की सिंचाई में बड़ा नुकसान होता है । क्या 28 प्रतिशत में से मंत्री जी ने इस सबको काटा ? उन्होंने यह कहीं नहीं दिया कि ये इसमें खामियां है इसलिये इतना सिंचाई नहीं हो पाती है । मंत्री जी ने धोखे के आंकड़े लाकर रख दिये हैं । भ्रष्टाचार इतना है कि ट्रांसफार्मर गायब हो जाते हैं, आपरेटर्स कई दिन तक वहां रहते नहीं, चाभी मिलती नहीं, जिससे किसानों को हफ्तों पानी नहीं मिलता है । फिर जब किसान अपने ऊपर के अधिकारियों से शिकायत करता है, तो सुनने वाला कौन है ? कोई नहीं सुनता, सब अपने-अपने एशो-आराम में मस्त हैं ।

किसान दर दर की ठोकर खाकर लोन प्राप्त करता है, घूस देना पड़ता है, किन्तु जब वह पम्पिंग सेट मशीन लगाता है तो बिजली नहीं मिलती है । इस तरह से अन्य बहुत सी कठिनाइयां उसके सामने आती हैं । एक कहावत है--'जाके पैर न फटी बेवाई, वह क्या जाने पीर पराई' । हमारे मंत्री महोदय नवाब खानदान में पैदा हुए, उनको क्या पता किसान किस तरह से खेती करता है, किस तरह से एक-एक बूंद पानी के लिये तरसता है । उनको यह भी नहीं पता है कि उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों के सम्बन्ध में कितनी शिकायतें किसानों की पंहुचीं । या ट्यूबवेल बिगड़ जाने के कारण अथवा नहर में समय पर पानी न आने के कारण कितनी हानि होती है और क्या उस पर उनके अधिकारियों ने कोई ध्यान दिया। जब अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया तो किसान कहां जाये । ऊपर और अधिकारियों के पास पंहुच नहीं पाते हैं, यदि पंहुचे तो उनके ऊपर मुसीबत और आ जाये । उसके खिलाफ कार्यवाही होने लगती है ।

हमारे माननीय मंत्री जी पूरे उत्तर प्रदेश का भार लिये बैठे हैं वह कहां तक छोटी-छोटी चीजों पर ध्यान देंगे ? मुझे एक किस्सा याद आया । एक अध्यापक महोदय थे । एक बच्चा खड़ा हो कर पेशाब कर रहा था । पेशाब का छींटा उनके ऊपर पड़ा । अध्यापक ने कहा कि लड़का बड़ा नालायक है इसके घर शिकायत करना चाहिये । अध्यापक महोदय एक दूसरे बच्चे के साथ उसके घर चले गये कि इसके बाप से शिकायत करेंगे । जब वे गांव के किनारे पंहुचे तो देखते क्या है कि एक आदमी छप्पर पर खड़ा हो कर पेशाब कर रहा है । अध्यापक ने पूछा कि यह कौन है । मालूम हुआ कि यह लड़के का बाप है । अध्यापक ने कहा या अल्ला, जब इसका बाप स्वयं छप्पर पर खड़े होकर पेशाब कर रहा है तो अगर लड़के ने खड़े होकर पेशाब किया तो कोई बात नहीं है । तो अगर अफसर लोग खड़े होकर पेशाब करते है तो मंत्री महोदय उससे ऊपर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं । जनता किसके पास जाय और किससे शिकायत करे । इस तरह से जनता के सामने केवल झूठे-झूठे, कोरे-कोरे आश्वासन दिये जा रहे हैं ।

जनता को सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं होते हैं । मैं मिर्जापुर का एक उदाहरण देना चाहता हूं । मिर्जापुर में पचैरा गांव के पास लगातार साल पर भर सर्वे करवाया गया और वहां यह घोषणा की कि यहां पर पम्पिंग कैनाल बनायेंगे । लेकिन आपके बजट में कोई प्राविधान नहीं है । आपके एक मंत्री महोदय, 1967 की बाढ़ में गये थे मिर्जापुर के कौन ब्लाक के इलाके में दौरा किया उन्होंने देखा कि यह पूरा-का पूरा ब्लाक पानी से घिर गया है । मंत्री महोदय ने जनता के बीच में, बाढ़ पीड़ित जनता को आश्वासन दिया कि नालों द्वारा जो पानी सारे क्षेत्र में फैल जाता है उन नालों को बंधवा दूंगा जिससे क्षेत्र बाढ़ से बच जाये तथा इस पानी को रोक कर पचैरा पम्पिंग कैनाल से पानी उठा कर मिर्जापुर और वाराणसी की जनता को सिंचाई के लिये देंगे । लेकिन इस बजट में उसका कोई प्राविधान नही है । आज तक कोठी माइनर नहीं बनी । लालगंज ब्लाक में इसकी पूरी पैमायश हुई । उसके बाद कोठी माइनर रोक दी गयी । जनता परेशान है । सिंचाई का कोई साधन उपलब्ध नहीं है । इसी तरह

कौन मझावा ब्लाक का उदाहरण दूं । कौन ब्लाक में लगभग २० ट्यूबवेल आज भी बेकार पड़े हैं । ट्रांसफार्मर गायब है वह नहीं लगे । कितने ट्यूबवेल हैं जहां पर ग्रामसेवक पांच-पांच, छः-छः महीने गायब रहते हैं । केवल सिगनेचर बनाकर पहुंचते नहीं है । इस तरह से आप के विभाग में ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार व्याप्त है ।

मेरा आपसे अनुरोध है कि कम से कम उन अधिकारियों पर आप कड़ी निगरानी रखें । किसानों की जो शिकायतें आती है और उनको अच्छी तरह से देखें जिससे किसानों को कुछ लाभ हो सके और आपने जो भी बजट रखा है उचित ढंग से उपयोग हो । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री चितरंजन स्वरूप (जिला मुजफ्फरनगर)—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय सिंचाई मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने के लिये अनुमति दी । मान्यवर, उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, जहां 86 प्रतिशत जनता कृषि उद्योग से सम्बन्धित है । कृषि प्रधान प्रदेश होने के कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिये सिंचाई साधनों का उपलब्ध होना एक बहुत महत्वपूर्ण योग है । मान्यवर, आज हमारे प्रदेश में की पहली पंचवर्षीय योजना में जो सिंचाई के साधन उपलब्ध किये गये, उससे हमारे प्रदेश के सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि हुई है । किन्तु दुर्भाग्य से उतनी वृद्धि नहीं हुई जितनी होनी चाहिये थी । मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को इस बजट में कुछ सुझाव देना चाहता हूं । सब से पहले जो हमारे इंजीनियर्स हैं, मैं इसको स्वीकार करता हूं कि इस विभाग में भ्रष्टाचार है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब इंजीनियर्स और अब अधिकारी भ्रष्ट हैं । मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि जो इंजीनियर्स कर्मठता और कार्य कुशलता के साथ कार्य करते हैं उनको कुछ इनसैटिव का प्राविधान होना चाहिये ताकि वे और ज्यादा लगन के साथ अपना कार्य कर सकें ।

सिंचाई के साधनों के लिये यह आवश्यक है कि जो इस पर भारी प्रशासनिक खर्चा है उसमें कटौती की जाय । केन्द्रीय सरकार के सहयोग से ऐसा वातावरण तैयार किया जाय अन्य पड़ौसी प्रदेशों से हमें सिंचाई के साधन उपलब्ध हो सकें । इस सम्बन्ध में एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिये जो केन्द्रीय सरकार और प्र देशिक सरकार के बीच में तालमेल स्थापित कर सके जिससे हमें केन्द्रीय सरकार से अधिक से अधिक प्राप्त हो सके ।

मान्यवर, हमारे देश से मिला हुआ हरियाणा प्रदेश है उसके सिंचाई मंत्री ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की पूर्वी यमुना नहर से पूरा पानी हमारे प्रदेश को प्राप्त हो रहा है । माननीय मंत्री जी इसकी जांच कराने की कृपा करें कि क्या यह बात सही है ।

मान्यवर, सिंचाई के साधनों में मुख्य साधन नहर का है। हमारे उनके निर्माण और मरम्मत का अधिक से अधिक कार्य होना चाहिये । नहर से जो नाला जाता है उसमें ऐसा करते हैं कि साइफन डाल कर काट लिया जाता है जिससे आगे वाले गांव पानी के वंचित रह जाते हैं । रोस्टर समय पर नहीं चलता है जिससे किसानों को बड़ी परेशानी होती है । अतः मैं प्रार्थना करूंगा कि रोस्टर का सही समय रख दिया जाय ताकि समय पर किसानों को पानी मिल सके । ऐसा देखा गया है कि जब एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास जाते हैं रोस्टर की शिकायत लेकर तो कह देते हैं कि एस०ई० से या हैड वर्क्स से मालूम कीजिये । अब विचारा सीधा सादा किसान कहां से एस०ई० के पास जा सकता है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री चितरंजन स्वरूप]

मान्यवर, नहरों की पटरियों का प्रयोग सामान्य जनता के लिये निषेध है । उन पर ट्रैफिक नहीं चल सकता है । लेकिन चलता रहता है क्योंकि हमारे यहां सड़कों की कमी है । यदि उनमें से कुछ पटरियों को पक्का कर दिया जाय तो उनके टूटने का भय भी नहीं रहेगा और जनता को आने जाने की सुविधा होगी ।

मान्यवर, माइनर इर्रीगेशन में ट्यूबवेल्स की दशा बड़ी शोचनीय है लगभग 30/40 प्रतिशत ट्यूब वेलों की हालत खराब है । उनसे पानी नहीं मिलता है । मैं निवेदन करूंगा कि इनको ठीक कराया जाये जिससे किसानों को पानी की सुविधा प्राप्त हो । पहले जैसे होता था कि प्रदेश में जो निजी नलकूप लगाने वाले किसान थे उनको सब्सीडी दी जाती थी । लेकिन अब प्रदेश में बरसात की कमी के कारण पानी की बड़ी परेशानी है । इसलिये जो किसान निजी नलकूप लगाना चाहते है उनको दुबारा सब्सीडी देने की व्यवस्था की जाय जिससे किसानों को प्रोत्साहन मिले और वे अपने साधनों से पानी प्राप्त कर सकें ।

मान्यवर, आज हम स्वीकार करते हैं कि भ्रष्टाचार है, लेकिन मेरा यह सुझाव है कि हमें उन इंजीनियरों, उन अभियन्ताओं और कर्मचारियों को जो अपनी कार्य कुशलता, मेहनत और लगन से कार्य करते हैं उनको बोनस देना चाहिये और उनके करेक्टर रोल्स में अच्छी इन्ट्रीज करनी चाहिये । तो हो सकता है कि वे अधिक मेहनत से कार्य करें । जो योजनायें 1 साल में पूरी होने का अनुमान लगाया गया है वह 6 महीनें में पूरी हो सकती हैं । मान्यवर, दूसरे जो नलकूप आपरेटर हैं उनके बारें में कहना चाहता हूं । कोई 6 घंटे बिजली लेता है कोई 8 घंटे बिजली लेता है और कोई 10 घंटे बिजली लेता है । मान लीजिये 4 घंटे वह चलाता है । तो वह बड़े किसान से मिलकर वह छोटे किसान का समय कम कर देता है । इसको रोकने के लिये फ्लाइंग स्क्वायड का प्रबन्ध करना चाहिये जिससे छोटे किसानों को पानी मिलने में कठिनाई न हो । हमारे जिले के अन्दर एक नहर है पूर्वी यमुना कैनाल । उस नहर की कुछ पटरी पक्की है और आगे चलकर कच्ची है । इसके आस-पास के 60–70 गांव ऐसे हैं जहां पर आने-जाने के साधन कोई नहीं हैं, आने जाने के लिये एक मात्र साधन यह नहर है और कोई नहीं है । अगर इसको पक्की कर दिया जाये तो इस इलाके के लोगों को आने जाने की सुविधा हो जायेगी ।

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में एक गांव है घनेडा उसके अन्दर एक नाला है जिससे उस गांव में बाढ़ का भय बना रहता है । मैं चाहता हूं कि इस नाले को पक्का कर दिया जाये जिससे बाढ़ का खतरा समाप्त हो जाये और जो बाढ़ से फसल को नुकसान होता है वह भी बच जा । मान्यवर, यह सौभाग्य की बात है कि जिस क्षेत्र से हम आये हैं वह दोआब का क्षेत्र है जो इस प्रदेश में ही नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान में उपजाऊ है । इसके अन्दर सरकार की ओर से नलकूप लगाये गये है और उनको लगाने का प्रोत्साहन भी दिया गया है । यदि र्वी यमुना नहर के चलाने की व्यवस्था कर दी जाये तो हमारा क्षेत्र खाद्य के मामले में निर्भर हो सकता है । जहां तक रामगंगा परियोजना का प्रश्न है, यह बहुत अच्छी परियोजना है । इससे हमारे प्रदेश की सिंचाई में विकास होगा । लेकिन मान्यवर, दुर्भाग्य है कि इस योजना में बहुत बिलम्ब हुआ है जिसके कारण अनुमानित राशि से अधिक लागत लगी है । मैं चाहता हूं कि इस योजना को शीघ्रातिशीघ्र पूरा कराकर सिंचाई के साधन उपलब्ध करायें । अन्त में मैं इस सिंचाई क बजट का समर्थन करता हूं और धन्यवाद देता हूं ।

श्री राम जी सिंह (जिला गाजीपुर)—

मान्यवर, मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का जो अवसर दिया है उसके लिये धन्यवाद देता हूं । मान्यवर, यह बात सही है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए जो आंकड़े प्रस्तुत किए गये हैं स सदन में वह देखने में ऐसे लग है कि वह हवा में बनाय गये हैं । बिलकुल सरासर झू और गलत है । मैं एक उदाहरण दे रहा हूं यह किताब मेरे पास है जिसमें सिंचाई विभाग से सम्बन्धित कार्यों का विवरण है और एक दूसरी किताब जो इसी सदन में मिली यह उत्तर

प्रदेश की किताब है। इन दोनों किताबों को अध्ययन करने से और पढ़ने से जाहिर होता है कि इसमें कहीं मेल नहीं है। मैं गाजीपुर जिले का एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। वह यह कि जमानियां तहसील में जमानियां कैनाल का है और दूसरा देवकील पम्पिग सेट है। यह जो कार्य के प्रगति का आंकड़ा है और इस पुस्तक में भिन्न-भिन्न प्रकार के हैं। पिछले साल का भी बता रहा हूं और इस साल का भी बता रहा हूं। मान्यवर, देवकली पम्पिग कैनाल से 24 हजार हेक्टर सिंचाई की बात की गई लेकिन दूसरी पुस्तक में दिखाया गया तो उसमें बताया गया है कि वह सिंचाई 30 हजार हेक्टर की है। अब यह बात सही नहीं मालूम होती है कि किस किताब को सही माना जाय, किसको सही न माना जाय। इससे यह मालूम होता है कि जो आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं वह सरासर गलत हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारी ही तहसील जमानियां पम्पिग कैनाल है। उसके भी पूरी सिंचाई के आंकडे प्रस्तुत हैं। एक तरफ तो उसमें कहा गया है कि 24 हजार एकड़ को पंम्पिग कैनाल से सींचने की योजना है। लेकिन दूसरी तरफ जो भी रिपोर्ट सरकारी अधिकारी ने भेजी है उसमें 50 हजार एकड़ की बात की गई है। इससे मालूम होता है कि आंकड़े गलत बतायें गये हैं।

इसके अलावा मैं दूसरी तरफ सदन का ध्यान खींचना चाहता हूं। जो सिंचाई से सम्बन्धित है खासतौर से गाजीपुर जिले के बारे में। भारत सरकार ने हमारे गाजीपुर जिले को पिछड़ा हुआ जिला माना है परन्तु हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारे गाजीपुर जिले को पिछड़ा हुआ जिला नहीं घोषित किया है। यह उत्तर प्रदेश सरकार हमारे गाजीपुर जिले को पिछड़ा हुआ जिला मानने के लिये तैयार नहीं है। यह जो कार्य प्रगति की रिपोर्ट है यह जो वित्त मंत्री ने बजट की रिपोर्ट प्रस्तत की है इसमें भी गाजीपुर का कोई जिक्र नहीं किया गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि गाजीपुर जिले की कितनी उपेक्षा की गई है। इन दोनों पुस्तकों को पढ़ने से जाहिर होता है कि मान्यवर, भारत सरकार की तरफ से घोषणा है कि गाजीपुर पिछड़ा हुआ जिला है लेकिन सिंचाई के अनुदान पर जो आज चर्चा चल रही है मैं माननीय मंत्री जी से आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि गाजीपुर को इसमें से निकाल दिया है, उसे पिछड़ा जिला स्वीकार करें। दूसरी तरफ इसी पुस्तक में जो सिंचाई का विवरण दिया गया है इसमें इसका जिक्र कहीं नहीं है यद्यपि इसमें पूरे प्रदेश का वर्गीकरण किया गया है, श्रेणियों बनाई गई है। पर्वतीय क्षेत्र, गंगा यमुना का क्षेत्र और कौन-कौन से क्षेत्र है, इन सबको देखने से साफ-साफ जाहिर होता है कि बुन्देलखंड से लेकर, इलाहाबाद, बनारस को भी बुन्देलखंड के इलाके में दिखाया गया है, लेकिन गाजीपुर, बलिया का कहीं पर भी जिक्र नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि गाजीपुर जिले की क्यों इतनी उपेक्षा की गई है। क्या इसलिये कि इस एलेक्शन में 74 के एलेक्शन में कांग्रेस का सफाया हो गया, इसीलिये इसको पिछड़ा जिला नहीं घोषित किया गया है। इसीलिये इसकी उपेक्षा की गई है। इससे साफ जाहिर होता है कि इसीलिये इसकी उपेक्षा की गई है। मान्यवर, मैं और तथ्यों की तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा गाजीपुर जिला वह जिला है जो सबसे पिछड़ा हुआ है। वहां पर कोई उद्योग नहीं है। वहां पर मिल और फैक्टरियां नहीं हैं। वहां का जीवन केवल कृषि पर निर्भर है।

मैं यह साफ बता देना चाहता हूं कि जिला गाजीपुर 1966–67 से आज तक सूखे से और बाढ़ से प्रभावित रहा है लेकिन आपके इस बजट में उसका कहीं भी जिक्र नहीं है। यह बड़े अफसोस की बात है। गाजीपुर वह जिला है जहां से हर साल पानी बह कर पूर्व की

[श्री रामजी सिंह]

ओर जाता है और उससे बलिया का जिला हर साल बाढ़ से तबाह हो जाता है। गाजीपुर में कर्मनासा, गंगा, टोंस और मघई आदि नदियां हैं जो इसके किसी न किसी कोने को हर साल बर्बाद करती रहती है। वहां पर एक भी नदी पर बांध नहीं बनाया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे वहां की जनता को बाढ़ से सुरक्षित करने के लिये नदियों पर बांध बनवाने की व्यवस्था करें।

मैंने लिख कर भी माननीय मंत्री जी को दिया और यहां भी बता देना चाहता हूं कि हमारे इलाके में जितनी भी नहरें हैं, उनमें उस समय पानी छोड़ा जाता है जब कि आसमान से पानी गिरने लगता है, वर्षा होने लगती है, जब कि किसानों को पानी की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं होती है। उसका नतीजा यह होता है कि बरसात का पानी नहरों को पकड़ कर जहां तहां बहने लगता है।

जहां तक सिंचाई रेट का सम्बन्ध है चाहे वह एरिया नहर के कमान्ड में हो या बाहर पड़ता हो पूरे इलाके में सिंचाई का रेट थोप दिया जाता है। यह बड़े अन्याय की बात है। सिंचाई के अधिकारियों को कहने पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।

दूसरी बात यह है कि इस तरह की सिंचाई व्यवस्था जैसे पम्प सैट्स वगैरह है, या पम्प कैनाल्स बनी हुयी हैं, उनकी सीमा है सिंचाई करने के लिये। या तो जितनी उनकी सिंचाई करने की क्षमता है, उसकी पूरी व्यवस्था की जाय और अगर नहीं की जाती है तो जो उनका कमांड एरिया है, उनमें जो किसान पड़ते हैं, उनके साथ धोखा न करें, उनके जीवन को बर्बाद न करके, उनको अपने पम्प सैट्स और ट्यूबवेल्स लगाने की इजाजत दी जाय ताकि उन्हें सिंचाई के साधन मिल सकें। मेरी यह भी प्रार्थना है कि जिन नहरों के कमांड एरियाज में नहरों का पानी कभी नहीं पहुंच पाता है, वहां पर किसानों को निजीतौर पर अपने पम्प सेट्स या ट्यूबवेल्स वगैरह लगवाने की आप खुली छूट दे दें। जब कोई किसान सरकार से इस प्रकार की प्रार्थना करता है तो इन्जीनियर्स नीचे से रिपोर्ट लिख कर भेज देते हैं कि उनमें कमान्ड एरिया होने के कारण कोई पम्प सेट्स नहीं लगाये जा सकते हैं। तो श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वे नहरों के या पम्पिंग सैट्स के कमान्ड एरिया में किसानों को अपने निजी ट्यूबवेल्स लगवाने की इजाजत दे दें ताकि उनको सिंचाई की अधिक सुविधा मिल सके।

भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में भी 2–3 बातें कहना चाहता हूं। गाजीपुर जिले में सिंचाई विभाग में सबसे बड़ा घोटाला हो रहा है। जमानिया में जहां पर पम्प कैनाल लगी हुयी है, वहां पर पिछले साल जब बाढ़ आई, तो वहां पर बना बार्ज डूब गया, अधिकारियों की लापरवाही के कारण। यह भी आज तक पता नहीं लगा कि वह कैसे डूब गया, मशीनरी की क्षति हुई, लाखों रुपयों का नुकसान हुआ और उसके लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार थे। लाखों रुपयों का नुकसान हुआ और न सरकार ने कुछ किया और न वहां के अधिकारियों द्वारा ही कुछ किया गया। जिन लोगों के समय में यह बार्ज डूबा है और तमाम मशिनरी की क्षति हुयी है, लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है, उसकी जांच होनी चाहिये और जो अधिकारी दोषी पाये जायं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिये।

इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री राम जनम राय (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, माननीय सिंचाई मंत्री द्वारा सिंचाई के लिये मांगी गयी अनुदानों के सम्बन्ध में मेरे कटौती के प्रस्ताव पर जिन माननीय सदस्यों ने गत दो दिनों में अपने विचार रखे हैं उन सबका मैं आभारी हूं। एक बात जिन पर हमारे अभी माननीय सदस्य लगभग सहमत जान पड़ते हैं वह यह है कि हमारा सिंचाई विभाग सच्चाई से बहुत दूर जाने लगा है या चला गया—

है और भ्रष्टाचार इसमें चरम सीमा पर पहुंच चुका है। (व्यवधान) हमारी पिछली सरकार एक मंत्री जो अब इस सदन के सदस्य हैं और बलिया से आते हैं उन्होंने भी उस तरफ से यह माना है कि हमारे सिंचाई विभाग में कम से कम 50 प्रतिशत भ्रष्टाचार है।

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)—

मैं माननीय सदस्य से जनाना चाहता हूं कि क्या वे ओवरसियर थे और भ्रष्टाचार के आरोप में निकाले गये थे।

(व्यवधान)

श्री रामजनम राय—

यदि हम उनकी बातों का सहारा लेते हैं।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

क्या यह वही रामजनम राय हैं जो भ्रष्टाचार के आरोप में निकाले गये थे।

(व्यवधान)

श्री राम जनम राय—

तो उन्होंने 50 प्रतिशत माना है और यदि हम उनकी बात ही मान लें तो यह सही है कि सिंचाई अनुदानों में 50 प्रतिशत कटौती सम्भव है।

श्रीमन्, लोकतन्त्र में विरोधी दल का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। विरोधी दल को बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपना रोल अदा करना पड़ता है और उसी जिम्मेदारी की तहत में उसको सरकार की या उसके अधिकारियों की आलोचना करनी पड़ती है जो कि उसकी नैतिक जिम्मेदारी है क्योंकि वह जनता के प्रति उत्तरदायी है और जनता के अधिकारों के प्रति उत्तरदायी है। वह जनकोष प्रहरी है और इस सरकार द्वारा जनकोष को दुरुपयोग से बचाने के लिये सरकारी अधिकारियों के भ्रष्टाचारों की ओर इंगित करना मैंने अपना कर्त्तव्य समझा है। यदि हम उस कर्त्तव्य के प्रति जागरूक है और हम यदि नाम लेते हैं तो उसके लिये माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैंने उसके लिये माफी मांग लिया था क्योंकि मुझे नाम लेना आवश्यक था क्योंकि बिना नाम लिये हुये स्पष्टरूप से उनकी ओर इंगित नहीं किया जा सकता था इसलिये नाम लिये गये, मैंने और भी कुछ नाम लिये हैं जिनको हमारे माननीय सदस्य नजरन्दाज नहीं कर सकते थे। मेरे कल के भाषण की प्रतिलिपि को देखा जाय जो इस सदन में लिखी गयी होगी उसमें 2, 4, 5 नाम ऐसे भी होंगे जो हिन्दुओं के नाम भी रहे होंगे।

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण विभाग के कटौती के प्रस्ताव पर जब मूल प्रस्तावक अपना उत्तर दे रहे हों इस समय इस प्रकार बराबर सत्तारूढ़ पक्ष से अव्यवस्था उत्पन्न करना अनुचित है और इससे इसी प्रकार की प्रतिक्रिया दूसरी ओर से भी हो सकती है। हम देखेंगे कि आपके मंत्री महोदय कैसे आचरण दे लेते हैं।

श्री रामजनम राय--

मैंने माननीय मंत्री जी को निहायत सच्चा, ईमानदार और सज्जन कहा है। उनकी सज्जनता और सिधाई भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे सकती है, ऐसा हो भी सकता है, होता भी है और ऐसा हुआ भी होगा। लेकिन हमने कहीं भी मंत्री जी को नहीं, बल्कि शासन का नाम उसमें खास तौर पर लिया है और मुख्य अभियन्ता और शासन सचिव की ओर मैंने इंगित किया था कि इन दोनों पदों पर एक ही व्यक्ति है और इसके कारण भ्रष्टाचार बेहद बढ़ा है। इनका अलग-अलग कर देना ही जनहित में होगा। श्रीमन्, हमारे सभी माननीय सदस्य जानते हैं और एक स्वर से सभी ने यह विचार व्यक्त किया है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और यहां की 86 प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर है।

श्री बेतराम गंगवार (जिला बरेली)--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने दोस्त से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। (श्री रामजनम राय से) आप कृपा करके बैठ जायं।

श्री अध्यक्ष--

(श्री राम जनम राय के न बैठने पर) आप क्यों बैठ जायं, आप ही क्यों नहीं बैठ जायं ?

(हंसी)

श्री रामजनम राय--

उस तरफ से जितनी भी सरकारें आयी हैं जिन्होंने पिछले 25-30 वर्षों में जो भी अनुदान मांगे हैं उनको सदन ने स्वीकार किया है और जो योजनायें इस सदन में इस विभाग ने रखी हैं क्या कारण है कि उनको पूरा नहीं किया जा सका ? इस सदन ने तो हमेशा उन योजनाओं को अपनी स्वीकृति प्रदान की है और जो भी अनुदान मांगा गया उसको स्वीकार किया गया है। इतिहास साक्षी है कि उनका कार्यान्वयन नहीं हुआ।

इन 25-30 सालों में हमारी सिंचाई की जो प्रगति हुई है वह यह कि 1947 में जब हमारी सरकार कायम हुई उस वक्त साढ़े 27 लाख हेक्टर जमीन सिंचाई में थी और आज 27-28 वर्ष के बाद केवल 59.80 लाख हेक्टर की हमारी वास्तविक सिंचाई क्षमता है। इन आंकड़ों पर भी हमारे माननीय सदस्यों ने संदेह प्रकट किया है कि वह फरजी हो सकते हैं। इस संदर्भ में मुझे वही कहना है कि हमारे सिंचाई विभाग की यही प्रगति रही है कि 1 लाख हेक्टर जमीन लगभग प्रतिवर्ष सिंचाई में बढ़ी है। हमारे यहां 232 लाख हेक्टर जमीन ऐसी है जिस पर खेती हो सकती है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप शान्त हो जायं।

श्री राम जनम राय--

तो लगभग डेढ़ सौ साल लगेगा जब हम अपनी जमीन को सिंचित कर सकेंगे। उन डेढ़ सौ सालों में न हम रहेंगे, न यह सदन रहेगा, इतिहास का ठंडा हाथ जब इस सदन के कार्यों को फिर से देखेगा तो निश्चित रूप से पायेगा कि इस प्रदेश में सिंचाई विभाग के जो लोग उत्तरदायी रहे हैं उन्होंने जनता के हितों का कोई भी खयाल नहीं किया है और निश्चित रूप से वह माफ नहीं किये जा सकते। उस वक्त हमारे ये माननीय सदस्य इस आलोचना को देखने के लिये, सुनने के लिये कोई नहीं रहेंगे, लेकिन हमारी आने वाली भावी संतानें जब इतिहास के पन्नों को पलटेंगी और नियोजकों और नियमकों ने जो कुछ किया, जिस पर सदन ने हमेशा अपनी स्वीकृति दी तो उनकी असफलता के लिये उन्हें कोसेंगी।

एक सदस्य—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। अगर सदन में कोई स्पष्टीकरण चाहता है तो उसको मौका देना चाहिये। कोई चीज पूछना चाहता है....

श्री अध्यक्ष—

स्पष्टीकरण का यह नियम है कि जो माननीय सदस्य स्पष्टीकरण के लिये खड़े हों....

श्री बेतराम गंगवार—

ये पहले ओवरसियर थे, इन्होंने 1 लाख रुपये का गबन किया था इसलिये निकाल दिये गये .....

एक सदस्य—

और आप ठेकेदार थे उस वक्त।

श्री अध्यक्ष—

जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है, तो नियम है कि स्पष्टीकरण के लिये आपको यह जानना चाहिये कि जब सदस्य आपके खड़े होने पर बैठ जायं तब आप स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह अकारण क्यों अव्यवस्था पैदा करते हैं? क्या आप चाहते हैं कि ये अनुदान पास न हो और क्या आप हाउस को स्थगित कराना चाहते हैं?

श्री राम जनम राय—

श्रीमन, मैंने कल सदन में कटौती का प्रस्ताव रखते हुए जो कुछ सदन के सामने कहा था वह वास्तव में सचाई है और शासन की लौह दीवारों को फांद कर जो कुछ सूचना हम तक आ पाती है उसके माध्यम से हम सदन का ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहते हैं। हमारा व्यक्ति विशेष या घटना विशेष से ही कोई खास लगाव नहीं होता। हम तो उस तरह के मामले सदन में उपस्थित कर के सदन को बताना चाहते हैं कि शासन में इस तरह का भ्रष्टाचार है। जो आंकड़े मैंने दिये हैं वही अन्तिम नहीं है, उससे बहुत ज्यादा है, हो सकता है कि हमारी जानकारी में न हों....

श्री मुमताज मोहम्मद खां—

क्या माननीय सदस्य भ्रष्टाचार के इल्जाम में बरखास्त हुये थे, यह सच है?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अगर यह सदन चाहे कि जो व्यक्ति खड़ा हो और बोलता हो चाहे इधर से या उधर से, उसके जीवन के इतिहास में पहले जाया जाय कि वह अच्छा रहा है, ईमानदार रहा है, कहां रहा है, कैसे रहा है तब उसको इजाजत दी जाय तो यह आपका भ्रम है। जो माननीय सदस्य इस सदन में हैं वह आपकी तरह से ही चुन कर यहां आये हैं। कहीं एक-आध बात आपने कह दी (हंसी) आप हंस क्यों रहे हैं? लेकिन बार-बार एक ही चीज नहीं कहनी चाहिये।

श्री राम जनम राय—

पिछले दो दिनों में जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं उनको सिंचाई के प्रति, खेती के प्रति और बढ़ते हुये भ्रष्टाचार के प्रति चिन्ता है। जो योजनायें बनी थीं अगर उनका सही रूप से कार्यान्वयन हुआ होता तो आज हमारी यह दशा न होती। निश्चित रूप से कहीं न कहीं उसमें बड़ा भयंकर दोष है। जो व्यवस्था आज चल रही है वह वही है जो अंग्रेजों ने बनायी थी। उस व्यवस्था का सृजन हमारे शोषण और उत्पीड़न के लिये किया गया था क्योंकि हमारे अंग्रेज शासकों को बहुत दूर रह कर हमारे ऊपर हुकूमत करनी थी। आज हमारी अपनी सरकार है। आज हमको सभी काम जनहित में करने चाहिये। (व्यवधान) इस तरह से रोष में आने की आवश्यकता नहीं है। हमें भी उतनी ही चिन्ता है। आपको भी उतनी ही चिन्ता है। वक्त की बात है कि आज आप उधर बैठे हैं और हम इधर बैठे हैं। हम भी उधर हो सकते हैं और आप इधर हो सकते हैं। जनतन्त्र में इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। जनतन्त्र में विचार स्वातन्त्र्य है और स्वतन्त्र रूप से अपने विचार रखने दीजिये। आप उससे लाभान्वित हों या न हों यह बाद में निष्कर्ष निकालें।

आप सब लोगों ने अपने-अपने क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्थाओं की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया है। उसकी ओर सिंचाई विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों को निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिये।

कई माननीय सदस्यों ने कहा कि विरोधी दल मात्र आलोचना करते हैं, सुझाव नहीं देते। मैंने कल लम्बी चौड़ी वक्तृता न दे कर बहुत संक्षेप में जो भ्रष्टाचार था उसी की ओर इंगित करके सदन को उसके प्रति जागरूक किया। आज उधर न कह कर मैं माननीय मंत्री जी को यह सुझाव देना चाहता हूं कि वे वरिष्ठ और अच्छे अभियन्ताओं की तथा इस माननीय सदन के कुछ सदस्यों की एक कमेटी बनायें और उसके द्वारा इस बात को दिखलायें कि आखिर पिछली पंचवर्षीय योजनाओं में क्या-क्या खामियां रही हैं, भ्रष्टाचार क्यों बढ़ता गया है, और उसमें क्या-क्या सुधार किस तरह से किया जा सकता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में 5–10 प्रतिशत तक भ्रष्टाचार था, आज सरकारी पक्ष के कथनानुसार 50 प्रतिशत तक भ्रष्टाचार है। इसको कैसे कम किया जाय, इस पर गम्भीरता के साथ विचार करने की आवश्यकता है।

(व्यवधान)

मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि सन 52 में इस सिंचाई विभाग से मैं अलग हो गया था। वहां से इस्तीफा देकर मैंने ठेकेदार की हैसियत से कार्य प्रारम्भ किया और 1966–67 के बाद इस कार्य को भी छोड़ कर जन सेवा में लग गया...

(व्यवधान)

एक सदस्य—

डिसमिस होने का क्या कारण था ?

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

कारण यह था कि आपने गलती की थी और आज भी आप गलती करते रहते हैं।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल रऊफ लारी—

कारण यह था कि सन 52 में जब उन्होंने यह देख लिया कि आपके यहां भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और जन सेवा में लग गये.... (शोर)।

श्री राम जनम राय—

मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कुछ सुझाव माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि जिन लोगों को काम कराने का अधिकार है उन्हें भुगतान करने का अधिकार नहीं होना चाहिये। उससे वह अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है।

जिन आदमियों को वर्कशाप में मेन्टीनेन्स का काम दिया गया है, उनको पार्ट्स आदि खरीदने की जिम्मेदारी नहीं देना चाहिये। पार्ट्स खरीदने के लिये अलग से व्यवस्था होना चाहिये, उसके लिये अलग विभाग होना चाहिये। उसकी एक केन्द्रीय व्यवस्था होनी चाहिये। समय-समय पर उसका निरीक्षण होना चाहिये।

पुर्जों आदि का खर्च परियोजना में नहीं डालना चाहिये, बल्कि जिस मशीन में उनका उपयोग हो उसी में उस खर्च को डालना चाहिये। इसके आदेश तो सरकार की तरफ से हैं, पर अधिकारियों द्वारा उसका पालन नहीं किया जा रहा है। यह एक बहुत बड़ी खामी है जिसको दूर करने की जरूरत है।

मैंने जो भी सुझाव दिये हैं वे अपने विचार से दिये हैं, आपके वरिष्ठ अभियन्ताओं को या उनकी एक कमेटी बना दी जाय उसे उन पर विचार करना चाहिये और विचार के बाद कोई निर्णय लेना चाहिये। वैसे तो मैं संक्षेप में अपने सुझाव रख ही दूंगा। हमारा सुझाव है कि नियोजन और अनुसंधान विभाग ऐसा होना चाहिये जिसमें बहुत अनुभवी और ईमानदार और योग्य अभियन्ताओं को रखा जाये जो पूरी तरह से छानबीन कर सकें और जो काम आवश्यक हों उन पर विचार करें। जैसे अभी तक हम अपनी सिंचन क्षमता का 32 प्रतिशत ही उपयोग कर सके हैं। अन्य राज्यों जैसे तामिलनाडु में 85 प्रतिशत और हरियाणा में 70 प्रतिशत जल क्षमता का उपयोग होता है। सिंचाई और वाटर रिसोसज का सम्बन्ध कृषि से बहुत अधिक होता है। इस बारे में पूरी तरह से छानबीन नियोजन और अनुसंधान विभाग को करना चाहिये जिससे हम अपनी क्षमता का सक्रिय रूप से प्रयोग कर सकें।

जो विभाग डिजाइन या ड्राइंग आदि बनाते हैं उनके पास अनुमान करने का काम भी होना चाहिये यह किसी दूसरे विभाग को नहीं देना चाहिये। फिर काम का बंटवारा करने वाला कोई दूसरा विभाग होना चाहिये।

श्रीमन्, मैं 5 मिनट समय और चाहता हूं।

टेंडर और स्टीमेट के अनुसार जो कार्य को पूरा करने के लिये सामान की व्यवस्था बनाने का कार्य है उसको किसी अन्य विभाग को देना चाहिये। काम का बंटवारा करने वाले विभाग को नहीं। इन कार्यों के लिये कोई केन्द्रीय विभाग होना चाहिये। इसी प्रकार से परीक्षण और सुपरविजन का काम किसी दूसरे विभाग को सौंपना चाहिये जिसको निश्चित रूप से बिल बनाने का अधिकार न हो। बिल बनाने और पेमेंट करने का अधिकार चीफ एकाउन्ट्स आफिसर को होना चाहिये। कहने का मतलब है कि सभी तरह के काम एक ही विभाग के पास नहीं होने चाहिये। हमारे इंजीनियर लोगों ने इन कामों में अपनी क्षमता को साबित नहीं किया है, वे मुझे माफ करेंगे। इस तरह से अगर आप कामों का बंटवारा कर देंगे तो निश्चित रूप से सुधार होगा। चूंकि मेरा समय कम रह गया है अतः जो सुझाव मैंने दिये हैं आशा है मंत्री महोदय इनकी तरफ अमल करेंगे और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुये मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

(सिंचाई मंत्री खड़े होते ही)

श्री वेद प्रकाश अग्रवाल (जिला फैजाबाद)—

श्रीमन्, मैं मंत्री महोदय से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । मई 73 में एक चयन समिति बनायी गयी थी । 16 आदमियों की एक लिस्ट बनायी गयी थी । 14 का तो प्रमोशन कर दिया गया है और इसके बाद 3 लोगों का और इक्जीक्यूटिव इंजीनियर से एस०ई० बना दिया गया लेकिन जो 2 स्थान रिक्त हैं वह कब तक भरे जायेंगे । मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में मंत्री जी स्पष्टीकरण देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी इसका जवाब नहीं देंगे । इसकी जरूरत नहीं है । बीच में खड़े होकर इस तरह से पूछना अच्छा नहीं है ।

सिंचाई मंत्री (श्री मोहम्मद महमूद अली खां)—

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का जिन्होंने सुझाव दिये बड़ा आभारी हूं । और मैं यकीन दिलाता हूं कि मैं इसकी पूरी कोशिश करूंगा कि इनकी ज्यादा से ज्यादा पूर्ति की जाय । मेम्बर साहबान को मैंने पहले अपने कमरे में तकलीफ दी थी और मैं मशकूर हूं कि सब पार्टीज के लोग मुझसे मिलने आये और अपने-अपने सुझाव उन्होंने दिये । वहां कुछ इंजीनियर साहबान भी थे, और कुछ दूसरे कर्मचारी भी। वहां बातें हुयीं और कुछ निर्णय भी उसी वक्त लिये गये । मैं यकीन दिलाता हूं कि जो चीजें तय हुयी थीं उन पर अमल करने की पूरी तरह से कोशिश की जायगी ।

कई चीजें यहां पर खाशतौर से कही गई । हर एक बात का जवाब देना मुश्किल होगा । जहां तक हमारे विभाग के कानून का सवाल है जो बहुत दिनों से चले आ रहे हैं और वे आज के हालात में सही नहीं बैठते है तो इनको मैं तब्दील कराना चाहता हूं । इसके सिलसिले में गौर करने के लिये कई लोगों की एक कमेटी बना दी गई है और वह उस पर गौर कर रही है कि कहां-कहां संशोधनों की जरूरत है । अगर जरूरत हुई तो आप लोगों से इस सम्बन्ध में मैं मशविरा भी करूंगा जिससे कि ऐसे संशोधन हो जांय जिससे कि किसानों की जनता की मुश्किलें हल की जा सकें ।

हमारा सबसे बड़ा मसला है पटरियों के कटाव का और नाजायज तरीके से पानी लेने का । सब साहबान से दरख्वास्त करूंगा कि इसमें मदद करें जिससे कि पानी का अधिक नुकसान न हो और जितने एरिया में सिंचाई चाहते हों उतनी सिंचाई हो । म मानता हूं कि पूर्वी जिलों में सिंचाई की हालत ठीक नहीं है । पश्चिम में भी सिंचाई की परेशानी है । मैं सोच रहा हूं कि इन कठिनाइयों पर कैसे काबू पायें और उनकी तकलीफें दूर हों । एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ट्यूबवेलों के बारे में जहां तक ट्यूबवेल का सवाल है मैंने पहले भी अर्ज किया कि ट्यूबवेल हम हर जिले में देते है । यह ट्यूबवेल जिले में जो कमेटी बनी होती है उसी के फैसले पर कि किस जगह पर ट्यूबवेल लगे, लगाये जाते है । इसमें आप साहेबान होते है और आपको ही फैसला करना होता है कि फलां-फलां जगह पर ट्यूबवेल लगाना चाहिये । उन स्थानों पर ट्यूबवेल लगवा दिये जाते है । हमारे सूबे में बड़ी-बड़ी योजनायें चलती रही है लकिन मैंने महसूस किया कि बड़ी योजनाओं का फल बहुत अरसे के बाद मिलता है किन्तु आज जरूरत इस बात की है कि हमें पानी जल्द से जल्द मिले । चुनांचे मैंने इसकी कोशिश की है कि, और आप भी बतलायें कि कहां-कहां ऐसी छोटी-छोटी योजनायें जैसे लिफ्ट इरीगेशन या दूसरी योजनायें चल सकती हैं उस पर गौर करेंगे तथा सर्वे करायेंगे कि वहां यह योजना सफल तथा चालू हो सकती है कि नहीं ।

दूसरी बात भ्रष्टाचार के बारे में कही गई है । मुझे अफसोश है कि मैंने बार-बार कमेटी में अर्ज किया और यहां भी कहता हूं कि कोई भी चीज या शिकायत जिस किसी मेम्बर ने लिखकर दी है कि फलां कर्मचारी या इंजीनियर भ्रष्ट हैं तो उसके बारे में मैंने मामला विजीलेन्स को इंक्वारी के लिये सुपुर्द कर दिया है । एक भी ऐसा केस आप नहीं बता सकेंगे कि जिस पर जांच न हुई

हो । दूसरी बात यह है कि बाजे मेम्बर साहेबान मुझ पर दबाव डालते है कि फलां क खिलाफ एक्शन न हो, फलां को बहाल कर दिया जाय । मैं अर्ज करूंगा कि वह हमारे ग्रप के ही न ही आपके भी ग्रुप के होते है । एक बात ट्रांसफर के बारे में है । हालांकि एक चीज मन की थी कि सूबे के सारे इंजीनियरों को यहां से एक फार्म भेज दिया था कि वह स्वयं अपनी आसानी को मद्देनजर रखकर तीन-तीन जगहें लिखकर भेज दें और उन 3 जगहों में से हम कोशिश करेंगे कि उन्हीं जगहों पर उनको एडजस्ट कर दें । लेकिन फिर भी कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई इंजीनियर या कर्मचारी किसी एम०एल०ए० को अपने साथ ट्रांसफर के लिये ले आते है । तो मैं साफ बता दूं कि मैं उनके ट्रांसफर को मना कर देता हूं कि ऐसा नहीं हो सकता है । मैं उनसे कहता हूं कि आप लोगों का घर है, आप हर वक्त आ सकते है, घर पर आ सकते है कमरे में आ सकते है, मैं सुनने के लिये तैयार हूं । लेकिन अगर कोई इंजीनियर मेरे पास खुद या आपक साथ आयेगा तो मैं हरगिज उसका ट्रांसफर नहीं करूंगा । अब आप सोच सकते है कि यह मुनासिब है या नहीं । भ्रष्टाचार के मामले में पोजीशन साफ है कि आप लिखकर दें, आप पकड़वायें उसके बाद अगर कोई शख्श बच जाय तो आप मुझे इल्जाम दें सकते है । आपने जिसके लिये लिख कर दिया है उनके बारे में इंक्वारी करवाई गई है । मैं एक और कोशिश में हूं । हमारे यहां विजीलेन्स है लेकिन उनको केस भेज देते है तो उसमें कई साल लग जाते । हमारा खुद का एक आडिट सेल है । उसमें भी वक्त लगता है । मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को लिखकर भेजा है और उम्मीद है कि मेरी दरख्वास्त वे मंजूर करेंगे कि इंक्वारी के लिये कुछ लोगों को दे दें ताकि जो भी इस तरह की शिकायतें हों या हम खुद जहां समझें वहां इन लोगों को भेजें इंक्वारी के लिये और इस प्रकार भ्रष्ट लोगों को पकड कर सजा देने में कामयाब हों ।

एक बात मेरे भाई ने तजबीज पेश करते हुये कही जिस पर मुझे बहुत रंज है । मेरी जिन्दगी से आपको वाकफियत हो या न हो लेकिन मेरी जिन्दगी का पूरा हिस्सा फिरकापरस्ती के खिलाफ गुजरा है । सन् 1946 में मैं कांग्रेस में शामिल हुआ । हमेशा मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की खिलाफत करता रहा । सन् 46 में मुस्लिम लीग के खिलाफ लड़कर कामयाब हुआ और एम०एल०ए० बना आज अगर मुझमें यह बराई हो गयी कि मैंने मुसलमान को मुसलमान होने के नाते तरक्की दे दी तो यह मेरे लिये तौहीन है । मैं इंसाफ करना पसन्द करता हूं । अगर कोई मझे बतला दे कि किसी हिन्दू या किसी क्रिश्चियन वगैरह क साथ बेइंसाफी हुई तो मैं हर वक्त मानने के लिये तैयार होऊंगा । मैं उस फैसले पर नजरसानी न करूंगा बल्कि मिनिस्ट्री से रिजाइन कर दूंगा । जो वाकयात आपने बतलाये है, आप परसों ही मेरे पास तशरीफ लाये थे, अगर मुझसे पूछते तो बतला देता । रूल्स में यह है कि अगर किसी के खिलाफ इंक्वायरी हो रही ह तो दौराने इंक्वायरी किसी की पदोन्नति को रोक नहीं सकते । हां, कोई ऐसा वाकया बतलायें कि इंक्वायरी के बाद चार्जशीट दे दी हो और फिर पदोन्नति भी दे दी हो । मेरी तो दरख्वास्त है कि आप आकर मुझसे पूछ लें । मैं हर वक्त तैयार हूं कि आपका एतमीनान कर दूं । मझे कोई गाली दे दे तो वह बरदाश्त है लेकिन अगर कोई मुझे फिरकापरस्त कहे तो उससे ज्यादा तकलीफदेह चीज और नहीं है । अब मैं दरख्वास्त करता हूं कि मांगें मन्जूर की जायें ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 57--राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य संपर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 57—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिय आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 31,11,74,800 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 58—सिंचाई अधिष्ठान के अधीन सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 58—सिंचाई अधिष्ठान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12,76,36,200 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 82-सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 82—सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 45,58,00,100 रु० से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 83—के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 83—बहु-प्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 14,81,41,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 51 के अन्तर्गत 6 सूचना प्राप्त हुई हैं ।

एक है फर्रुखाबाद–फतेहगढ़ में गेहूं के अभाव के बारे में । यह आवश्यक कार्यवाही के लिये नियम 56 में किया है । यह भी आवश्यक कार्यवाही के लिये सरकार को भेज दी जायगी ।

दूसरी सूचना है श्री बेद प्रकाश अग्रवाल और श्री त्रिवेणी सहाय की । यह है क्लार्कस अवध होटल के कर्मचारियों पर होटल अधिकारियों का अन्यायपूर्ण व्यवहार के बारे में । इसको केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है ।

तीसरी सूचना है श्री कल्याण सिंह जो कानपुर की पुलिस चौकी के हेड कांस्टेबिल की अपने क्षेत्र में ही बदमाशों द्वारा हत्या के बारे में है । इस पर अल्पसूचित प्रश्न कर सकते हैं ।

माननीय दशरथ सिंह की एक सूचना है प्रदेश में विद्युत्-व्यवस्था की गड़बड़ी के बारे म इस पर चर्चा हो चुकी है ।

श्री सत्य प्रकाश और डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल ने कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं में निरीक्षकों द्वारा नकल करने हेतु छूट के बारे में सूचना दी है । यह विश्वविद्यालय का आंतरिक मामला है । चूंकि यह स्वायत्त संस्था का मामला है, इसलिये इसको अस्वीकार किया है ।

माननीय जनार्दन प्रसाद ओझा ने डायमण्ड चीनी मिल द्वारा बकाया रकम न भुगतान किये जाने के बारे में सूचना दी है । चीनी मिल के बारे में वक्तव्य हुआ है । इस पर अल्पसूचित प्रश्न कर लें ।

अब हम उठते हैं और सोमवार, दिनांक 8 जुलाई, 1974 को 11.00 बजे पूर्वाह्न फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 4 बजकर 56 मिनट पर सोमवार, 7 जुलाई, 1974 के 11 बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

सत्य प्रिय सिंह,

सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
5 जुलाई, 1974 ।

नत्थी 'क'

(तारांकित प्र0 सं0 6 का उत्तर पीछे पृष्ठ 883 पर।)

संलग्नक

1971–72, 1972–73 तथा 1973–74 में आई0टी0आर0कंपनी, बरेली, सहकारी समितियों, औद्योगिक इकाइयों तथा क्रेताओं को लीसा देने की दर का ब्योरा।

वर्ष		आई0टी0आर0कंपनी को लीसा संभरण किये जाने की दर (प्रति कुन्तल रु० में)	सहकारी समितियों को लीसा सम्भरण किये जाने की दर (प्रति कुन्तल रु० में)	औद्योगिक इकाइयों को लीसा सम्भरण किये जाने की दर (प्रति कुन्तल रु० में)	नीलाम में प्राप्त औसत दर (प्रति कुन्तल रु० में)		
					कुमाऊं वृत्त	टिहरी वृत्त	गढ़वाल वृत्त
1971–72	..	170	170	220.46	253.33	..	200.50
1972–73	..	180	180	180.00	199.70	220.00	191.75
1973–74	..	180	180	180.00	207.55	222.00	192.50

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 102 वि0 सभा—(1442)—1975—835।

अनुभव विधान सभा